हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, 17 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

17.09.2020/1100/केएस/एचके/1

अध्यक्षः प्रश्न काल आरम्भ।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)ः अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्षः नेगी जी, अभी तो प्रश्न काल आरम्भ ही हुआ है।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के तहत एडजर्नमैंट मोशन दिया है कि दलितों के साथ, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, नौकरियों में रोस्टर नहीं लगाया जा रहा है, चोर दरवाजे से नौकरियां लगाई जा रही हैं और उसमें कोई रोस्टर फॉलो नहीं किया जा रहा है और बाद में उनको आप रैगुलर कर देते हैं । तो हमारा रिज़र्वेशन कहां जाएगा? यहां पर एस.सी. कम्पोनेंट प्लान में करोड़ों रुपये हैं परन्तु जितने भी हमारे यहां पर विधायक हैं, उनसे इस बारे में पूछा ही नहीं जाता। एस.सी. से सम्बन्धित 13 सदस्य सत्ता पक्ष में है और 2 एस.टी. के हैं, 4 एस.सी. के यहां है और एक मैं अकेला एस.टी. से हूं। सदन में इस समय एक तिहाई सदस्य एस.सी. और एस.टी. से सम्बन्धित हैं फिर भी हमारे ऊपरा इतना अत्याचार हो रहा है। एस.सी. कम्पोनेंट प्लान के हज़ारों रुपये डी.सी. के मार्फत हर कहीं बांटे जा रहे हैं। ट्राइबल सब प्लान में विधायक को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं।

श्री जगत सिंह नेगीः सर, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के हम 32 परसेंट लोग इससे पीड़ित हैं। सारा काम छोड़कर नियम-67 में सरकार इस ज्वलंत मुद्दे पर यहां पर चर्चा करें। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा से क्यों भागना चाहती है?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठिए। आपने विषय रखा है और साथ में आप भागने की बात कर रहे हैं?

17.09.2020/1100/केएस/एचके/2

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-62 में यह विषय उठाना चाहा था लेकिन यह नियम-62 में नहीं लगा इसलिए हमें मज़बूर हो कर नियम 67 में लाना पड़ा। सरकार दलितों और आदिवासियों से सम्बन्धित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है। आज हमारी 32 परसेंट से ज्यादा आबादी है। 13 माननीय विधायक उस तरफ बैठे हैं, 2 एस.टी. से सम्बन्धित हैं ,क्या ये लोग उसके लिए चिंतित नहीं हैं?

अध्यक्षः नेगी जी, आप मेरी व्यवस्था से पहले ही यह कह रहे हैं कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है? बातों को भाषण देने तक सीमित न रखिए।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो बाहर जनता आप सभी को धिक्कारेगी जो दलित और अनुसूचित जनजाति के यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। नियम-67 में हमें यहां चर्चा करने से क्यों रोका जा रहा है?

अध्यक्षः कहां रोका गया आपको, किसने रोका?

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, दलितों का शोषण हो रहा है। स्कूलों में भेदभाव हो रहा है। वहां बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील नहीं लिया जाता । स्कॉलरशिप में करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। ...(व्यवधान) आज हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। हम 67 पर चर्चा मांग रहे हैं। आप इसमें चर्चा नहीं करना चाहते...(व्यवधान) दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

अध्यक्षः मुकेश जी, आप बैठ जाएं। नेगी जी, आप बैठिए। ...(व्यवधान) सुबह का समय है, आप बैठिए। जिस तरीके से आज सुबह ही आप विषय को रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बात को रखने का तरीका नहीं है। आप सत्ता पक्ष की तरफ़ इशारा कर कह रहे हैं, कि हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.9.2020/1105/av/hk/1

अध्यक्ष : क्रमागत

आप बिना अनुमति के अपनी बात रख रहे हैं और यह कोई ठीक तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए। ...(व्यवधान) आप यह कह रहे हैं कि नियम-67 ऐक्सैप्ट कर लीजिए। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री पूरा दिन आपके चैम्बर में होते हैं और वहां बैठकर एजैंडा डिसाइड करते हैं। ...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नेगी जी की सारी बात रिकॉर्ड में आ गई है। ...(व्यवधान) आपका एजैंडा केवल सुर्खियों में रहने का होता है। आप केवल सुर्खियों में रहने के लिए नियम-67 के तहत चर्चा मांगते हैं। ...(व्यवधान)

(विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं। ...(व्यवधान) मैं यही कहूंगा कि यह जो कुछ हो रहा है, यह रिकॉर्ड में नहीं आयेगा। आप अगर इसी तरीके से बोलते रहेंगे तो यह रिकॉर्ड में नहीं आयेगा। ...(व्यवधान) बिल्कुल, आप जिसके लिए वॉकआउट करना चाहते हैं वह मुझे भी पता है। आप मेरी बात सुनिए, आप बैठिए। यह प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का कोई अच्छा ढंग नहीं है। बैठिए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए।

(विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रोटैस्ट के रूप में हम वॉकआउट कर रहे हें।

17.9.2020/1105/av/hk/2

अध्यक्ष : आपके नेता खड़े हैं और आप वॉकआउट कर रहे हैं? देखिए, पहले आपस में तालमेल बिठा लिया करो। इस तरह की परम्परा ठीक नहीं है। माननीय मुकेश जी, यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

(विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य वॉकआउट करके सदन से बाहर चले गये।)

माननीय सदस्य सर्वश्री जगत सिंह नेगी, मोहन लाल ब्राक्टा, श्री नन्द लाल व डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल से आज दिनांक 17 सितम्बर, 2020 को प्रातः 9.42 बजे हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-67 के अंतर्गत एस0सी0/एस0टी0 को सरकारी नौकरियों में आरक्षण न देने से इस वर्ग का शोषण

श्री टी सी द्वारा जारी

17.09.2020/1110/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

माननीय अध्यक्ष महोदय ... जारी

और साथ में इन्होंने कहा है कि एस0सी0 कंपोनेंट प्लॉन एण्ड ट्राइब्ल सब-प्लॉन के धन का आबंटन सही तरीके से न होने पर यह सदन अविलम्ब सभी अन्य कार्यों को स्थगित कर इस पर विचार करें से संबंधित स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। जिस पर माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने जो सूचनाएं दीं हैं, वे दो अलग-अलग विषयों पर दी गईं हैं। मैं यहां से व्यवस्था दे रहा हूं और अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं। इसमें

एक विषय आरक्षण और दूसरा विषय धनराशि के आबंटन से संबंधित हैं। नियम-67 के अंतर्गत उप-नियम-3 और 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि नियम-67 के अंतर्गत विषय हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा तथा प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके। इस संबंध में माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी से नियम-130 के तहत भी चर्चा हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे सरकार को टिप्पणी हेतु प्रेषित किया गया है तथा उपरोक्त विषय को नियम-296 (3) के अंतर्गत नियम-130 में परिवर्तित करता हूं।

दूसरा, जिस तरीके से यहां पर श्री जगत सिंह नेगी जी ने इस प्रस्ताव का कंटैस्ट न रखते हुए, इस सदन में अपनी बातों से सनसनी पैदा करने की कोशिश की है। इस चेयर को एड्रैस न करके यानी इस चेयर से क्या रूलिंग आई है या आनी है, उसको नज़रअंदाज करके उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये पहले से ही यहां पर इस तरह का माहौल पैदा करने का मन बनाकर आए हैं। इन्होंने अपनी बात रखी, वह भी इस चेयर की अनुमति से नहीं रखी है।

17.09.2020/1110/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

इन्होंने कहा कि मेरे चैंबर में मुख्य मंत्री या संसदीय कार्यमंत्री आते हैं तो मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता है और श्री सुरेश भारद्वाज जी संसदीय कार्यमंत्री हैं। पिछले कल विपक्ष के नेता मेरे पास पौना घंटा बैठ कर गये। उससे पहले दोपहर के समय इन्हीं के आठ माननीय सदस्य मेरे चैंबर में बैठकर अलग-अलग विषयों पर चर्चा करके व अपनी बातें रख कर गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष का चैंबर सत्तापक्ष और विपक्ष सभी के लिए खुला रहता है। आप वहां अपनी बात रख सकते हैं। आप क्वैश्चन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आप नियम-62, 61 व 67 के तहत विषयों के संबंध में बातचीत करते हैं, अलग-अलग प्रस्तावों के ऊपर बातचीत करते हैं और सुझाव देते हैं। लेकिन सदन में इस प्रकार

का व्यवहार करना सरासर गलत है। इस विधान सभा की अपनी मर्यादाएं व नियम है। उन मर्यादाओं का पालन करके ही ये सत्र पिछली 07 तारीख से चल रहा है और कल तो अंतिम दिन है। इस दौरान यहां पर बहुत से महत्वपूर्ण बिल आए हैं और उनमें जो संशोधन आए उनको सुना गया। माननीय मुख्य मंत्री और संबंधित मंत्रियों के द्वारा उनके उत्तर दिए गए। मैं उस तरफ का जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये बार-बार उस (मीडिया) तरफ देखते हैं। मुझे इस पीठ से यह बात करनी शोभा नहीं देती। लेकिन यदि ये इन मुद्दों पर इतने ही गम्भीर हैं तो अपनी बातों को तथ्यात्मक मुद्दो के साथ यहां पर रखें।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

16.09.2020/1115/RKS/YK-1

माननीय अध्यक्ष... जारी

हम मुद्दों को रखने की आज्ञा देते हैं और स्वीकार भी करते हैं। नियम-67 के अंतर्गत जो 07 तारीख को नोटिस दिया गया था उसके ऊपर लगभग 06.25 घंटे चर्चा हुई। इस चर्चा में बहुआयामी विषय जुड़े थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस चर्चा का 3.00 घंटे तक उत्तर दिया। हमने अपना विषय रखने के लिए कहां किसको रोका है? मैंने नियम-67 पर रुलिंग दे दी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस आसन की अनुमति के बिना जो बातें रखी जाएंगी, वे रिकॉर्ड नहीं होगी। यह यहां की व्यवस्था है।

माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

16.09.2020/1115/RKS/YK-2

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया गया था तो विपक्ष के लोग इस बात का जिक्र किया करते थे कि अविलम्ब सत्र का आयोजन किया जाए। जब देश व प्रदेश एक संकट के दौर से गुजर रहा है तो हमें लगा कि मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। हमने इस बात पर विचार किया कि सत्र की अवधि थोड़ी लंबी की जाए ताकि हर विषय पर चर्चा की जा सके। विपक्ष जो कहना चाहता है, उस बात को वह कह सके और जो उनकी ओर से महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे हम उनमें

बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष की स्थिति पहले दिन से ही तमाशा बन गई है। मैंने ऐसी परिस्थिति इस माननीय सदन में आज से पहले कभी नहीं देखी। इनका न तो आपस में तालमेल है और न फ्लोर कोओर्डिनेशन है। नेता प्रतिपक्ष की बात कहने से पहले ही कोई सदस्य पीछे से खड़ा होकर कह देता है कि हम वाकआउट कर रहे हैं। सब लोग नेता बनने के होड़ में लगे हैं। इस तरह यह विपक्ष का जनाजा निकल गया है। मुझे मालूम नहीं कि यह शब्द उचित है परंतु इनके हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। हम इस सदन में नियम-67 के अंतर्गत चर्चा करने का इतिहास बना चुके हैं। इस तरह की चर्चा आने वाले समय में होगी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन यह पहली बार हुआ है कि नियम-67 के अंतर्गत इस सदन में चर्चा हुई। यह भी इस सदन के इतिहास में लिखा जाएगा कि कोरोना काल के समय यह चर्चा हुई और विधान सभा अध्यक्ष डॉ0 विपिन सिंह परमार जी थे। आज ये लोग फिर से नियम-67 के अंतर्गत चर्चा करने की बात कह रहे हैं। जो विषय ये लोग उठा रहे हैं हम इन विषयों पर नियम-130 या अन्य नियमों की परिधि में भी चर्चा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने सही व्यवस्था दी है। एक दिन में एक से ज्यादा विषयों पर नियम-67 के अंतर्गत नोटिस देना हमने विपक्ष की ओर से पहली बार देखा है। आमतौर पर गंभीर और तात्कालीन विषय पर ही नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है लेकिन यहां पर नियम-67 के अंतर्गत 4 माननीय सदस्यों ने अलग-अलग विषयों पर अपने नोटिस दिए हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि विपक्ष की परिस्थिति क्या है? ऐसा आज से पहले इस सदन में कभी नहीं हुआ। विपक्ष के नेता की ओर से जो इस आसन के प्रति बार-बार टिप्पणियां करने की आदत बन गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको कुछ कहना है तो हमें कहिए, हम यहां बैठे हैं लेकिन आसन की ओर अंगुली करना उचित नहीं है। मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को विधान सभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाने के लिए क्या आपकी अनुमति लेना पड़ेगी?

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

17.09.2020/1120/बी0एस0/ए0जी0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

क्या उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन की यह परंपरा रही है कि जब भी विधान सभा सत्र चल रहा हो, विधान सभा अध्यक्ष कभी भी मुख्य मंत्री के कार्यालय में नहीं आता है, मुख्य मंत्री ही विधान सभा अध्यक्ष के कार्यालय में जाता है और यह स्वस्थ परंपरा है। अगर हम आपके पास मिलने के लिए आते हैं तो स्वस्थ परंपरा का अनुसरण करके ही आते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका कक्ष तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खुला है, विपक्ष के लोग भी तो वहां पर आते हैं लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना कि एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है, आपको अध्यक्ष बनाने में हमारा योगदान है। योगदान को बार-बार स्मरण करना इस तरह के अहसान डालने की बात किसके लिए हो रही है? आज की तारीख में इस तरह की बातों की क्या आवश्यकता है? अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत ज्यादा विषयों पर आपत्ति इसलिए नहीं की ताकि सदन की कार्यवाही में कोई रुकावट न पैदा हो। सरकार की और से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर दिया जा रहा है। जो चर्चाएं नियमों के अनुरूप इस माननीय सदन में उठाई जा रही हैं उन चर्चाओं का सरकार की ओर से उत्तर दिया जा रहा है। आज विषय क्या बन गया? सत्र से पहले विपक्ष ने शोर डाला हुआ था कि सत्र बुलाओ, सत्र बुलाओ विपक्ष बहुत से विषयों पर चर्चा करना चाहता है, तुरंत करना चाहता है और अभी करना चाहता है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर इनकी परिस्थिति हास्यास्पद हो गई है और पूरे मीडिया में हो गई है, मीडिया के लोग इनसे कह रहे हैं कि यह तो मजाक बन गया है इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप के ऊपर सत्ता पक्ष बहुत हावी हो गया है। परंतु इन्हें कुछ खबर बनानी है ताकि कुछ-न-कुछ खबर अखबार में बनी रहे उसे कंपनसेट करने के लिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में जितनी भी चर्चा लाई गई है सरकार की ओर से एक-एक विषय पर जवाब दिया गया है। एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसका प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दिया गया हो। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। पूरे प्रदेशों में विधान सभा सत्र एक और दो दिन के हो रहे हैं परंतु हमने 10 दिन का सत्र रखा है। हमें दूसरे देशों के मुख्य मंत्री बात करके पूछ रहे हैं कि 10 दिन का सत्र किस बात के लिए चला रहे हैं?

हमने कहा कि हमारे यहां एक स्वस्थ परंपरा है और हम उसे कायम रखना चाहते हैं। हम हर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि हम भी एक या दो दिन का सत्र करना चाहते कि करोना है, करोना है और हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसलिए सत्र एक-दो दिन का बुला लेते हैं तो क्या होता? हमें ऐसा करने से किसने रोका था, हम वैसा भी कर सकते थे। मगर हमने ऐसा नहीं किया इसलिए नहीं किया कि हम चाहते थे कि प्रदेश के जनहित के हर मुद्दे पर इस माननीय सदन में एक सार्थक चर्चा हो। उसके लिए जो अवसर देना चाहिए था वह हमने विपक्ष को दिया। उस अवसर को ये हासिल नहीं कर पाए। उस अवसर को विपक्ष ने खो दिया। इसलिए अब "खिसियानी बिल्ली खंबा नोंचे" वाली हालत है। अब इनके पास एक ही रास्ता है शोर डालो नियम कानून परंपराएं सब एक तरफ है विपक्ष तो विपक्ष है किसी भी मुद्दे पर शोर डाल सकता है किसी भी मुद्दे को ले करके बाहर जा सकता है। किसी भी मुद्दे को ले करके कभी भी कुछ कह सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदन के नियमों परंपराओं का जिस तरह से अपमान हो रहा है यह सचमुच में चिंता का विषय है। विपक्ष द्वारा आज भी सदन से बाहर चले जाना और ऐसे विषय पर जिस विषय पर सरकार ने इनसे बेहर काम किया है। हम से आज पूछा जा रहा है कि आपने ऑटसोर्स में लोग लगाए, कितने लोग लगाए, आपने उसमें क्या नियमों का पालन किया है, आपने आरक्षण में लोगों के लिए नियमों का पालन किया है? ये सारी चीजें हमें समझाने की कोशिशें हो रही हैं। जो वर्षों से आपने नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते-उड़ाते इस प्रदेश की क्या हालत कर दी है परंतु मैं इन विषयों पर कुछ नहीं कहना चाहता। अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष का सदन से बाहर जाना और आसन पर टिप्पणी करना सरकार गंभीरता से इन सारे विषयों को नहीं लेती है इन तमाम विषयों पर मेरा विरोध है और जहां तक इस माननीय सदन से इन्होंने बाहर जाने की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से चलाए रखा है मैं इसकी निंदा करता हूं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

17-09-2020/1125/ए.जी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री के पश्चात.....

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी हाथ खड़ा किया था। आप भी अपनी बात कहिए।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेतागण पिछले कल की घटना का जिक्र आज यहां पर बेकार में ही कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री को विधान सभा की कार्यवाही के लिए माननीय अध्यक्ष, सचिव विधान सभा व अन्य अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता रहती है। बहुत सारे विषयों पर माननीय अध्यक्ष का संदेश आता है तो हम आपके कमरे में जाते हैं। कल की बात का जिक्र जैसे माननीय विपक्ष के नेतागण कर रहे हैं ऐसी परंपरा तो किसी भी माननीय सदन में नहीं रही है कि जो बात अध्यक्ष के चैम्बर में होती है या इस माननीय सदन के बाहर कोई बात होती है तो उसका जिक्र कभी भी माननीय सदन के अंदर नहीं किया जाता है। यह आज की प्रजातांत्रिक प्रणाली में सभी माननीय सदनों की व्यवस्था और परंपरा है। कल विपक्ष के नेतागण आपके चैम्बर के अंदर वाले कमरे में बैठ कर बातचीत कर रहे थे और मुझे आपसे किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करनी थी तथा मुझे मालूम पड़ा कि विपक्ष के नेतागण आपके कमरे में बैठे हैं इसलिए मैं आपके बाहर वाले कमरे में बैठा रहा। इस बात की चर्चा भी यदि माननीय सदन में की जाएगी तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के माननीय सदस्यगण कहते थे कि माननीय सदन का सत्र बुलाओ तो मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा भारत देश की एकमात्र विधान सभा है जहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने हिम्मत की है कि दस दिन का सत्र बुलाया जाए। भारत देश की बड़ी-बड़ी विधान सभाएं चार घण्टे में खतम कर दी गईं। पुरे देश में तीन दिन से ज्यादा किसी भी विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया गया है। लोकसभा व राज्यसभा में प्रश्न काल निलंबित कर दिया गया है। लेकिन हमारी विधान सभा में प्रश्न काल भी हो रहा है और उसके लिए सारे हिमाचल प्रदेश से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं, रात-दिन अधिकारी/कर्मचारी काम करते हैं तथा उस पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। इस प्रश्न काल के जरिए भी विपक्ष के नेतागण जानकारियां प्राप्त कर सकते थे लेकिन इन्होंने मन बना लिया है कि माननीय सदन को चलने नहीं देंगे।

7-09-2020/1125/ए.जी.-एन.जी./2

इन्होंने आज जो विषय रखा है यह एक सामायिक विषय है। इन्होंने कोई भी विशेष जगह का जिक्र नहीं किया है। इस विषय पर नियम-62, नियम-117 और नियम-130 के तहत भी चर्चा की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के दौरान भी "संकल्प" दिया जा सकता था। इसके अलावा यदि किसी विशेष स्थान पर कोई घटना हुई हो तो नियम-324 के तहत भी नोटिस दिया जा सकता था और उसमें सरकार को सम्पूर्ण सूचना देनी होती है। इन्होंने किसी भी नियम के तहत चर्चा नहीं मांगी है और ये केवल नियम-67 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। नियम-67 के तहत चर्चा rarest of the rare स्थितियों में की जाती है। जैसे कोविड-19 के विषय पर आपने नियम-67 के तहत चर्चा करने की अनुमति दी जोकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। यह महामारी लगभग 100 साल बाद आई है और उसमें हिमाचल प्रदेश व देश की सरकार ने क्या किया तथा आज प्रदेश की परिस्थिति कैसी है, इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए आपने नियम-67 के तहत चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। माननीय विपक्ष के नेताओं द्वारा केवल अख़बारों की सुर्खियां बनाने के लिए माननीय सदन का उपयोग करने की हम भर्तसना करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में विपक्ष जो भी कहना चाहे वह हमेशा से स्वीकार्य है। माननीय सदन के नेता ने कभी भी ओपन हृदय से किसी भी चीज की मांग उठी है तो उस पर पूरा रिसपोंस व जवाब दिया है। विपक्ष के नेताओं द्वारा जब किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना ठीक नहीं है। आपने जो रूलिंग दी वह बहुत उचित है जिसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने नियमों के अनुसार रूलिंग दी है। कोई घटना रिसेंट हुई हो तो उस पर नियम-67 के तहत चर्चा की जा सकती है। नियम-67 में पूरे प्रश्न काल व रोजाना सारी कार्यवाही को खतम करके चर्चा की जाती है। कोई बहुत बड़ी घटना रिसेंट में हुई हो और उसके कारण यह सब बंद किया जाए तो वह ठीक होगा। विपक्ष का वॉकआऊट होता भी या नहीं क्योंकि

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

17/09/2020/1130/MS/AS/1

संसदीय कार्य मंत्री जारी-----

जो नोटिस देता है वही पीछे से घोषणा कर देता है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं। विपक्ष के नेता खड़े ही रह जाते हैं और वे तो बेचारे अपनी बात भी नहीं कह सके। इसलिए इनके हालात देखकर माननीय अध्यक्ष जी जो आपने रुलिंग दी है उसका हम स्वागत करते हैं। जो इनका वॉकआउट है, this is uncalled for और यह वॉकआउट हिमाचल प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के ऊपर कुठाराघात है। जो लाखों रुपये ख़र्च करके प्रश्न काल के लिए सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, वह सूचना सदन को मिलनी चाहिए। ये लोग जनता की समस्याओं की परवाह न करते हुए केवल अपने नाम की सुर्खियां अख़बारों में आ जाए, इस बात के लिए इनका यह वॉकआउट रहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं।

17/09/2020/1130/MS/AS/2

प्रश्न काल आरम्भ

प्रश्न संख्याः 3214

श्री सुभाष ठाकुर(बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बी.एम.ओ. झण्डुता के लिए जो हमने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में आपने अक्तूबर में बी.एम.ओ. लगाने के लिए कहा है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि झण्डुता में 59 विभिन्न वर्गों के पद रिक्त हैं और 208 पद पूरे बिलासपुर जिला में रिक्त हैं। उसमें मैडिकल ऑफिसर्ज के 29 तथा स्टाफ नर्सिज के 24 पद रिक्त हैं। इसी तरह से अन्य श्रेणियों के पद भी रिक्त हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे जोनल अस्पताल में मैडिकल स्पैशलिस्ट की एक पोस्ट खाली है और वहां पर बहुत से मरीज़ होते हैं तथा वह दुर्घटना वाला एरिया भी है। इसलिए वहां पर मैडिकल स्पैशलिस्ट लगाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। इसके अलावा जो बाकी सी.एच.सीज. हैं वहां भी पदों को क्रिएट करने का मैं अनुरोध करता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के पद इस सरकार के

कार्यकाल में भरे गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस कद्र इस विभाग में भर्तियां हुई हैं, वह ऐतिहासिक है। दिनांक 1-1-2018 से अब तक यानी अढ़ाई वर्षों में डॉक्टर्ज के हिमाचल प्रदेश में जो पद भरे गए हैं उनकी संख्या 1128 है और यह आज तक किसी भी सरकार द्वारा भरे गए सबसे अधिकतम पदों में से हैं।

(**कांग्रेस विधायक दल के सदस्य वापिस सदन में आए**)

इसके लिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह से परिचारिकाओं के पूरे हिमाचल प्रदेश में 328 पद, पुरुष स्वास्थ्यकर्ता के 80, रेडियोग्राफर के 81, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के दो, फार्मासिस्टों के 328, ओ.टी.ए. के 35, ऑथ्थैलैमिक ऑफिसर्ज के नौ, मैडिकल लैब टैक्निशियन ग्रेड-2 के 60, प्रयोगशाला सहायकों के 159, लिपिकों के 126, कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 77, आशुलिपिकों के 18 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 130 पद भरे गए हैं। यानी विभिन्न श्रेणियों में इतनी ज्यादा भर्तियां

17/09/2020/1130/MS/AS/3

हमारी सरकार द्वारा की गई हैं। जो माननीय सदस्य ने रिक्तियों के विषय में प्रश्न उठाया है, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि पदों का भरा जाना निरन्तर प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया जारी है। जैसे ही हमें रिक्त पदों के विरूद्ध पात्र अधिकारी/कर्मचारी मिलेंगे तो जहां-जहां भी जिला बिलासपुर में पद खाली हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर भरने का प्रयास करेंगे।

अगला प्रश्न जे0के0 द्वारा---

17.09.2020/1135/JK/AS/1

प्रश्न संख्याः 3215

श्रीमती रीना कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, पच्छाद के अन्तर्गत उप-मण्डल अधिकारी कार्यालय का जो सरांह में कक्ष है, जो अभी तक राजगढ़ में स्थित होने के कारण सरांह के

वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र राजगढ़ से सरांह स्थानांतरित करें। साथ में वहां पर कर्मचारियों के काफी रिक्त पद हैं, उनको कब तक भर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रीः (प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, सरांह में नया उप-मण्डल स्वीकृत किया गया है और काम करना भी प्रारम्भ कर दिया है। दिनांक 22.08.2019 को जो अधिसूचना संख्याः जी.ए.डी.-बी (ए)1-8/2018-सिरमौर हुई है, यह अभी नया खुला है, इसके लिए 13 पद स्वीकृत हैं। राजगढ़ से सरांह को जो रिकॉर्ड ट्रांसफर होना है, जिलाधीश, सिरमौर ने उसके आदेश कर दिए हैं और बहुत शीघ्र ही वह सरांह में काम करना प्रारम्भ कर देगा। सरांह में 13 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 ही पद भरे गए हैं और 9 पद खाली हैं। **बहुत सारी रिक्विजिशन की गई हैं लेकिन कोविड के कारण अभी तक भर्तियां नहीं हो पा रही है लेकिन बहुत शीघ्र ही ये पद भर दिए जाएंगे।**

17.09.2020/1135/JK/AS/2

प्रश्न संख्याः 3216

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मंत्री महोदय ने टेबल पर रखी है that is not satisfactory. प्रश्न डालने का जो मेरा आशय था वह यह था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में जो डिज़ाइन हैं, वे ठीक नहीं हैं। उसमें न विंडो है, जिससे कि आप कूड़े को डाल सके। इसके साथ जो नीचे का भाग है, वह बिल्कुल खुला है as a result, it gets spread out और कोई भी जीव-जन्तू यानि पशु, बन्दर आयेंगे they will always take it away. जब बिल्कुल नीचे से नंगा हो, उसमें यह कहा गया था कि उस डिज़ाइन को बदला जाए। मैंने तो यहां तक कहा था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शिमला में जो डिज़ाइन है, It is a very well designed dustbin. उसको अपनाएं परन्तु ऐसा हो नहीं पाया। मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि हमें उस डिज़ाइन को ठीक करना चाहिए ताकि जो कूड़े की वज़ह से गन्दगी फैलती है और जो हम उसमें कूड़ा डालते हैं, वह कम-से-कम डिपोज़िट ठीक से हो खासकर कोरोना काल में

when touching has become a sort of crime, I must say. अगर हम बार-बार उस पूरे दरवाजे को खोलते रहेंगे और बन्द करते रहेंगे
श्री एस.एस. द्वारा जारी----

17.09.2020/1140/SS-DC/1

प्रश्न संख्या : 3216 क्रमागत :

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल क्रमागत :

उसके बजाय हमने उसमें एक विंडो का प्रावधान करने का कहा गया था। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि उस डिजाइन को ठीक किया जाए ताकि कूड़े को उसमें ठीक तरीके से डिपोजिट किया जा सके।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कंसर्न बड़ा वाज़िब है। इंफैक्ट सोलन म्युनिसिपल कमेटी ने डोर-टू-डोर गारबेज कॉलैक्ट करना प्रारम्भ किया है और 191 persons have been deployed for collecting the garbage from door to door. जिसकी माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कुल 25 डस्टबीन हैं। इंफैक्ट डस्टबीन रिमूव करके डोर-टू-डोर गारबेज कॉलैक्ट करना प्रारम्भ किया है लेकिन गारबेज जब तक गाड़ी आती है जिससे उसको ले जाया जाता है तो उसके लिए कुछ डस्टबीन ऐसे बनाए हैं जिसमें नीचे बेस होगा और उसमें जाली लगी होगी। वह केवल मात्र एक किस्म का थोड़ी देर के लिए प्रबंध है जब तक गारबेज गाड़ी में न ले जाया जाए तब तक रखने के लिए वे बनाए गए हैं। ऐसे कुल 25 डस्टबीन हैं। इनकी बात ठीक है चार ऐसे डस्टबीन हैं जिनके बेस ठीक नहीं हैं। मैं इनको उन वार्डस के बारे में बता हूं। एक ठोढो ग्राउंड के पास है, एक कोटला नाला में है, एक टैंक रोड पर है और एक नौणी में है जिसके बेस ठीक नहीं बने हैं। **आदेश हो गए हैं और उनके बेस तुरन्त ठीक कर दिये जायेंगे।** उसमें जो ऊपर का हिस्सा है उसको बार-बार खोलने के लिए खिड़कियां-दरवाजे नहीं रखे जा सकते क्योंकि फिर उसमें बंदर और आवारा कुत्ते घुस जाते हैं और गन्दगी बहुत ज्यादा फैलती है। बेसिकली वह गारबेज गाड़ी में ही जाना चाहिए लेकिन जब तक गाड़ी आती है तब तक व्यक्ति उसे पीठ पर उठाकर नहीं रख सकता। कई बार गाड़ी देर से आती है इसलिए उसे कहीं कॉलैक्ट करना पड़ता है इसके लिए व्यवस्था रखी है। **हम एंश्योर करेंगे कि ये जो चार**

डस्टबीन खराब हुए हैं इनको भी ठीक कर दिया जाए और धीरे-धीरे जो बाकी हैं उनको भी रिमूव किया जाए तथा जो डोर-टू-डोर गारबेज की कॉलैक्शन है वह प्रॉपरली सीधे गाड़ी में ही जाए। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। शिमला में भी इसी प्रकार से डोर-टू-डोर गारबेज कॉलैक्शन करते हैं और उसके बाद वह गाड़ियों में जाता है।

17.09.2020/1140/SS-DC/2

कई स्थानों में रात को कॉलैक्शन होती है और कई स्थानों पर दिन को होती है। **तो डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी का जो कंसर्न है इसको हम निश्चित तौर पर अड्रैस करेंगे और जो खराब डस्टबीन हैं उनकी मुरम्मत की जायेगी।**

डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने कंसर्न दिखाया है और खुद वार्ड के नाम गिनाये भी हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं अगर वे कॉरैक्टिव ऐक्शन लेते हैं। I am grateful for that.

17.09.2020/1140/SS-DC/3

प्रश्न संख्या : 3217

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो अटल आदर्श विद्यालय की गागल में अधिसूचना जारी की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी का बहुत-बहुत आभारी और धन्यवादी हूं। साथ ही मैं पूछना चाहूंगा कि इसके निर्माण के लिए बजट का कितना प्रावधान किया गया है और ये औपचारिकताएं कब तक पूर्ण कर दी जायेंगी? जो शिक्षा विभाग की अनदेखी की जा रही है इसके लिए मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री जारी श्रीमती के0एस0

17.09.2020/1145/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या- 3217 जारी---

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में एक नीतिगत निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर विधान सभा क्षेत्र में जहां एकलव्य विद्यालय पहले से स्थापित है, उसके अतिरिक्त आवासीय अटल आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया । इन विद्यालयों में पहाड़ी क्षेत्रों में 25 बीघा तथा मैदानी क्षेत्रों में 35 बीघा जमीन की उपलब्धता शिक्षा विभाग के पास होना अनिवार्य है। इसी के अंतर्गत बल्ह निर्वाचन क्षेत्र में गागल नामक स्थान पर 21.05.2020 को अटल आदर्श विद्यालय खोलने बारे अधिसूचना जारी कर दी गई है। यहां पर 30 बीघा भूमि शिक्षा विभाग के पास है लेकिन इस भूमि पर पहले से ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला गागल एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गागल चल रही है तथा अटल आदर्श विद्यालय के निर्माण हेतु उक्त भूमि की सीमाएं निर्धारण सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं प्रगति पर हैं। **जैसे ही इस सारी जमीन का प्रबन्ध हो जाएगा, बजट का प्रावधान करके इस काम को प्रारम्भ किया जाएगा।**

अध्यक्षः वैसे तो यह प्रश्न श्री इन्द्र सिंह जी के विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है परन्तु सुक्खु जी, आपने हाथ उठाया है तो आप बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा जो नीतिगत फैसला किया गया था, उसके द्वारा कितने विधान सभा क्षेत्रों में अटल आदर्श विद्यालय खोले गए हैं। दूसरे, इस बार के बजट में कितने पैसे का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक अटल विद्यालय खोलने के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया है?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 10 आवासीय अटल आदर्श विद्यालय तथा वर्ष 2019-20 में 15 अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए गए हैं। अभी इसका एस्टिमेट 42-43 करोड़ रुपये के करीब बनता है। तो एस्टिमेट और भूमि निर्धारण जैसे होता है, उसके मुताबिक धन का प्रावधान किया जाता है।

17.09.2020/1145/केएस/डीसी/2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सिर्फ यह था कि ये कितने विद्यालय अभी तक खोले गए हैं और इनके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? कितने

विधान सभा क्षेत्रों में अभी अटल आदर्श विद्यालय खोले गए हैं और कितने विधान सभा क्षेत्रों में शुरू हो चुके हैं, मैं इतना ही जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अभी तक कुछ जगहों पर काम प्रारम्भ हुआ है लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुए हैं। दूसरे, वर्ष 2020-21 के लिए अभी 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और अभी इसके काम कम्पलीट नहीं हुए हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठिए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप सुनिए तो सही।

शिक्षा मंत्रीः सुक्खु जी, मैंने कहा कि अभी अधिसूचित हुए हैं। अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के "ख" भाग में, राजकीय उच्च पाठशाला सरकीधार जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी अपग्रेड किया था, उसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूं लेकिन जो पूर्व में यह स्कूल चला था, आज इसमें भूमि की व्यवस्था हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि यह व्यवस्था कैसे हो पा रही है क्योंकि जमीन यहां उपलब्ध थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां जमीन की उपलब्धता नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए और इसके लिए 1,43,88,000/- रुपये का जो एस्टिमेट बनाया गया है, वह किस जमीन के तहत बनाया गया है? क्या वह जमीन वहां पर उपलब्ध है या नहीं?

जारी श्रीमती अ0व0 द्वारा---

17.9.2020/1150/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 3217---------- क्रमागत

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उचित कहा है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला सरकीधार को दिनांक 1.2.2019 को उच्च पाठशाला के रूप में अपग्रेड किया गया है। इसको स्तरोन्नत करने से पहले वहां पाठशाला के पास 6 कमरे थे। लेकिन वहां भारी बरसात के कारण पाठशाला भवन के पास की ज़मीन धंस गई है। वहां पर

एस0डी0एम0 (बल्ह) की देख-रेख में एक संयुक्त निरीक्षण हुआ है जिसमें उस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। यह मामला अभी डी0सी0, मण्डी के पास विचाराधीन है। अभी तक इस पाठशाला के पास शिक्षा विभाग के नाम पर भूमि नहीं है। वहां साथ लगती कुछ भूमि है जिसको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। माननीय सदस्य ने कहा है कि इसका एक ऐस्टिमेट लोक निर्माण विभाग, नेरचौक द्वारा तैयार किया गया है जो लगभग 1,43,88,000/- रुपये बनता है। लेकिन इसमें फॉरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 और जो इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है; इन सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस बिल्डिंग का काम शुरू किया जा सकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य इन्द्र सिंह जी, आपका प्रश्न आ गया है।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न के 'ग' व 'घ' भाग में पुस्तकालय सहायक और डी0पी0ई0 की पदोन्नति के बारे में प्रश्न करना चाह रहा हूं।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे अपने प्रश्न के 'घ' भाग में पूछा है कि क्या सरकार डी0पी0ई0 को पदोन्नति देने का विचार रखती है? तो इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि डी0पी0ई0 की सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी के पद पर रिक्तियों की उपलब्धता व नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के प्रावधान को मद्देनज़र रखते हुए समय-समय पर प्लेसमैंट करना सम्भव होगा तथा सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी के पद से सहायक निदेशक उच्च शिक्षा (शारीरिक

शिक्षा) के पद पर रिक्तियों की उपलब्धता व नियुक्ति एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पदोन्नति का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी के पद पर दस वर्ष का सेवाकाल पूरा कर सहायक निदेशक उच्च शिक्षा के पद पर पदोन्नति

का प्रावधान है और जैसे-जैसे ये समय पूरा करते जाते हैं उसके मुताबिक पदोन्नति होती जाती है।

17.9.2020/1150/av/hk/3

प्रश्न संख्या : 3218

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लगभग 255 डॉक्टर्ज इंटरव्यू के थ्रू रखे गये थे। इन सबका सेवाकाल तीन वर्ष से ऊपर हो गया है। मेरा यह प्रश्न था कि बाकी सारे रूल के मुताबिक तीन साल में नियमित हो जाते हैं और ये अपनी सेवाएं जहां-जहां सरकार चाहती है वहां-वहां दे रहे हैं। कोविड-19 में भी इनकी ड्यूटीज जहां-जहां पर लगाई गई वहां-वहां दे रहे हैं। आपने अपने उत्तर में दिया है कि वर्तमान में इन चिकित्सकों के नियमितीकरण की प्रस्तावना नहीं है। इनको कंसिडर न करने के पीछे क्या कारण है?

स्वास्थ्य **एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। नैशनल रूरल हैल्थ मिशन और नैशनल अर्बन हैल्थ मिशन को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2013 में इस मिशन को लांच किया गया था। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि यह प्रदेश सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस समय विभिन्न श्रेणियों के 1154 कर्मचारी अनुबंध आधार पर कार्यरत है।

श्री टी सी द्वारा जारी

17.09.2020/1155/टी0सी0वी0/एच0के0-1

प्रश्न संख्या 3218 ... क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ... जारी

इस मिशन के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी केन्द्र के द्वारा तय किए गए नियम और शर्तों के आधार पर नियुक्ति होती हैं । इसमें प्रदेश सरकार को कुछ भी नहीं करना होता है, केवलमात्र नियम और शर्तों के आधार पर उनको भर्ती करना होता है। इन कर्मचारियों में 244 आयुर्वेदिक और 11 दंत चिकित्सक भी शामिल हैं जिनकी नियुक्ति गत वर्ष की गई। इसके अतिरिक्त 863 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्यरत हैं। ये सभी अनुबंध और आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक स्थायी कार्यक्रम नहीं है और यह सोसाइटी मोड़ के तहत कार्य करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के पूर्वानुमोदन से कार्यक्रम की समयावधि का विस्तार करता है। अभी वर्ष 2021 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके पश्चात् प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होता है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक अस्थायी कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के न तो भर्ती एवं पदोन्नति नियम हैं और न ही स्वीकृत संवर्ग। इसलिए समझौता ज्ञापन में उन शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केवल अनुबंध या आउटसोर्स के आधार पर ही कर्मचारियों की भर्ती का प्रावधान है जिसके लिए केवल निर्धारित पारिश्रमिक अदायगी की स्वीकृति ही प्रदान की जाती है। ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं केवल एक वर्ष के लिए रखी जाती हैं जिसे प्रतिवर्ष भारत सरकार की स्वीकृति एंव कर्मचारी की कार्यकुशलता के आधार पर ही आगामी वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाता है। प्रदेश सरकार की नियमितीकरण की पॉलिसीज इस पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की ओर से निर्धारित टर्मज व कंडीशन्ज के आधार पर ये कर्मचारी तैनात होते हैं।

17.09.2020/1155/टी0सी0वी0/एच0के0-2

श्री विनय कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सभी डॉक्टर्ज की सेवाओं को देखते हुए क्या भविष्य में सरकार की ओर से इनके लिए कोई इंटरव्यू कंडैक्ट किए जाएंगे? ताकि इनको प्रदेश सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत लाया जा सकें। क्योंकि इनको न तो कोई लीव मिलती है और न ही मेडिकल बिल की अदायगी का कोई प्रावधान है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, यह प्रदेश सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह केन्द्र सरकार का कार्यक्रम है और इनकी भर्ती केन्द्र सरकार के द्वारा तय नियमों व शर्तों के अनुसार की जाती है। इसलिए इनके लिए कोई पॉलिसी बनाना संभव नहीं है।

17.09.2020/1155/टी0सी0वी0/एच0के0-3

प्रश्न संख्याः 3219

Shri Sunder Singh Thakur (Kullu): Hon'ble Speaker, Sir, the information which is laid on the Table of House, it is clearly mentioned that during the past three years बहुत सारे ठेकेदारों को रजिस्टर्ड किया गया है और इसमें यह देखा गया है कि श्री जगदीश जो स्वयं ठेकेदार है, उनका एक बेटा 2017-18 में रजिस्टर्ड होता है और उसको सरकारी काम दिए जाते हैं । वर्ष 2018-19 में अंकुश जो उनका दूसरा बेटा है, वह भी रजिस्टर्ड हो जाता है और अब तो हद हो गई है, उनकी पत्नी भी रजिस्टर्ड हो गई है। इस ठेकेदार के ये बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्या ऐसा प्रावधान है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी ठेकेदारी के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं? क्या उनकी दो जगह हाजिरी लग सकती है जबकि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। मुख्य मंत्री जी, आपने कहा था कि "जीरो टॉलरेंस अंगेस्ट क्रप्शन।" क्या आप इस मामले की जांच करेंगे?

प्रश्न काल समाप्त ।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

16.09.2020/1200/RKS/YK-1

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शहरी विकास मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6(1)(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 (01-04-2018 से 31-03-2019) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**, कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय **उद्योग मन्त्री**, कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सूचना का अधिकार एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

16.09.2020/1200/RKS/YK-2

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय सदस्य, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जब हम भोजन कर रहे थे तो उस समय पर्यटन निगम के कुछ कर्मचारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि पर्यटन निगम के कुछ कर्मचारियों को तो एक महीने की सैलरी मिल गई है लेकिन जुलाई और अगस्त माह की सैलरी कुछ कर्मचारियों को नहीं मिली है। मैंने कल भी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहा था। मैं आज पुनः आपके माध्यम से इस बात को माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पर्यटन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को पिछले महीने की उनकी रूकी हुई सैलरी दे दी जाए। क्योंकि कर्मचारियों की आय का साधन सैलरी ही होती है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी इस विषय पर कह चुका हूं कि जिन HPTDC के कर्मचारियों को बीच में सैलरी नहीं मिली थी, उनकी सैलरी जारी करने के लिए हमने वित्त विभाग को आदेश दे दिए हैं और **निश्चित रूप से यह मिल जाएगी**।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए यह भी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनके 70वें जन्मदिन पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं। वह स्वस्थ रहें, देश का नेतृत्व करते रहें और उनके नेतृत्व में यह देश आगे बढ़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस विधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य,

आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका भी आज की इस सत्र की कार्यवाही में आने पर अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

17.09.2020/1205/बी0एस0/वाई0के0/-1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।
अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं?
श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में सिविल अस्पताल राहड़ू के बारे में एक्स-रे की मशीन के बारे में बताना चाहता हूं जो पिछले छह महीने से खराब पड़ी है। यह अस्पताल रोहड़ू की जनता को ही फीड नहीं करता परंतु लगते चुनाव क्षेत्र जुब्बल और उत्तराखंड के मरीज भी वहां पर इलाज करवाने आते हैं। मैं इस बारे में प्रश्न भी लागया था। रोहड़ू सिविल अस्पताल में एक्स-रे मशीने छह महीने से खराब पड़ी हैं। ऐसी कौन सी खराबी है जो छह महीने से ठीक नहीं हो पा रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन मशीनों को जल्द-से-जल्द ठीक करवाने की कृपा करें। वहां पर प्रति दिन की 500 की ओ0पी0डी0 है।

शहरी विकास मंत्री : तभी तो वहां पर सरप्लस डॉक्ट्र्स हैं।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सर, वहां पर डॉक्ट्र्स हैं परंतु एक्स-रे की मशीने खराब पड़ी हैं। जब मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था उसके बाद आपने वहां पर डॉक्ट्र्स भेजे हैं। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वहां लोग बहुत परेशन हैं और इन मशीनों को ठीक करवाने के आदेश करें। आज की डेट में हर आदमी प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकता और न ही इतने पैसे दे सकता। डोडराक्वार तक के लोग वहां इलाज करवाने आते हैं। आज अखबार में भी यह बात आई है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी ने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र के सिविल अस्पताल राहड़ू का जिक्र किया है कि वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ चीजों की आवश्यकता है, खासतौर से इन्होंने एक्स-रे मशीन का जिक्र किया है कि वह काफी समय से खराब है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे क्योंकि राहड़ू अस्पताल में हमने इस बात को सुनिश्चत किया है कि वहां पर जो डॉक्ट्र्स के पद थे उन्हें हमने भरा है। मुझे वास्तविक जानकारी मालूम नहीं परंतु अधिकांश वहां पर

17.09.2020/1205/बी0एस0/वाई0के0/-2

भर दिए गए हैं। वहां पर हमेशा डॉक्ट्र्स के पद खाली रहते थे उस कमी को हमने पूर्ण किया है। उसके बाद यह भी बात ठीक है कि रोहड़ू का अस्पताल सिविल अस्पताल में काफी वर्कलोड वहां पर है, ओ0पी0डी0 का नम्बर भी वहां पर काफी है। जो माननीय सदस्य ने एक्स-रे मशीन की बात कही है मैं विभाग से इस बारे में जानकारी लूंगा और इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे।

17.09.2020/1205/बी0एस0/वाई0के0/-3

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रविन्द्र कुमार जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तदोपरांत माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री रविन्द्र कुमार (जयसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष जी "भू-संरक्षण विभाग पालमपुर द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत आबंटित की गई धनराशि" से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भू-संरक्षण पालमपुर के अंतर्गत चार विधान सभाएं आती हैं, पालमपुर बैजनाथ, जयसिंहपुर और माननीय अध्यक्ष जी आपका सुलह चुनाव क्षेत्र। विभिन्न मदों के अन्तर्गत विभाग द्वारा धनराशि आवंटित की जाती है मुख्यतः फ्लो इरिगेशन जो कि जयसिंहपुर के इलाके में पंचरुखी जो ब्लॉक है वहां पर इसे पलम कहा जाता है और इस इलाके में फ्लो इरिगेशन का अच्छा-खासा काम हो सकता है। लेकिन पिछले दो सालों में जो धनराशि आवंटित की गई है मुझे

लगता है कि उसमें समान तरीके से राशि का आवंटन नहीं हुआ है। इसके उपरांत वर्ष 2018, 2019 और वर्ष 2020 में भारी बरसात के कारण काफी नुकसान वहां पर हुआ था

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

17-09-2020/1210/ए.जी.-एन.जी./1

श्री रविन्द्र कुमार जारी.....

भू-सरंक्षण कार्यालय से मेरे पास सूचना है कि इस वर्ष लगभग 3.5 करोड़ रुपये धनराशि आबंटित हुई है। जिसमें से मेरे विधान सभा क्षेत्र को केवल 23 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धनराशि को एक समान आबंटन नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस आबंटन का क्या आधार रहता है? क्योंकि चारों विधानसभाओं की ट्रोपोग्राफिकल कंडिशंस लगभग एक समान हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर से जो योजनाएं विभाग के पास आई हैं उनकी लेटेस्ट स्थिति क्या है और उनके लिए कब तक धनराशि का आबंटन करेंगे?

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इसका उत्तर देंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने नियम-62 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण विषय को रखा है और यह कृषि से जुड़ा हुआ है। जिसमें कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश भू एंव जल संरक्षण कार्यो का कार्यान्वयन व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर करता है। कृषि विभाग 50 हैक्टेयर तक की विभिन्न प्रकार की लघु सिंचाई योजनाओं, जैसे-बहाव सिंचाई, उठाऊ सिंचाई, टयूबवैल, सामुदायिक टैंक सिंचाई व भू-क्षरण को रोकने हेतु इत्यादि योजनाओं का कार्यान्वयन सामुदायिक व व्यक्तिगत आधार पर कर रहा है। यदि कोई व्यक्तिगत तौर पर या सामुदायिक आधार पर आवेदन करता है तो लाभार्थी को कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके लिए हम एक टेकनिकल कमेटी बनाते हैं जो योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है। उसके बाद ग्रामीणों या लाभार्थियों का सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया जाता है। कृषि विकास संघ योजना का कार्यान्वयन विभागीय तकनीकी मार्गदर्शनों के

अनुसार करवाता है। जब कमेटी उस कार्य को करवाती है तब टेकनिकल स्वीकृति के अनुसार विभाग की देखरेख में सारा कार्य किया जाता है। इसमें अधिकांश कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा व्यक्तिगत सूक्षम सिंचाई इकाईयों को स्थापित करने के लिए विभाग 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाता है।

17-09-2020/1210/ए.जी.-एन.जी./2

व्यक्तिगत स्तर की सूक्षम सिचाई इकाईयों, कुओं टैंकों और बोरवैल आदि योजनाओं को विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ज्यादातर स्वीकृतियां लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर दी जाती हैं। हमारे प्रदेश के प्लेन एरिया, जैसे- ऊना, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा सहिब आदि क्षेत्रों में टयूबवैल लग सकते हैं और उन क्षेत्रों से मांग भी ज्यादा आती है। इसके अलावा जहां पर माइक्रो व ड्रीप इरीगेशन की ज्यादा आवश्यकता होती है तो विभाग उसके अनुसार भी कार्य करता है। माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले दो वर्षों के बजट आबंटन में असमानता है। **मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसके बारे में मैं अध्ययन करूंगा और इनकी जो भी प्राथमिकताएं हैं वह विभाग के पास लेट पहूंची हैं, उनको देखते हुए हम उस कमी को भी पूरा करेंगे।**

अध्यक्ष....श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

17/09/2020/1215/MS/AG/1

अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य चैयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री रविन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका इलाका भी आता है और मेरे पास वह सूचना थी। वर्ष 2019 में भी फ्लो इरिगेशन के अंतर्गत लगभग 109 करोड़ रुपये एक चुनाव क्षेत्र को जाते हैं और जयसिंहपुर विधान सभा को 23 लाख रुपये जाते हैं। एस.डी.आर.एफ., एन.डी.आर.एफ. या सी.आर.एफ. के अंतर्गत अब भी अढ़ाई करोड़ रुपये एक चुनाव क्षेत्र को जाते हैं और लगभग 23 लाख रुपये एक चुनाव क्षेत्र को जाते हैं। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि फण्ड्ज का डिस्ट्रिब्यूशन बराबर नहीं है। जैसे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मैं इनके आश्वासन से संतुष्ट हूं और मेरा यह अनुरोध रहेगा कि मेरी विधान सभा से संबंधित जो प्रस्ताव इनके पास लम्बित हैं, उनके लिए अति-शीघ्र धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि मैं पहले इसका अध्ययन/एग्जामिन करूंगा और जो कमी है, उसको हम पूरा करेंगे।

17/09/2020/1215/MS/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य सुरेन्द्र शौरी जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "सैंज विद्युत परियोजना से विस्थापित हुए परिवारों को रोज़गार/मुआवज़ा न मिलने" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 14 सितम्बर के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में खबर छपी; जिसमें अमर उजाला में *"दो दशक से नहीं मिला रोज़गार, विद्युत परियोजना निर्माण में प्रभावित 606 परिवारों को मुआवज़ा अभी तक नहीं मिला"।* आपका फ़ैसला अख़बार में *"आख़िर कौन सुनेगा परियोजना प्रभावितों का दर्द"।* दैनिक भास्कर में *"कोई नहीं सुनता विस्थापितों का दर्द, दो दशक बाद भी नहीं मिला पार्वती प्रभावितों को रोज़गार और मुआवज़ा"।* इसी तरह से दैनिक जागरण में छपा कि *"पार्वती परियोजना प्रभावितों ने मांगा रोज़गार"*। अध्यक्ष जी, सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने प्राथमिकता के साथ इस ख़बर को छापा है कि जिला कुल्लू की सैंज घाटी में बनी देश की महत्वाकांक्षी पार्वती जल विद्युत परियोजना स्टेज दो और तीन, जिसमें परियोजना-दो 800 मेगावाट की है और परियोजना-तीन 520 मेगावाट की है। ये परियोजनाएं आज देशभर को उजाला कर रही हैं परन्तु इस परियोजना के निर्माण के लिए अपनी ज़मीन और घर न्यौछावर करने वाले प्रभावित विस्थापित परिवारों की जिन्दगी में आज भी अंधेरा है। प्रभावित विस्थापित परिवारों ने परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्र-हित में कन्धे-से-कन्धा मिलाकर इसके निर्माण के लिए सहयोग किया और उसके बदले में उन्हें धुल, धुआं, मिट्टी और आंसुओं के सिवाये कुछ नहीं मिला।

अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 20 नवम्बर, 1998 को NHPC और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ और उसके बाद उस

समय के देश के प्रधान मंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैंज में आकर इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। फिर जहां-जहां ये परियोजनाएं बननी थीं और भूमि लगनी थी, सभी लोगों ने अपनी भूमि दी। फिर 26 अप्रैल, 2006 को एक एग्रीमैंट सरकार और NHPC के बीच में हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के अंतर्गत जितने भी परिवार आते हैं, जितने लोगों की ज़मीन लगती है,

17/09/2020/1215/MS/AG/3

उसमें से जिन लोगों के पास पांच बीघा से कम ज़मीन बचती है उनको आर.आर. प्लान के तहत रिहैब्लिटेशन एण्ड रि-सैटलमैंट के अंतर्गत स्थायी रोज़गार दिया जाएगा। इस तरह से पूरा होमवर्क करने के बाद 606 परिवार ऐसे आते हैं जिनके पास पांच बीघा से कम ज़मीन बचती है।
जारी जे0के0 द्वारा-----

17.09.2020/1220/JK/AS/1

श्री सुरेन्द्र शौरीः-----जारी-----

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 606 परिवार ऐसे आए पार्वती स्टेज-II और III ने उसमें से सिर्फ 33 लोगों को स्थाई रोजगार दिया। एन.एच.पी.सी. स्टेज- II ने 20 लोगों को दिया, एन.एच.पी.सी. स्टेज- III ने 13 लोगों को रोज़गार दिया। 606 में से 13 लोगों को रोज़गार दिया गया और उसके बाद यह रोज़गार वर्ष 2009 और 2010 में दिया गया। 33 लोगों को रोज़गार देने के बाद जो शेष 500 से अधिक लोग बचते हैं, उनके लिए वे हमेशा कहते रहे कि जब वेकेंसी होगी, तब रोज़गार दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 26.08.2014 को इसी को सैटल करने के लिए कि रोज़गार कैसे दिया जाए, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसके बाद 27.06.2015 को इसी को ले करके फिर से मीटिंग हुई जिसमें यह तय किया गया कि जो आर.आर. प्लान के तहत परिवार हैं, उनको हम रोज़गार नहीं दे सकते लेकिन एक साथ हम इस समस्या का समाधान करेंगे। उनमें न

जाने किन मानकों के आधार पर निर्णय लिया गया कि उसमें से कुछ परिवारों को जो सरकार की डेली है, उसके आधार पर 1,000 दिन का जितना पैसा बनता है, दिया जाएगा। कुछ परिवारों को भूमि के मानकों के हिसाब से कि जितनी बिस्वा के हिसाब से भूमि बनती है, उनमें से 69 लोगों को अस्थाई रोज़गार देंगे और कुछ लोगों को 2,000 दिन का रोज़गार देंगे। वर्ष 2015 में वहां के प्रभावित विस्थापित लोगों ने इसे अस्वीकार किया। आज 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, यह भी सत्य है कि वहां पर एन.एच.पी.सी. स्टेज-II और III ने 800 के करीब लोगों को रोज़गार दिया लेकिन वह आउटसोर्स के माध्यम से यानि ठेकेदार के माध्यम से दिया। उस आर.आर. प्लान में जो प्रभावित लोग थे, उनको नहीं दिया गया। यदि वहां पर आउट सोर्स से काम चलाना है तो वहां पर स्थाई रोज़गार कैसे मिल सकता है? अध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत गम्भीर है। जो लोग भूमिहीन हुए, जिनके पास भूमि बिस्वा के हिसाब से बची, वे आज आंसू बहाते हैं। उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए यह बहुत ही गंभीर मामला है और लोगों को आस है कि हमें रोज़गार मिलेगा। जब आउट सोर्स से रोज़गार मिलेगा तो स्थाई रोज़गार कैसे मिलेगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इन सब को

17.09.2020/1220/JK/AS/2

रोज़गार मिले। जिन 33 लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया, उनको आज की तरीख़ में 40,000 तक सैलरी मिल रही है। लेकिन उन्हीं के साथ जो और भूमिहीन लोग हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस बारे में जो वर्ष 2015 में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि जो पूरी तरह से भूमिहीन हैं, ऐसे 69 परिवारों को हम रोज़गार देंगे लेकिन वह रोज़गार भी अभी तक नहीं दिया गया है। उसके बाद यह फैसला हुआ कि 69 जो परिवार हैं, उनको अस्थाई रूप से महीने का पैसा देते रहेंगे और वे अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो आज से 15 साल पहले 30-35 साल का व्यक्ति था, वह आज रिटायरमैंट की उम्र का है। इसलिए हमने कहा है कि समस्या का एकरूप से समाधान होगा, तो ठीक है। जो 1,000 दिन 500 कुछ लोगों के बनते

हैं, उनको सिर्फ ढाई लाख रुपया देने का प्रावधान किया और जिनको 2000 दिन बनते है, उनको 5 लाख रुपये मिलेंगे। कहां ढाई लाख और कहां सैलरी के रूप में हर महीने 35-40 हजार रुपये उनको को मिलते हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वन टाइम सैटलमैंट किसी तरह से की जाए ताकि प्रभावित विस्थापित लोग बार-बार सड़कों पर आ करके आंदोलन न करें। वहां पर समस्या गम्भीर है। पीछे 50-60 दिन इन विस्थापित लोगों ने आंदोलन किए और इनके खिलाफ केस भी बनें लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आज प्रभावित विस्थापित लोग यह मांग करते हैं कि 1000 दिन के बजाय उनको 5-6 हजार दिन का वेतन दिया जाए ताकि 10-15 लाख रुपये की राशि एक परिवार को मिले। अढ़ाई लाख कौन स्वीकार करेगा, जिन्होंने बहुत सारी जमीन इस राष्ट्रहित के लिए, इस परियोजना के लिए दान की है? मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और मंत्री महोदय से चाहूंगा कि हम प्रभावित विस्थापित परिवारों के दर्द को समझें। जो प्रभावित परिवार हैं, जो कि 500 से अधिक संख्या में लोग हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

17.09.2020/1225/SS-AS/1

श्री सुरेन्द्र शौरी क्रमागत :

तो उनको एक साथ सैटल करने के लिए हजार दिन का जो ढ़ाई लाख रुपया बनता है उसको बढ़ा करके एक परिवार को 15-20 लाख रुपया मिले। तब जाकर स्थिति ठीक होगी और लोगों को भी लगेगा कि उनके साथ न्याय हुआ है। इस नाते अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इस समस्या का स्थाई रूप से एक-साथ कोई समाधान हो।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.09.2020/1225/SS-AS/2

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सुरेन्द्र शौरी जी ने जो सैंज में विद्युत परियोजनाएं नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन द्वारा लगाई जा रही हैं उनसे विस्थापित हुए लोगों को मुआवजा देने की बात यहां पर उठाई है। इस परियोजना में वहां तीन जल विद्युत परियोजनाएं लगनी थीं। पार्वती चरण-I 700 मैगावाट का प्रोजैक्ट था। पार्वती चरण-II 800 मैगावाट और पार्वती चरण-III 501 मैगावाट का प्रोजैक्ट था। पार्वती जो प्रथम चरण का प्रोजैक्ट था वह वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण के कारण रद्द हो चुका है। इसमें से 2014 में सैकिंड चरण का प्रोजैक्ट 501 मैगावाट का है वह बिजली का उत्पादन कर रहा है और सैकिंड चरण का जो प्रोजैक्ट है उस पर भी काम चला है। इसमें जो उस समय नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन की मैनेजमैंट और स्थानीय लोगों के बीच में समझौता हुआ उसके अनुसार विस्थापितों की तीन श्रेणियां बनाई गईं। उन तीन श्रेणियों में से "A" श्रेणी में वे लोग थे जो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उसमें 98 परिवारों का चयन किया गया। उसमें 33 परिवारों को हाइड्रो पावर कारपोरेशन के द्वारा रोज़गार दे दिया गया और उसमें से जो बचे हुए अन्य 65 परिवार थे, उनको उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी आपको स्थाई रूप से रोज़गार देने के लिए नहीं है। इसलिए हम आपको 60 साल की उम्र तक घर बैठे जो प्रदेश व केन्द्र सरकार के मिनीमम बेजिज़ हैं, उसमें से जो अधिक बेजिज़ हैं वे हम आपको 60 साल तक देंगे। उसके अनुसार अभी तक उसके बाद 3 लोगों ने आवेदन किये हैं। उसमें से एक व्यक्ति को उस स्कीम के अंतर्गत मिनीमम बेजिज़ दिये गए हैं। अभी 62 लोगों ने उसके लिए एप्लाई नहीं किया है। तीन लोगों ने एप्लाई किया और एक को स्कीम के अनुसार मिनीमम बेजिज़ दिये गए हैं तथा दो एप्लीकेशन्ज़ अवेटिड हैं। **जो "B" श्रेणी की कैटेगिरी थी, उसमें यह कहा गया कि आपको 2000 दिन का कम्पनसेशन देंगे और उस कम्पनसेशन में केवल 6 परिवार आते थे। उसमें से एक परिवार ने अभी एप्लाई किया है और बाकी परिवारों ने एप्लाई नहीं किया है। उसमें भी 2000 डेज उन परिवारों को जैसे-जैसे दिहाड़ी बढ़ती जायेगी उसके अनुसार दी जायेगी** और उसमें मैक्सिमम जो लिमिट थी वह लगभग 4.70 लाख रुपये रखी गई थी। "C" कैटेगिरी में कुल परिवारों की संख्या 505 थी। उनको 1000 दिन का रोज़गार देना था

जारी श्रीमती के0एस0

17.09.2020/1230/केएस/डीसी/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्री जारी---

उसमें से जिन 71 लोगों को एक मुश्त ढाई लाख रुपये की राशि देनी थी, उन्होंने ले ली है। 2 लोगों ने अभी सितम्बर में इसको लेने के लिए अप्लाई किया है और जिलाधीश, कुल्लू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, और उससे पहले एक बैठक 2 मार्च, 2020 को अडिशनल चीफ सैक्रेटरी, पावर की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें अब इस श्रेणी में 30 लोगों ने और आवेदन किए हैं और उनको भी यह मुआवज़ा दे दिया गया है। अब लोगों की जो मांग है, प्रभावित लोग उसमें यह कहते हैं कि जो यह 60 साल तक स्थायी रोज़गार दिया जाना है, क्योंकि केन्द्र में आयु सीमा 60 वर्ष है, उसमें जो प्रभावित परिवार बच गए हैं, क्योंकि उस समय जो परिवार के मुखिया थे, जिनको 60 वर्ष तक रोज़गार देना था, उनकी उम्र 50-52 साल हो गई है। उनको केवल 7-8 साल बैनिफिट मिलेगा। अतः उनके परिवार में से किसी अन्य सदस्य को चयनित करके इसमें रोज़गार दिया जाए, यह उनकी मांग है। और नम्बर-2 में जो 2000 दिनों का जिनको रोज़गार मिलना था, उनकी मांग यह है कि हमें मुआवजा राशि ज्यादा दी जाए क्योंकि यह बहुत कम है। सी-श्रेणी के विस्थापितों की मांग है कि जिनको 1000 दिनों का रोज़गार और अधिक से अधिक ढाई लाख रुपये की राशि एक मुश्त देनी थी, उनकी मांग यह है कि यह मुआवजा बहुत कम है अतः हमें अधिक मुआवज़ा राशि दी जाए। वर्ष 27.06.2015 को एक मैराथन बैठक हुई थी, उस समय भी कुछ मापदण्ड तय किए गए थे। उसमें ये सारी बातें आई थीं। अब जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, उनकी मैनेजमैंट यह कहती है कि हम अपने आप कोई डिसिज़न नहीं कर सकते। यह मसला हमें बी.ओ.डी. में ले जाना पड़ेगा लोगों की मांग के अनुसार वे राशि को बढ़ाकर देना चाहते हैं परन्तु अभी तक कोई ऐसा डिसिज़न बी.ओ.डी. ने नहीं लिया है परन्तु जहां तक लोगों को बेनिफिट देने की बात है, इसमें जो थर्ड स्टेज का प्रोजैक्ट पावर हाउस जनरेशन दे रहा है, उसमें वर्ष 2014-15 में जो 1000, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को

रॉयल्टी के रूप में 12 परसेंट और लोगों को मुआवज़े के रूप में टोटल जनरेशन का, जो एक साल में पैदा होती है उसका एक परसेंट मुआवजा दिया जाता

17.09.2020/1230/केएस/डीसी/2

है। उसमें 2014-15 में 01,08,10,000/- रुपये, वर्ष 2015-16 में 01,05,43,000/- रुपये, 2016-17 में 01,05,51,000/- रुपये यानि टोटल 04,08,05,000/- रुपये की राशि 1946 परिवारों को, जो वहां पर प्रभावित हैं, कैश के रूप में दी गई है। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की 05,03,17,000/- रुपये की राशि के लिए केस हाई कोर्ट में पैंडिंग है, 1946 प्रभावित परिवारों को देने के लिए । यह टोटल राशि वर्ष 2019-20 की 10,01,22,000/- रुपये बनती है। तो यह वस्तुस्थिति है। जो इस नदी के ऊपर दो प्रोजैक्ट्स लग रहे हैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.9.2020/1235/av/dc/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री--------- जारी

इसलिए जहां तक मुआवज़ा बढ़ाने की बात है तो बढ़ा हुआ मुआवज़ा लोगों को 2.50 लाख रुपये और 4.70 लाख रुपये से ज्यादा मिले तथा जिन परिवारों को अभी रोजगार नहीं मिला है, ऐसे अभी 62 परिवार हैं। उनके बच्चों को जो आगे 60 साल तक मुआवज़ा देना है उसमें उनको रिलैक्सेशन देकर दूसरे परिवार का चयन किया जाए। अब यह मामला जो मैंने पहले कहा है इसका निर्णय बी0ओ0डी0 के अंतर्गत हो सकता है। इसलिए अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए यह उस प्रोजैक्ट की वस्तुस्थिति है। जय हिन्द।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुरेन्द्र शौरी जी, आप बोल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि बी0ओ0डी0 में ले जाने के लिए सरकार पहल करे और प्रभावित विस्थापित परिवारों की मुआवज़ा राशि बढ़ाई जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य की बात बड़ी जायज है। इस प्रोजैक्ट को एन0एच0पी0सी0 बना रही है और यह केंद्र की है। हम एन0एच0पी0सी0 से वार्तालाप करके इसको बी0ओ0डी0 में लाने का प्रयास करेंगे। ये तीन बहुत छोटे-छोटे मसले हैं, 62 परिवार एक तरफ हैं और **उनके आश्रितों को 60 वर्ष तक लाभ मिल सके तथा यह राशि 2.50 लाख रुपये व 4.70 लाख रुपये से बढ़ाकर दी जाए; इस पर विचार करेंगे।**

17.9.2020/1235/av/dc/2

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य सर्वश्री राम लाल ठाकुर जी तथा राजेन्द्र राणा जी से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसलिए आप भी चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री हर्षवर्धन चौहान जी, आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

श्री हर्षवर्धन चौहान (शिलाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी पर यह सदन विचार करे। इस चर्चा में अब श्री हर्षवर्धन चौहान जी हिस्सा लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह संसार कोरोना महामारी के दौर से गुज़र रहा है जिसका प्रभाव देश के साथ-साथ हमारे प्रदेश पर भी बहुत अधिक पड़ा है। रोज़गार के साधन के साथ-साथ कारोबार भी कम हुआ है यानी इस बीमारी का प्रभाव हर आम आदमी

पर पड़ा है। हमारे देश में मार्च माह में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद रेल, एयरवेज़, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री, दुकान, रैस्टोरैंट्स, होटल यानी सारा कारोबार बंद हो गया। जिसके साथ-साथ लोगों के रोज़गार के साधन भी बंद हो गये और हिन्दुस्तान के लोगों को 4-5 महीने अपने घरों में बैठना पड़ा। आज भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र इत्यादि देश के दूसरे राज्यों में काम करते हैं। जब यह लॉकडाउन लगाया गया तो प्रदेश से बाहर रहने वाले अधिकांश लोग वापिस अपने राज्य में आए। प्रदेश के पास शायद उनका आंकड़ा नहीं होगा मगर उस दौरान प्रदेश से बाहर काम करने वाले लगभग 4-5 लाख लोग वापिस आए। कठिन दौर है और जब भी किसी देश या राज्य में कोई आपदा आती है तो लोग अपने राज्य में वापिस मुड़कर आते हैं और अपने राजा की तरफ देखते हैं कि हमें राहत प्रदान की जाए।

श्री टी सी द्वारा जारी

17.09.2020/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री हर्षवर्धन चौहान ... जारी

आज से पहले जब डेमोक्रेसी नहीं थी, राजाओं का राज था, उस व़क्त भी जब सूखा पड़ता था, बाढ़ आती थी या कोई आपदा आती थी तो प्रजा अपने राजा की ओर देखती थी और राजा उनको राहत पहुंचाता था। जब फसल नष्ट हो जाती थी तो राजा लगान को माफ या कम कर देता था और राज्य में रोजगार के साधन खोले जाते थे। आज प्रदेश की जनता सरकार से राहत की उम्मीद करती है। हिन्दुस्तान की जी0डी0पी0 पिछले 3-4 साल से गिर रही है लेकिन पिछले छह महीने में हिन्दुस्तान की जी0डी0पी0 (-) 24 प्रतिशत गिरी है। बिजली की दरें बढ़ी हैं, यह समय बिजली की दरें बढ़ाने का नहीं था, सरकार अगर साल-छह महीने इंतजार कर लेती तो कोई आसमान नहीं टूट जाता। मैं याद दिलाना चाहूंगा, वर्ष 2006 में महंगाई बढ़ गई थी, दालों के दाम 150-175 रुपये प्रति किलोग्राम हो गये थे। उस व़क्त हमारी कांग्रेस की सरकार और राजा वीरभद्र सिंह जी ने 100 करोड़ रुपये फूड सब्सिडी के रूप में हिमाचल प्रदेश की जनता को दिए और सस्ते दामों पर

जनता को दाल उपलब्ध करवाने का फैसला लिया। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन आपने कोरोना काल में वह 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी वापिस ले ली है।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ा हुआ है, एच0आरटी0सी और प्राइवेट सैक्टर की बसें बंद हैं। जैसे ही वर्ष 2017 में आपकी सरकार बनीं, आपने 25 प्रतिशत बसों का किराया बढ़ा दिया। आपने कोरोना काल के दौरान 25 प्रतिशत किराया एक बार फिर बढ़ाया है। जिन लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे, उन पर आपने एक बार फिर से बसों के किराये का भार डाल दिया है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल और एल0पी0जी0 के दाम बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम इस समय सबसे निचले स्तर

17.09.2020/1240/टी0सी0वी0/एच0के0-2

पर है। लेकिन हिन्दुस्तान में पट्रोल, डीजल और एल0पी0जी0 के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण हर चीज महंगी होती जा रही है और आम आदमी का जीना कठिन हो गया है। हिमाचल प्रदेश को पॉवर स्टेट के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की 27000 मेगावॉट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हम अभी तक 10,519 मेगावॉट बिजली जेनरेट कर चुके हैं और इसमें से 7.6 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश का शेयर है। हिमाचल प्रदेश को पॉवर स्टेट के रूप में जाना जाता है और हम बिजली के दाम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इकोनोमिकली वॉयबल रहे, इसलिए प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से बिजली बोर्ड को सब्सिडी के लिए मु0 400 करोड़ रुपये की ग्रांट दे रही थी। पिछले दो महीनों में सरकार के पास पैसों का ऐसा क्या अकाल पड़ गया कि जो सुविधाएं पूर्व की सरकारों ने जनता को दी थीं, उनको आपने एक-एक करके वापिस लेना शुरू कर दिया । आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

16.09.2020/1245/RKS/HK-1

श्री हर्षवर्धन चौहान... जारी

जो हमारे नये मंत्री बने हैं इनके मंत्री बनने से पहले ही कैबिनेट में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए थे। बिजली के दामों में 34 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। आपने युनिट के हिसाब से दाम बढ़ाकर सैक्टर में बांट दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 1 युनिट से 60 युनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। 1 युनिट से 60 युनिट तक बिजली खर्च करने पर आप 1 रुपये प्रति युनिट बिजली का बिल लेते हैं। 60 युनिट से 125 युनिट तक बिजली खर्च करने पर पहले 1.55 रुपये प्रति युनिट रेट हुआ करता था लेकिन अब आपने इसमें 30 पैसे प्रति युनिट रेट बढ़ाया है जिससे यह रेट 1.85 रुपये हो गया है। 126 युनिट से 300 युनिट तक बिजली खपत करने पर पहले 2.95 रुपये प्रति युनिट रेट होता था जिसे आपने बढ़ाकर 3.95 रुपये प्रति युनिट कर दिया है। इसमें आपने 1 रुपया प्रति युनिट दाम बढ़ाया है। 400 युनिट से ऊपर बिजली खर्च करने पर पहले 4.40 रुपये प्रति युनिट बिजली का बिल लिया जाता था लेकिन अब आपने इसका रेट 5.00 रुपये प्रति युनिट कर दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने सबसे कमजोर वर्ग के बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज हर घर में कम-से-कम 200 से 250 युनिट बिजली खपत होती है। जो आपने बिजली के दाम बढ़ाए हैं इससे हिमाचल प्रदेश का हर घर प्रभावित हुआ है। प्रदेश में बिजली की खपत बढ़ी है क्योंकि आज बच्चों की ऑन-लाइन शिक्षा मोबाइल, कम्प्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से हो रही है। अगस्त महीने में लोगों को भारी-भरकम बिजली के बिल थमा दिए गए। जिस व्यक्ति का बिल पहले 500 रुपये आता था उसका बिल 2000 रुपये आया और जिसका बिल 1000 रुपये आता था उसका बिल 6000 रुपये आया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने बिजली के दाम कितने रुपये प्रति युनिट बढ़ाए हैं? जिस तरह अगस्त महीने में बिजली के बिल आए उससे यह लगता है कि जो 400 करोड़ रुपये की सब्सिडी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को दी जाती है वह आपने वापस ले ली है। अखबारों के माध्यम से तो आप कह रहे हैं कि सरकान ने 110

करोड़ रुपये की सब्सिडी वापस ली है लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सही में कितनी सब्सिडी वापस ली है?

16.09.2020/1245/RKS/HK-2

(माननीय सभापति, श्री रमेश चंद ध्वाला पदासीन हुए।)

जो प्री-पेड कस्टर्म्ज हैं उनके लिए बिजली के दाम 2.95 रुपये से 3.95 रुपये प्रति युनिट बढ़ाए हैं। इस तरह प्री-पेड कस्टर्म्ज के लिए भी 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आपने उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और दुकानदारों की बिजली का दाम 10 प्रतिशत कम किया है। जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं, आपको उन लोगों को राहत देनी चाहिए थी। लेकिन आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों, दुकानदारों व पूंजीपतियों को राहत दे रहे हैं। यह एक चिंता का विषय है और आपको इस फैसले को वापिस लेना चाहिए। यदि आपको ऐसा करने में कोई परेशानी लग रही हैं तो कम-से-कम मार्च माह तक इस फैसले को डैफर किया जाए ताकि इस कोरोना के कहर से जो लोग परेशान हैं, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है, उनको कुछ राहत दी जा सके। बहुत सारे लोगों के पास पैसा न होने के कारण उनके बिजली के मीटर काट दिए गए हैं। सरकार का जनता के प्रति पॉजिटिव और सहानुभूतिपूर्ण रवैया होना चाहिए। यह समय जनता को राहत देने का है। सरकार को अपना खजाना भरने के लिए जनता के ऊपर नये-नये टैक्स नहीं लगाने चाहिए।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

17.09.2020/1250/बी0एस0/वाई0के0/-1

श्री हर्ष वर्धन चौहान जारी...

लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ और जो राहत, जो सब्सिडी और लाभ पूर्व की सरकारों ने लोगों को प्रदान किया हैं इस सरकार द्वारा उन लाभों को वापिस ले लिए जाएं। सभापति

महोदय, एक और बात में कहना चाहता हूं कि अभी बिजली बोर्ड में भर्तियां हुई हैं वहां पर नये 90 जे0ई0 आए हैं। हम हैरान है कि 90 में से 49 जे0ई0 उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रहे हैं। ये लोग किसकी सिफारिश से आ रहे है? क्या ये नीतिश जी की सिफारिश से आ रहे हैं या योगी जी की सिफारिश से आ रहे हैं?

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

आप ऐसे संकट के समय में हिमाचल प्रदेश के इंजीनियर हैं उनके साथ ऐसा भद्दा मजाक मत करें और उनके जो हक-हकूक हैं उनके अपने राज्य में नौकरी के जो प्रति अधिकार हैं उनको आप संरक्षित करें। आपने पहले भी सचिवालय में भर्ती की वहां भी बाहर के लोगों को नौकरियां मिली हैं। एक वर्ष पहले आपने कहा था कि नहीं-नहीं अब बंद कर दिया जाएगा और कहा कि आर0एम0पी0 रुल्ज अब चेंज कर दिए गए हैं। आपको एक समपेथिक व्यूज को ले करके हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति सही निर्णय लें और यह जो बिल बढ़े हैं इन्हे डेफर करके वापिस लें और हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.09.2020/1250/बी0एस0/वाई0के0/-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर(श्री नैना देवीजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस माननीय सदन में नियम-130 के अधीन महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य हर्ष वर्धन चौहान जी ने प्रस्तुत किया मैं उसमें अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोरोना काल में लोगों का जीना दुभर हो गया है। पिछले कुछ महीनों से जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना ने लोगों को दुःखी किया है उससे हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है यहां पर कोरोना के बाद दो प्रतिशत और अधिक बेराजगारी बढ़ी है। यह 16 प्रतिशत से अब 18 प्रतिशत तक हो गई है। इन परिस्थितियों में जैसा माननीय सदस्य हर्ष वर्धन चौहान जी ने कहा है मैं उससे आगे बढ़ कर कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और आपको याद भी

दिलाना चाहूंगा कि यह जो बिजली के बिल बढ़े हैं ये इलैक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रिकोमेंडेशन के ऊपर बढ़े हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि रेगुलेटरी कमीशन जो बातें कह दें उसको सही मान लेना यह कितना तर्कसंगत है? मैं उसके लिए उदाहरण देना चाहूंगा कि गुप्ता जी पहली बार रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैंन बने थे और उन्होंने कहा कि बिजली के बिल बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि बिजली बोर्ड को घाटा हो रहा है। उस वक्त माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री होते थे। हम भी उनकी कैबिनेट में मंत्री थे। कैबिनेट में इस विषय को ले करके आए और आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि हम इस नुकसान को लोगों के ऊपर नहीं डालेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल सरकार ने और उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने जो 100 करोड़ रुपए था उसे अपने खजाने से दिया और लोगों के ऊपर इसका बोझ नहीं डाला था। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रश्न केवल 30 पैसे बिजली का रेट बढ़ाने का नहीं है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

17-09-2020/1255/वाई.के.-एन.जी./1

श्री राम लाल ठाकुर जारी.....

बल्की अलग-अलग इंडस्ट्रीलिस्ट को अलग ढ़ंग से बढ़ाया गया है। ज्यादा बिजली जलाने वालों को अलग रेट है और मध्यम वर्ग वालों को अलग रेट हैं। इसके साथ ही यह कहा गया है कि जो 60 यूनिट तक बिजली जलाते हैं उनके रेट नहीं बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो फूल उत्पादन करते हैं उन्होंने 1000 या 500 वर्ग मीटर में ग्रीन हाऊस लगा रखे हैं जिसमें वह फूल उत्पादन का काम करते हैं। इसी प्रकार किसान भी ग्रीन हाऊस लगा कर सब्जियां पैदा करते हैं जोकि छोटे किसान होते हैं। बिजली के रेट बढ़ने से इसकी मार छोटे से लेकर बड़े तक, सभी के ऊपर पड़ी है। मेरे बिलासपुर जिला में फूल का उत्पादन करने वाले बहुत लोग हैं और कोरोना काल में उन सबका बहुत बुरा हाल हो गया है। दिल्ली, अमृतसर, चण्डीगढ़ आदि बड़ी मण्डियों में फूल बिकता था और वे सभी कोरोना के कारण बंद हो गई। उसके कारण जो किसान फूल पैदा करता था उसके फूल खेतों में ही खतम हो गए। किसानों ने विदेशों से महंगे बीजों को इम्पोर्ट किया था और उतना पैसा भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। फलोरी कल्चर की बात की जाए तो ग्रीन हाऊस में भी बिजली की खपत

होती है। ग्रीन हाऊस के लिए किसी ने बोर करवाया हुआ है तो पानी निकालने के लिए भी बिजली का उपयोग होता है। बिना पानी के तो कृषि नहीं होती इसलिए बहुत सारे किसानों ने बोर करवाकर सिंचाई का प्रबंध किया हुआ है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि वहां पर 1700 से अधिक किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेतीबाड़ी हेतु पानी निकालने के लिए बोर किए हुए हैं और बिजली के कनैक्शन लिए हुए हैं। बिजली बोर्ड ने एक ऐसा निर्णय लिया और जब किसानों के पास बिजली का बिल आया तो उन्हें कहा गया कि आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। बिजली बोर्ड ने सभी बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त 1500, 1700 या 2000 रुपये का चार्ज लगाया जिसके लिए बिजली बोर्ड द्वारा भूल-चूक का नया कंसैप्ट लाया गया है। एक कनैक्शन में तो भूल-चूक हो सकती है लेकिन क्या सभी लोगों के कनैक्शन में भूल-चूक हो गई? जिन्होंने खेतों में पानी देने के लिए बोर किया और बिजली का कनैक्शन लिया, सरकार के भी आदेश हैं कि उन्हें सबसिडी दी जाएगी, लेकिन उनके हाल यह हैं कि विभाग ने उन सभी किसानों को संड्री चार्जिस लगा दिए। संड्री चार्जिस बिजली बोर्ड का नया कंसैप्ट है और इसका मतलब मैं समझता हूं कि भूल-चूक है।

17-09-2020/1255/वाई.के.-एन.जी./2

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भूल-चूक के नाम पर हिमाचल प्रदेश के किसानों को क्यों लूटा जा रहा है? उन किसानों में अधिकतर गरीब लोग हैं जिनसे यह पैसा वसूल किया जा रहा है। आज कोरोना के कारण हर क्षेत्र में रेट बढ़े हैं। पानी का रेट भी बढ़ गया है इसके अलावा माल भाड़ा भी बढ़ गया है जिस कारण यह सरकार किसान को हर तरफ से निचोड़ने का काम कर रही है। एक ढ़ाबे वाला नौजवान सड़क किनारे खाना बेच कर अपनी कमाई कर रहा है तो आपने उस पर भी बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। ढाबे में कोई नहीं आ रहा है, होटल भी बंद पड़े हैं और जो पेइंग गेस्ट का कंसैप्ट है वह तब आएगा जब बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट आ नहीं रहा है और जो बिजली जल रही है उसके आप रेट बढ़ा रहे हैं।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

17/09/2020/1300/MS/AG/1

श्री राम लाल ठाकुर जारी---------

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक तर्कसंगत है? फिर कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हमारा पावर स्टेट है और सरप्लस स्टेट है। उपाध्यक्ष जी, जब से हमारा यह सोलर का कन्सैप्ट चला है और उनको सब्सिडी मिल रही है तो ये हमारे जितने पुराने प्रोजैक्ट्स हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना पैसा लगा, वह तकरीबन-तकरीबन उनको चलाने के लिए चाहिए यानी पुराना पैसा तकरीबन रिकवर हो चुका है। लेकिन बिजली बोर्ड का यह कैसा फॉर्मूला है कि उन सारे प्रोजैक्ट्स से जो बिजली पैदा हो रही है; क्या आपका रेगुलेटरी कमीशन का आदेश उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर हो गया है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए कि आज लोग तड़प रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और कृषक/बागवान मरता जा रहा है। आज इन परिस्थितियों में अगर आप यह महंगाई का इंजैक्शन देते ही जाएंगे तो मैं कहूंगा कि ये इंजैक्शन लोगों के लिए मौत के इंजैक्शन हैं। इसलिए कृपा करके इस बारे में सोचें। अगर मान लो जल्दबाज़ी में बिजली बोर्ड या रेगुलेटरी कमीशन से फ़ैसला हो गया है, रेगुलेटरी कमीशन ने अगर मान लो नीचे न देखकर हवा में देखा है तो मेरा निवेदन है कि कृपा करके इसके बारे में आप दुबारा से सोचें और देखें। अगर यह लोगों के हितों में फ़ैसला नहीं है तो हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि गरीब आदमी को नुकसान न हो। आज बेरोज़गार काम के लिए तड़प रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हमारे जो रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं यानी जीवन को आगे चलाने वाली चीजों पर हर जगह आप टैक्स लगा रहे हैं और किराया बढ़ा रहे हैं। आपने हर जगह 25-25 परसेंट किराये बढ़ा दिए। अब पानी और बिजली के रेट भी बढ़ा दिए।

उपाध्यक्ष जी, मेरा हिमाचल प्रदेश की सरकार से एक ही निवेदन है कि कृपा करके इस हवा के ऊपर भी टैक्स लगा दीजिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हवा ही फ्री की बची है। अन्त में मेरा यही निवेदन है कि बिजली के रेट का हमारे सर्वांगीण जीवन और हर वर्ग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसलिए इस फ़ैसले को सरकार तुरन्त वापिस ले ताकि लोगों की दिक्कतें भी कम हों।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17/09/2020/1300/MS/AG/2

उपाध्यक्ष : अब क्योंकि भोजनावकाश का समय भी हो गया है लेकिन एक और माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी की भी सूचना इसी में है। अगर सदन की अनुमति हो तो वे चर्चा में अभी भाग ले लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणा : उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के तहत बिजली की दरों में हुई बढ़ोत्तरी पर जो चर्चा यहां लाई गई है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
मेरे साथियों ने सही बात कही कि आज हम कोविड-19 के मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। आज यह महामारी पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है जिसके कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं और लोग इस समय आर्थिक तंगी के दौर से भी गुज़र रहे हैं। ऐसे दौर में अगर ऐसे फ़ैसले लिए जाएं, जैसे बिजली के दाम बढ़ा दिए या बसों के किराये बढ़ा दिए और इसके अलावा भी हर तरफ से महंगाई बढ़ी है, यह उचित नहीं है। आज लोगों के आमदनी के साधन, उनकी नौकरियां और छोटे कारोबार बन्द हो गए हैं। ऐसे दौर में मुझे लगता है कि अगर बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, जैसे 34 परसेंट बढ़ाने की बात आई है तो यह सरासर प्रदेश की जनता के साथ ज्यादती है। यह जो मीठा जहर महंगाई के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है, इससे लोग तंग हो रहे हैं। प्रदेश में लगभग जैसे आंकड़ा आया कि 23 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। उपाध्यक्ष जी, इस समय लोगों के बिजली के बिल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो बिजली के दाम बढ़ाये गए हैं और दूसरा जो सरकार के बिजली के स्लैब हैं, जैसे 60 युनिट तक रेट कम है तो बिजली विभाग के पास स्टाफ की कमी के चलते बिल उपभोक्ताओं को देरी से दिए जाते हैं और जब बिल देरी से दिये जाते हैं तो स्वाभाविक है कि युनिट बढ़ेंगे और फिर उसकी कौस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए भी दाम बढ़ रहे हैं।
जारी जे0के0 द्वारा-----

17.09.2020/1305/JK/AG/1

श्री राजेन्द्र राणाः-------जारी--------

इस बार जो लोगों को बिल आए हज़ारों में बिल आ गए, उससे लोगों के होश उड़ गए। एक तो लोगों के पास पैसा पहले ही नहीं है। ऊपर से इस तरह से दाम बढ़ा करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस दौर में डीज़ल के इतने दाम बढ़े हैं और किसान डीज़ल से सीधा-सीधा जुड़ा होता है। उसके बहुत सारे काम डीज़ल से होते हैं। डीज़ल से किसान ही नहीं आम आदमी भी प्रभावित होता है और मुझे लग रहा है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में जितने डीज़ल के दाम इस बार बढ़ाए गए, अब तो पैट्रोल और डीज़ल के दाम लगभग बराबर ही हो गए हैं। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि यहां पर बताया गया कि पहली स्लैब में 125 युनिट खर्च होने तक 1.55 रुपये चार्जिज़ होते थे, उस पर 30 पैसे बढ़ाए गए जबकि 125 से 300 युनिट तक 1 रुपया और बढ़ा दिया गया। 300 से ज्यादा पर भी 1 रुपया बढ़ाया गया। इसका जवाब तो मंत्री जी देंगे कि ये दाम कब बढ़ाए गए, जनता को तब पता लगा जब बिल आए। इसके अलावा, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक साधारण सी दुकान करने वाला व्यक्ति है, उसको 01,64,000 रुपये का बिल दे दिया गया। एक आदमी जिसकी महीने की आमदनी 4000 या 5000 रुपये है, उसको इतना ज्यादा बिल थमा दिया तो वह परेशान होगा ही क्योंकि वह इतना पैसा कहां से जमा कराएगा? सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का यह प्रवीण नामक व्यक्ति है जो कि बड़बघार गांव का रहने वाला है। इसको 01,64,533.24 रुपये का बिल आया है। लोगों को लाखों की तादाद में बिल थमाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह लोगों को परेशान करने वाला विषय है। इसके अलावा लॉक डाउन में इकट्ठे बिल आए हैं। मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पहले 7 युनिट की बजाय अब 3 या 4 महीने का बिल इकट्ठा देंगे तो स्वाभाविक है कि बिल में भी बढ़ौत्तरी होगी, ऊपर से रेट भी बढ़ाए गए हैं। आज जो बाहर से लोग यहां कोरोना की वजह से वापिस आए हैं, उनकी नौकरी चली गई, कारोबार बंद हो गए, हज़ारों/लाखों लोग पड़ोसी राज्यों, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या दूसरे प्रदेशों में नौकरियां करते थे, वापिस अपने घरों में लौटे हैं क्योंकि वे वहां असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो

17.09.2020/1305/JK/AG/2

बिल बढ़ाए गए हैं, मंहगाई लगातार बढ़ रही है और मेरे साथियों ने इस बारे में बहुत सी बातें कही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से सरकार से सिफारिश करता हूं और मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी, क्योंकि फैसला तो केबिनैट में होगा, आपने बिल बढ़ाने ही थे तो थोड़ा और इन्तज़ार कर लेते। धीरे-धीरे बढ़ाते और 5-6 महीने जब तक यह सारा सिस्टम ठीक नहीं होता, लोगों की आमदन के साधन फिर से रिवाइव नहीं होते, तब तक लोगों पर ऐसे बोझ नहीं डालने चाहिए थे। इसलिए इस फैसले को केबिनैट में ले जा कर दोबारा इस पर सरकार विचार करें और लोगों के ऊपर बिजली की दरों की बढ़ौतरी से जो अतिरिक्त बोझ पड़ा है, उस पर सरकार पुनर्विचार करके वापिस ले। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

17.09.2020/1305/JK/AG/3

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू)ः उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री राम लाल ठाकुर और श्री राजेन्द्र राणा ने रखा है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी डिटेल में बात कर दी है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि बिजली की दरों में जो कोरोना काल के दौरान बढ़ौत्तरी हुई, यह नहीं होनी चाहिए थी, यह निन्दनीय है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने बिजली की दरों में तो बढ़ौतरी की ही इसके अलावा 25 परसेंट बस का किराया भी बढ़ाया, पैट्रोल, डीज़ल व सब्जियों के दाम भी बढ़े। आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सस्ती मिले।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--

17.09.2020/1310/SS-AS/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा क्रमागत :

हर चीज़ के दाम बढ़े हैं यह निंदनीय है। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमैंट में स्टाफ की कमी है या अन्य दूसरे कारण हैं जिनकी वजह से आपका विभाग बिजली के बिल समय पर नहीं देता। बिल कभी 6 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी साल के बाद आ रहे हैं और कभी बिल ही नहीं आ रहे। अगर बिल आ भी रहे हैं तो आप हजारों रुपये में थमा रहे हैं। उससे लोगों को परेशानी हो रही है। राणा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिनका बिल 500 रुपये आता था उनको 5 से 10 हजार रुपये का बिल दे रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे केसिज भी आए जहां पर वर्षों से मकान बंद पड़े हैं, मीटर बंद पड़े हैं फिर भी आप उसमें एक हजार रुपये का बिल दे रहे हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता है।

इसके साथ-ही-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वैसे यह आपके डिपार्टमैंट की ही बात है लेकिन थोड़ी विषय से हट कर है। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूंगा। आप तो खैर अभी इस विभाग के नये मंत्री बने हैं लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में बिजली की दशा दयनीय है। आजकल सेब का सीजन है बिजली की बहुत आवश्यकता है। हमारे ग्रेडिंग, पैकिंग व अन्य किस्म की मशीनें चलती हैं लेकिन बिजली कई घंटों तक गुल रहती है और बहुत दयनीय स्थिति है। इसमें भी आप डिपार्टमैंट को थोड़ा सतर्क करें। अगर थोड़ी हल्की-सी बारिश लगेगी तो बिजली गुल हो जाती है। अगर बर्फ पड़ेगी तो फिर और भी ज्यादा परेशानी है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी कोई 10-15 दिन पहले की बात है रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में 5 दिन के बाद लाइट आई। कारण यह था कि हमारी बिजली की मेन सप्लाई रामपुर-नोगली होकर आती है वहां पर कोई तार टूट गई थी तो उसे ठीक होने में पांच दिन लगे। उन पांच दिनों में मैंने कितने टेलीफोन झेले होंगे, वह मैं ही जानता हूं। अगर मैं लोगों को यह बोलूं कि आप विभाग के पास जाओ तो वे विभाग के पास नहीं जाते। वे सीधा बोलते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है और आप विभाग को बोलो। तो आपके विभाग की इतनी दयनीय स्थिति है। सेब के पेड़ों पर तारें जा रही हैं,

उनको कोई नहीं हटा रहा। आपकी बिजली की तारें घरों की छत पर हैं और दूसरे जिसमें हम घास लगाते हैं उसके ऊपर से भी तारें जा रही हैं। इस प्रकार बहुत दयनीय स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि हमारे पास रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में तीन या चार पावर प्रोजैक्ट हैं जैसे आंध्रा प्रोजैक्ट में बिजली बन रही है, गुम्मा में बिजली बन रही है, मसली में बिजली बन रही है, दमवाड़ी में बिजली बन रही है, फिर भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। अगर बिजली मिलती है तो उसकी दरों में बढ़ोतरी होती है। इसलिए इसमें विचार करने की आवश्यकता है, यह बहुत दयनीय स्थिति है। आपने यह नहीं समझना कि मैं विपक्ष में हूं इसलिए अपोज कर रहा हूं। लेकिन यह हकीकत है। रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में बिजली विभाग की स्थिति बहुत दयनीय है। 22 के0वी0 कंट्रोल प्वाइंट कांसाकोटी नामक जगह पर बन रहा है। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि इनके समय में वह सैंक्शन हुआ था और उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। परन्तु क्या करें अभी भी उसका काम बड़ी सुस्त गति से चला है। आप उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। बाकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है इसमें विचार करने की आवश्यकता है। साथ-ही-साथ आपको अपने बिजली विभाग को चुस्त-दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। खासकर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूंगा वहां पर बिजली की बहुत दयनीय स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरह से माननीय सदस्य ने भावुक तरीके से अपना पक्ष रखा है मंत्री जी इनकी बात पर तवज्जो देंगे।

अब इस माननीय सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

17.09.2020/1425/केएस/डीसी/1

(दोपहर के भोजन के पश्चात सदन की बैठक अपराह्न 14.25 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्षः नियम-130 में चर्चा को जारी रखते हुए, अब माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट में अपना विषय रखें।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू)ः उपाध्यक्ष महोदय, बिजली दरों में बढ़ौतरी के मामले में नियम-130 के अंतर्गत जो यहां पर चर्चा हो रही है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में काफी विस्तार से बताया कि वृद्धि दर कितनी थी, कैसे-कैसे है, कौन सा स्लैब है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन उपभोक्ताओं या हिमाचल की जनता में जो एक मैसेज गया और जो उम्मीद थी, उससे बिल्कुल विपरीत बात हुई है कि ऐसे वक्त में जबकि हिमाचल की जनता यह उम्मीद कर रही थी, कि कोरोना काल में, क्योंकि उनको घरों में लॉकडाउन होना पड़ा। बिजली के इक्विपमेंट्स ज्यादा इस्तेमाल हुए। ऐसे वक्त में माना यह जा रहा था कि शायद यह 10 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इसमें कुछ मूलभूत ऐसी बातें होंगी जिनका हिमाचल की जनता को लाभ मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस पैकेज के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में समझाने में चार दिन लग गए, पावर सैक्टर की जब बात आई, उसमें इसके लिए भी कुछ प्रावधान थे। तो क्यों नहीं हमारे लोगों की जो उम्मीद थी, उसका उसमें ख्याल रखा गया? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे घरेलू उपभोक्ता तो परेशान हैं ही लेकिन उनके साथ आपके जो बिलिंग सिस्टम पर भी परेशानी है। बिलिंग सिस्टम कोरोना काल में इतना इरैगुलर हो गया है कि आज तीन-तीन, चार-चार महीने के बिल आ रहे हैं । हर जगह अलग-अलग हालात हैं और बिल हज़ारों रुपये में आ रहे हैं। एक छोटे से उपभोक्ता को भी वह पैसा देना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें देखी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन के ऊपर कहना चाहूंगा कि हमारे होटल के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, शिमला होटल एसोसिएशन है, मनाली होटल एसोसिएशन है या धर्मशाला होटल एसोसिएशन है, पूरे हिमाचल के लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जब लॉक डाउन

था, उस दौरान मैं इतना तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने उनकी डिमांड चार्जिज़ की बात मानी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

17.9.2020/1430/av/dc/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर--------- जारी

और उन्होंने डिमाण्ड चार्जिज को माफ कर दिया। अभी डिमाण्ड चार्जिज को सितम्बर माह तक माफ किया गया है मगर उसे आगे भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा जब तक कि पर्यटन सैक्टर पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ जाता। इस दौरान वहां पर जब हमारा कोई स्टाफ नहीं था या कोई दूसरी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई तो फिर भी कॉमर्शियल रेट लगाने के क्या कारण हैं? उन्हें अपनी सिक्योरिटी और स्टाफ के लिए लाईट्स जलानी पड़ी। ऐसे वक्त में मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर गौर करें। इस विभाग में अभी मंत्री जी तो नये-नये बने हैं और आते ही इनकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही बन गई है। इस पर्यटन सैक्टर के साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, दूध उत्पादन, होर्टिकल्चर जैसे हमारी बहुत सारी युनिट्स जुड़ी हई हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा बर्डन इन युनिट्स पर बिजली का ही है। इसलिए आप इस बात पर गौर कीजिए और यह कोई बहुत बड़ा अमाऊंट नहीं है जिसको हिमाचल सरकार माफ नहीं कर सकती। मेरा अनुरोध है कि इस दौरान के कम-से-कम इन कॉमर्शियल रेट्स को घरेलू रेट्स में कंवर्ट किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि बाकी विषयों पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप इस बात को भी देखिए कि हिमाचल में फ्री पावर की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। यहां पर सरप्लस पावर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा परेशानी का विषय यह है कि आपका जो यह बिजली उत्पादन का सैक्टर है इसमें चाहे हाईड्रो है या सोलर; सोलर तो आप अभी लेकर आए थे मगर हाईड्रो तो आपका पूरे-का-पूरा फेल हो रहा है। मंत्री जी, इस सैक्टर के बारे में कुछ सोचिए ताकि आपके पास इतनी फ्री पावर आए कि आप हर घर और उपभोक्ता को मुफ्त बिजली दे सकें। इसका अगर आपने उदाहरण देखना है तो आप तोश, बरशैणी और मणिकर्ण के इलाके में जाइए जहां पर एक पावर प्रोजैक्ट ने वहां गांवों के लिए फ्री पावर दे रखी है। ऐसा दूसरी जगह पर क्यों नहीं हो रहा है जहां हमारी लघुपन बिजली परियोजनाएं लग रही हैं? आप इस सैक्टर

को रिवाईव कीजिए, आपकी जो योजनाएं अधर में लटकी हैं उन्हें पूरा करवाइए और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कोरोना काल के लिए आप एक राहत पैकेज लेकर आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

17.9.2020/1420/av/dc/2

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुन्दर सिंह जी आपका भी धन्यवाद।

अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी हिस्सा लेंगे।

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी, राम लाल ठाकुर जी और राजेन्द्र राणा जी प्रस्ताव लेकर आए हैं कि 'बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी पर यह सदन विचार करें'। यहां इस विषय पर चर्चा हो रही है।

स्वाभाविक तौर पर किसी भी गम्भीर विषय पर इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमारे वरिष्ठ साथियों ने जिस प्रकार से इस विषय को यहां पर प्रस्तुत किया है कि बिजली की दरों में बहुत वृद्धि हो गई और उसके कारण बहुत बोझ बढ़ गया, गरीबों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ आपने बिजली की दरें बढ़ा दीं। इस विषय को अगर माननीय राकेश सिंघा जी रखते तो बात समझ आती क्योंकि उनकी सरकार न पहले कभी रही थी और न ही भविष्य में आने की सम्भावना है। लेकिन इस देश और हमारे प्रदेश में अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता, वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय न तो कोरोना का संकट था और न ही कोई दूसरा संकट था। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने उस समय बिजली के दाम बढ़ाये? आप यदि वर्ष 2013 से वर्ष 2014

देखेंगे तो जो उपभोक्ता शून्य से लेकर 125 युनिट तक बिजली खर्च करता था तो उस समय 20 पैसे प्रति युनिट बिजली दर बढ़ाई गई। ----------

श्री टी सी द्वारा जारी

17.09.2020/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री राकेश जम्वाल ... जारी

और वर्ष 2016-17 में 20 पैसे फिर से बढ़ाए गए। गरीब लोग जो कम बिजली का उपयोग करते हैं यानी 125 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनके लिए 40 पैसे आपने अपने कार्यकाल में बढ़ाए। इससे ऊपर 126-300 यूनिट तक वर्ष 2013-14 में 50 पैसे, वर्ष 2016-17 में 20 पैसे यानी इस दौरान कुल 70 पैसे आपने बढ़ाए। 300 से अधिक यूनिट खर्च करने पर वर्ष 2013-14 में आपने 70 पैसे, वर्ष 2015-16 में 25 पैसे और वर्ष 2016-17 में 15 पैसे बढ़ाए यानी कुल मिलाकर 110 पैसे बढ़ाए। मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उस समय ऐसा कौन-सा ऐसा संकट आ गया था, आपने गांव में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी आपने बिजली की दरों में वृद्धि कर दी। लेकिन वर्तमान में ठाकुर जय राम जी की सरकार में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मात्र 05 पैसे की वृद्धि हुई थी और आज जिस बात को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, ऐसे हालात प्रदेश में कैसे और क्यों बने? यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह कोरोना वॉयरस दुनिया को तहस-नहस कर देगा। जिसके कारण आज अमेरिका जैसे सम्पन्न देश की अर्थ-व्यवस्था भी चरमरा गई है। हमारे देश और प्रदेश की परिस्थितियां आप सब लोग जानते हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमारे 20 लाख उपभोक्ताओं में से 11 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जो अनुदान दिया जाता है, उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। गांव में जो गरीब लोग 125 यूनिट तक बिजली उपयोग करते हैं, उन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जो बिजली किसानों को एक रुपये प्रति यूनिट दी जाती थी, उसमें वर्ष 2018-19 में 25 पैसे की कमी की गई और वह 75 पैसे दी गई। वर्तमान में उसमें और कमी करते हुए 50

पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों को दी जा रही है। इसकी भी चर्चा सदन में होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से यहां पर विषय को प्रस्तुत किया गया, माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी भी चर्चा कर रहे थे लेकिन इन्होंने किसानों और गरीब जनता की बात नहीं की। इन्होंने बड़े होटल वालों की ही चर्चा की। हम चाहते हैं कि सब वर्गों का ध्यान रखा जाना चाहिए चाहे वह किसान, मजदूर या होटल वाले हों । हमारी सरकार ने इस कोरोना काल के दौरान हर प्रकार से मदद करने का प्रयास किया है और छोटे-से-छोटे वर्ग का ध्यान

17.09.2020/1435/टी0सी0वी0/एच0के0-2

रखा है। इस विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है। मैं इस बारे में लम्बी बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन में किसी विषय को लेकर आएं तो उस पर सुझाव के रूप में चर्चा करें तो वह सार्थक चर्चा होगी। लेकिन आप सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और बेवजह मुद्दा बनाएंगे, यह बात ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि पांच वर्ष के कार्यकाल में जब हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार थी, आपने जो काम किया है वह प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। उसी का परिणाम है कि आप लोग वहां (विपक्ष) में हैं। इस कोविड के दौरान भारत और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, वह देश की जनता से छिपा नहीं है। इसीलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी ने एक सर्वे करवाया और उसके अंतर्गत आदरणीय जय राम ठाकुर जी को नम्बर-1 मुख्य मंत्री घोषित किया गया। हमारी पार्टी ने इस कार्यकाल में किस प्रकार से सेवा कार्य किए, वह किसी से छिपे नहीं हैं लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो 12 करोड़ रुपये का जाली बिल बनाकर केन्द्रीय हाईकमान को प्रस्तुत किया और कहा कि हमने 12 करोड़ रुपये का प्रदेश में खर्चा किया है। ...(व्यवधान)

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

16.09.2020/1440/RKS/HK-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

(...व्यवधान) आपकी पार्टी के अध्यक्ष का। (...व्यवधान) पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि इस कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं कार्यकर्ता जिस तरह से यह काम कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, किसी को राशन की कोई कमी न हो, वहीं आप लोग कमरों में बैठकर, हाटलों के अंदर बैठकर सोशल मीडिया में अपने वीडियो लाइव कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है उस बात को प्रदेश की जनता जानती है। (...व्यवधान) इस सदन में कोविड-19 पर दो दिन तक चर्चा हुई और इस चर्चा में विपक्ष की पूरी तसल्ली करवा दी गई। (...व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि अगर कोई गंभीर मुद्दा हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन के अंदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सरकार हर बात को लेकर गंभीर है। लेकिन विपक्ष के साथियों ने जो सरकार के ऊपर आधारहीन आरोप लगाए हैं वे चिंताजनक हैं। इस विधान सभा के इतिहास में पहली बार नियम-67 के अंतर्गत दो दिन तक चर्चा हुई। जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी बारे में चर्चा की जा रही है उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण यह दाम मात्र एक वर्ष तक बढ़ाए गए हैं। इसके बाद सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और जो दाम बढ़ाए गए हैं उन्हें वापिस लिया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे सहयोगी विधायक, श्री राकेश जम्वाल जी ने कहा कि आपने सिर्फ होटल की बात की है, किसानों-बागवानों की बात नहीं की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में थे। बिल घरेलू उपभोक्ताओं के आ रहे हैं और आपने दरें भी घरेलू उपभोक्ताओं की ही बढ़ाई है। आपको इस समय एक पैसा भी नहीं बढ़ाना चाहिए था। (...व्यवधान) मैंने पहली मांग घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही की है। मैंने होटलों की बात अलग से की है। कृपया आप ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री राम लाल ठाकुर और श्री राजेन्द्र राणा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसमें भाग लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। यह प्रस्ताव बिजली की दरों में बढ़ोतरी से उत्पन्न परेशानी, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को हो रही है उसके बारे में है। जिन माननीय सदस्यों ने मुझसे पहले अपना वक्तव्य दिया उन्होंने सब कुछ कह दिया लेकिन यह नहीं बताया कि इन दरों को बढ़ाने का क्या कारण था? अभी कोरोना का झटका ही कम नहीं हुआ लेकिन आपने इसके साथ ही बिजली का 440 वोल्टेज का झटका भी दे दिया।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

17.09.2020/1445/बी0एस0/वाई0के0/-1

श्री जगत सिंह नेगी जारी...

ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहां पर लोगों को राहत देनी चाहिए वहां पर वर्तमान की सरकार चाहे वह दिल्ली के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो गरीब लोगों का आपने किसी भी प्रकार से ख्याल नहीं रखा है। हम अपने प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली जो उत्पादन कर रह हैं और इस समय सभी बड़े-बड़े कारखाने बंद पड़े हैं इसकी खपत नहीं है। इस समय बिजली की कोई भी कीमत आगे नहीं है फिर भी आप इसकी ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। आप के विचार को सही करने की आवश्यकता है। जल भी हमारा, जमीन भी हमारी, हवा भी हमारी और जो चीज हम यहां तैयार कर रहे हैं उसी चीज के आप रेट बढ़ा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने डीजल-पैट्रोल के दामों का तो रिकार्ड ही तोड़ दिया है। आज डीजल और पैट्रोल के रेट तो बराबर-बराबर हो गए हैं। आप कहते थे कि हम डीजल और पैट्रोल के दाम कम करेंगे। उसमें तो आपने रिकार्ड बना दिया है। परंतु जिस बिजली को हम यहां

पर तैयार कर रहे हैं उसी के रेट बढ़ा कर इस कोविड काल में लोगों को और भी मुसीबत में डाल दिया है। अब यहां कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 12 करोड़ रुपए का बिल दे दिया। दिल्ली में हमारा कोई इस तरह का खाता नहीं जिससे हम बिल दे देंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ कहा होगा तो प्रदेश के लोंगो की इस महामारी के काल में सहायता पहुंचाई है उस बारे में कहा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 625 से ज्यादा हमारे ब्लॉक्स हैं भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ब्लॉक्स में अपना ऑफिस खोला है हर ऑफिस की जमीन के लिए एक-एक करोड़ रुपया और बनाने के लिए तीन-तीन और पांच-पाचं करोड़ रुपया दे रहे हैं। आपके पास यह अरबों रुपया कहां से आया ? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑन लाइन ग्यारह जिलों में आपके कार्यालयों की जमीनों का करोड़ों रुपए का शिलान्यास किया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? दिल्ली में आपका 700 करोड़ रुपए का कार्यालय बना उसके लिए पैसा कहां से आया? आप तो नहीं बताएंगे। मैं आपको बताता हूं कि यह पैसा कहां से आया है। यह पैसा अदानी, अंबानी, नीरब मोदी और ललित मोदी से आया है जो हमारा पैसा खा गए और आपने जिन्हें जहाज में बिठाकर विदेशों में भेज दिया।

17.09.2020/1445/बी0एस0/वाई0के0/-2

...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि पहली बार नियम-67 पर चर्चा हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने माना है क्योंकि विपक्ष ने अपनी बात को अध्यक्ष के सामने रखा था और हमारी बात में दम था और समय की यह जरुरत थी इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसमें मंजूर किया। अगर यह कोविड इतना जरुरी नहीं होता तो मुख्य मंत्री इस पर डेढ़ घंटा सफाई नहीं देते। अगर आपने अच्छा काम किया होता तो मात्र पांच मिनट में बता देते कि हमने ऐ-ऐ कार्य जनता के लिए किए हैं। आज क्वारंटीन केन्द्रों के क्या हाल हैं? वहां जो खाना मिल रहा है वह बासी है, आपके मंत्री जी अस्पताल छोड़कर घर में वापिस आ गए वहां पर उन्हें दवाई ही नहीं मिल रही थी। आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो मजदूर आज क्वारंटीन सैंटरों में रह रहे हैं उन्हें जा करके पूछिए। हमारे साथी यहां से कोई नहीं है परंतु जो लोग वहां गए हैं उन्हें पूछें कि वहां क्या हालत है। डॉक्टर

इक्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप उन लोगों को खाना कौन सा दे रहे हैं? मेरे एक साथी कांगड़ा से आए थे उन्होंने बताया कि वहां अस्पताल में हड़ताल हो रही थी जो लोग संक्रमित हैं वे हड़ताल कर रहे हैं कि हमें सड़ा हुआ परांठा दिया जा रहा है वह भी दिन के 09:00 बजे और जो दिन का खाना है उसे शाम के 05:00 बजे और रात्रि का खाना रात 11:00 बजे दिया जा रहा है कहां से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी? वहां पर लोग मुफ्त में मर गए और अब आपने क्या किया कि आप अपने घरों में जा करके मरो। सब राम भरोसे छोड़ दिया है। आप सच्चाई से भागना चाहते हो परंतु भाग नहीं सकते। सच्चाई कड़वी होती है और उसके लक्षण आप में दिख रहे हैं।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

17-09-2020/1450/वाई.के.-एन.जी./1

श्री जगत सिंह नेगी जारी.....

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन हिमाचल में होता है और हम तो उस इलाके के हैं जहां पर पूरी सतलुज नदी पर बिजली उत्पादन हो रहा है। Local Area Development Authority (LADA) की पोलिसी में वर्ष 2012 के बाद एक संशोधन हुआ था और उसमें कहा गया था कि जब कोई बड़ा प्रोजैक्ट बनेगा तो उस Project affected area के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस कोविड काल में आप 12 लाख उपभोक्ताओं को 150, 200 या 300 यूनिट फ्री बिजली क्यों नहीं दे सकते? आपकी बिजली दिल्ली तो जा नहीं रही है, बिजली बिक भी नहीं रही है और आप उसका पैसा हमसे वसूल कर रहे हैं। कोविड काल में आप लोगों को कुछ तो राहत प्रदान कीजिए। मंहगाई अपने चर्म पर है और मोदी जी कुछ सुनते ही नहीं है। आज माननीय मोदी जी का जन्मदिन है और मुझे लगा कि कुछ तो तोहफा देंगे। आज हम उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी देश को कुछ तोहफा देंगे, पैट्रोल-डीजल का दाम कम करते या खाने-पीने की वस्तुओं के दाम कम करते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा जन्मदिन भी क्या मनाना जिसमें सबका हाल खराब है। बेहाल हालात में पूरे देश के छात्र जो बेरोजगार हैं वह मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे समय में भी बिजली के रेट में बढ़ोतरी हुई, यदि हमने कोई गलत काम किया है या हमारे काम में कोई कमी रह

गई होगी तो उसके कारण हम आज यहां पर हैं। आप भी वहीं गलतियां कर रहे हैं और आप भी बहुत जल्द हमारे स्थान पर वापिस आएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

17-09-2020/1450/वाई.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : (अनुपस्थित)

17-09-2020/1450/वाई.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार (नाचन) : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री राम लाल ठाकुर और श्री राजेन्द्र राणा इस माननीय सदन में "बिज़ली की दरों में हुई बढ़ौतरी पर यह सदन विचार करे" विषय पर प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस विषय पर मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बिजली की दरों में हुई मामूली बढ़ोतरी को लेकर मैं देख रहा था और सुन भी रहा था कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण काफी जोर से इस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे और इस माननीय सदन के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण प्रदेश की जनता को बहुत दिक्क्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी माननीय विधायकों से एक बात पूछना चाहता हूं। भाई राकेश जम्वाल जी ने ठीक कहा है कि आज के दौर जैसा समय न कभी देश को और न ही कभी प्रदेश को देखने को मिला है। लेकिन जब विपक्ष के लोगों की सरकार सत्ता में थी तब ऐसी कौन-सी आफत आ गई थी कि बिजली की दरों को बढ़ाना पड़ा? उस समय हम विपक्ष में थे और हम इसका विरोध करते रहे कि बिजली की दरों को न बढ़ाया जाए। हम कहते रहे कि किसानों को जो बिजली दी जाती है उसकी दरों को न बढ़ाया जाए लेकिन आपकी सरकार ने किसानों को दी जाने वाली बिजली के दामों को बढ़ाने का काम किया था। मैं देखा रहा था कि यहां पर

चर्चा तो बिजली को लेकर हो रही थी लेकिन उसमें कुछ अन्य विषयों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। आज माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्मदिन है और मैं इस माननीय सदन तथा हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को जन्मदिवस की ढ़ेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। होना तो यह चाहिए था

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

17/09/2020/1455/MS/AG/1

श्री विनोद कुमार जारी------

माननीय जगत सिंह नेगी जी को भी उनको जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए थी क्योंकि आपने यहां उनका ज़िक्र किया था। क्या वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही प्रधान मंत्री हैं? वे इस देश के प्रधान मंत्री हैं और इस देश के प्रधान मंत्री होने के नाते अगर आपने उनका ज़िक्र किया था तो आपको उनको जन्मदिन की बधाई देना बनता था।

यहां पर बात की गई कि 1 से लेकर 125 युनिट तक बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस बात को कौन कहता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमारे जितने भी बिजली के उपभोक्ता रहते हैं उनमें से लगभग 70 से 75 परसेंट वे गरीब लोग हैं जो केवल-और-केवल कोई 70 युनिट, कोई 100 युनिट और कोई 105 युनिट ख़र्च करता है। उनके ऊपर इस सरकार ने इस बुरे वक्त में कोई भी बोझ डालने का काम नहीं किया है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आप हमें इस बारे में समझा रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि 1 से लेकर 125 युनिट तक हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं से 1.55 रुपये लेती है। आप यहां सुझाव देने आ गये जबकि अच्छा होता अगर आप ऐसा सुझाव पंजाब सरकार को देते। आपको वहां पर सुझाव देना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, हम यहां 1 से लेकर 125 युनिट तक 1.55 रुपये लेते हैं और जहां पर कांग्रेस पार्टी या इनकी सरकार है, वहां पर 1 से लेकर 125 युनिट तक 4.49 रुपये लिए जाते हैं। इनको वहां सुझाव देना चाहिए था। लेकिन ये सुझाव यहां पर दे रहे हैं। इससे आगे मैं कहूं तो 126 से लेकर 200 युनिट तक हिमाचल प्रदेश सरकार 3.95 रुपये लेती है और

जहां पर इनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर 6.34 रुपये लेते हैं। मेरा यह कहना है कि इनको सुझाव वहां देना चाहिए था। जहां पर कुछ नहीं हुआ, वहां पर तो ये सुझाव दे रहे हैं लेकिन जहां पर इतनी भारी तादाद में बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, वहां सुझाव नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा 201 से 300 युनिट तक 3.95 रुपये हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं से लेती है लेकिन पंजाब सरकार 6.34 रुपये लेती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश की भोली-भाली जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि इस कोविड-काल में बहुत अच्छा काम प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने किया है और उसकी सराहना आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के प्रधान मंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी भी कर रहे हैं और इसीलिए बैस्ट मुख्य मंत्री का अवार्ड हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी को मिला है।

17/09/2020/1455/MS/AG/2

जो बात कोविड-19 को लेकर आई, मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। इतिहास गवाह है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में नियम-67 के अंतर्गत पहली बार हिमाचल प्रदेश में अगर चर्चा को देने का दम किसी ने रखा है तो आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने रखा है। हम भी विपक्ष में होते थे और अनेकों बार नियम-67 के अंतर्गत चर्चाएं मांगते थे लेकिन न आपमें हिम्मत थी और न ही आपके अध्यक्ष में हिम्मत थी। हमारे मुख्य मंत्री में भी हिम्मत थी और हमारे अध्यक्ष में भी हिम्मत थी और हमने अच्छे काम किये हैं इसीलिए नियम-67 के तहत आपको चर्चा मिली।

जहां तक कोविड-19 के समय में काम करने की बात है, मैं इसमें भी ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने कोविड-19 के इस दौर में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो-राय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आज भी पूरे प्रदेश में सर्वे करवाया जाये तो माननीय मुख्य मंत्री जी दो-तिहाई बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बात को मैं यहां कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात न करता हुआ, एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जारी जे0के0 द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू-----

17.09.2020/1500/JK/AG/1

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री इन्द्रदत्त लखनपाल जी भाग लेंगे।

श्री इन्द्रदत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, वरिष्ठ सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी और माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी ने बिजली की दरों में हुई बढ़ौत्तरी को लेकर यहां पर प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग आज बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष की तरफ ऊंगली उठा रहे हैं। कोविड काल में सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया यह तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता बताएगी? हम बोलेंगे तो कहेंगे कि विपक्ष के लोग विरोध करते हैं। लेकिन जनता के अन्दर क्या आवाज़ है, वह आपको जनता बता देगी, आप चिन्ता न करें। जहां तक माननीय सदस्य ने पंजाब सरकार को सुझाव देने की बात कही, आप लोग पंजाब में जा कर बोलिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको बोलिए कि वे अपने सदन में जा करके सुझाव दें। यहां हमारे प्रदेश की बात हो रही है। हम यहां पर अपने प्रदेश की बात करेंगे। हमारे प्रदेश में बिजली बनती है। श्री जगत सिंह नेगी जी ने ठीक कहा कि हमारे प्रदेश में बिजली बनती है, सीमेंट बनता है और यहीं पर ये चीजें मंहगी मिलती हैं, इसके क्या कारण हैं? आप अपने को वैल्फेयर गवर्नमैंट बोलते हैं और कहते हैं कि आपने इतिहास रचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आप लोगों को तीन साल होने जा रहे हैं। आप सीमेंट के दाम कम करते, आप बिजली के दाम कम करते, तब तो हम आप लोगों को शाबाशी देते। आप तो इनके दाम बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहां पर फिर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। एक सदस्य यहां पर कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कोविड-19 के चलते बहुत ज्यादा काम किया। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 12 करोड़ रुपये की बात करके आक्षेप लगा दिया। सरकार को शर्म होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने 12 करोड़ रुपये का

बिल नहीं मांगा है। उन्होंने हिसाब दिया है कि 12 करोड़ रुपये हमारे कांग्रेस के लोगों ने कोविड के दौर में प्रदेश के अन्दर खर्च किये हैं,

17.09.2020/1500/JK/AG/2

प्रदेश के लोगों की सहायता की है। आप लोगों ने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाया। आप लोगों ने 2 किलो चावल दिए और बड़ी-बड़ी फोटो खिंचवाई। हमने फोटों नहीं लिए। हमने लोगों के बीच में जा करके राशन दिया, मास्क दिए, सैनिटाइज़र दिए। आप सरकार की बात करते हैं, हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे थे, मास्क नहीं मिल रहे थे, हमने वहां पर जा करके दिए। पुलिस वालों को राशन हमने दिया। आप लोग क्या बात करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों ने सब कुछ किया? आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलिए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछ लीजिए कि उन्होंने वहां पर कोविड काल में क्या काम किया? हर बात को आपने राजनीतिक तरीके से, ब्यूरोक्रेसी को दबा करके आप लोगों ने हम लोगों को काम नहीं करने दिया। आप लोगों ने एफ.आई.आर. तक दर्ज करवाई और आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। पूरे देश में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता के दबाव से प्रताड़ित करने की कोशिश की। फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी के विधायकों को बधाई देना चाहूंगा, अपनी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा, श्रीमति प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने घर से बाहर निकल कर लोगों की सेवा की, बसें तक दीं और फिर आप लोगों को तकलीफ हो गई। कितनी बसें भेज दी। आप लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू करते हैं। जहां तक प्रधान मंत्री जी को बधाई देने की बात है। हमारे भी वे प्रधान मंत्री हैं, हम भी उनको बधाई देते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बिजली के करों में बढ़ौत्तरी वाले विषय पर बोलें।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बी.जे.पी. के सदस्य तो पंजाब की बात कर रहे थे, हमने तो हिमाचल की ही बात की। इन्होंने यहां पर कहा कि इतिहास में

ऐसा होगा, उसका मैंने ज़वाब दिया। जहां तक बिजली की बात है, जो दरें प्रदेश के अन्दर बढ़ाई गईं,यह ठीक कहा कि समय के साथ-साथ दरे बढ़ानी भी पड़ती हैं, हम इस बात से मना नहीं करते हैं। लेकिन जो इस समय महामारी की

17.09.2020/1500/JK/AG/3

समस्या थी, लोगों को जरूरत थी, लोगों ने सरकार को पैसा दान में दिया था। हम लोगों ने अपनी सैलरी सरकार को दी और न जाने कितने लोगों ने अपने घर से पैसा दिया। जो गरीब लोग थे, उन्होंने अपनी गुलकें तोड़ करके सरकार को पैसा दिया। सरकार ने उनको यह तोहफा दिया कि उनके बिजली के बिल बढ़ा दिए। आप बोलते हैं कि हमने बढ़ा भारी काम किया। आप लोगों ने क्या काम किया? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहां तक मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा हमारे वहां पर बिजली की समस्या इतनी ज्यादा है कि पिछले तीन साल से 132 किलो वॉट का सब स्टेशन बनना था, वह आज तक बन करके तैयार नहीं हुआ। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। आप देखिए, जो पुराने पोल चेंज होने थे, वे चेंज नहीं हो रहे हैं। जब विभाग से बात की जाती है तो वह कहता है कि हमारे पास फंडज़ नहीं है। हमारे पास फंडज़ लिमिटिड है, हम कैसे करें?

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

17.09.2020/1505/SS-AS/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल क्रमागतः

आपके जम्पर टूटे हुए हैं, आपके ट्रांसफार्मर टूटे हुए हैं। एक दिन अगर लाइट चली जाए तो वह 7-7 दिन तक नहीं आती है। बड़सर विधान सभा क्षेत्र की यह हालत है और आप बोल रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया। अब जब आप जनता के बीच में जायेंगे फिर आपको पता लगेगा कि असलियत क्या है। यहां पर आपको हरा-हरा दिखाना है क्योंकि आपने मुख्य मंत्री के सामने नम्बर बनाने हैं। आप नम्बर बनाईये जितने बना सकते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता आपको विपक्ष में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, यह बात आप ध्यान रखिये।

जहां तक मेरे अपने चुनाव क्षेत्र बड़सर की बात है, आपकी इतनी बुरी हालत है कि हर व्यक्ति को बिल भी अलग-अलग रेट से जा रहे हैं। यूनिट भी अलग-अलग जा रहे हैं और कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका भी पता नहीं है। डिवीजन के अंदर अलग रेट लग रहे हैं और सब-डिवीजन के अंदर अलग रेट लग रहे हैं। आपके पास बिजली के मीटर नहीं हैं। आप लोग कमाल करते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों को मीटर लगा रहे हैं। प्रधान मंत्री महोदय बोलते हैं कि हमने 100 फीसदी लाइट दे दी। अरे, लाइट तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हर जगह पहुंचा दी थी। इक्का-दुक्का जगह आपने लाइट पहुंचा दी है तो आप लोग उसका भी श्रेय ले रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जो आप 70 साल की बार-बार बात करते हैं जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी आज आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया आप उसके ऊपर इतना एतरा रहे हैं। आप लोगों ने खुद क्या किया? आपने सारे इंस्टिट्टयूट बेच दिये। जो सरकारी इंस्ट्टियूट्स थे वे सब बेच दिये। लोगों को भुख-नंगा कर दिया। हमारे 12-13 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। आप लोग बोल रहे हैं कि हमने बड़ा भारी काम कर दिया। आपको सबक सीखने का टाइम आ गया है और इसके लिए जनता पूरी तैयारी कर चुकी है। यह आपको जल्दी समझ आयेगा। चाहे दलित, गरीब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात हो, हर जगह आज रोष है। करूणामूलक आधार के लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। उनको आप तीन साल में कोई नौकरी नहीं दे सके और आप बोलते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया। आपने कुछ भी नहीं किया है। आज आप समाज से जुड़ी हुई जनता का एक भी काम नहीं कर रहे हैं और बंद

17.09.2020/1505/SS-AS/2

कमरे में बैठकर वर्चुअल मीटिंग्ज़ करके झूठी वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपका काम है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.09.2020/1505/SS-AS/3

अध्यक्ष : इसी के साथ यह चर्चा समाप्त होती है और अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, ठाकुर राम लाल और राजेन्द्र राणा जी जो प्रस्ताव बिजली की दरें बढ़ने पर नियम-130 के अंतर्गत चर्चा हेतु लाए हैं मैं उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)... बिल्कुल सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। 23 मार्च, 2019 को पूरे हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन लगा। रेगुलेटरी कमिशन जोकि स्वतंत्र संस्था है उसने हिमाचल प्रदेश में जुलाई 2020 में उपदान में कटौती की और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली के बिल बढ़े हैं। परन्तु माननीय सदस्यों ने अपनी बात अपने तरीके से रखी है। हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि 0 से लेकर 125 यूनिट तक बिजली के दाम बढ़े हैं। आप सब को पता है कि 1 यूनिट से लेकर 60 यूनिट तक 1.00 रुपया प्रति यूनिट दाम है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अगर कोई 61 यूनिट से लेकर 125 यूनिट तक बिजली फूंक देता है तो उसके दाम 1.55 रुपये प्रति यूनिट हो जाते हैं। उसमें भी हिमाचल प्रदेश में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट से कम बिजली की खपत करेगा तो उसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में कुल उपभोक्ता लगभग 20 लाख हैं और इस रेंज में हिमाचल प्रदेश में 11 लाख उपभोक्ता आते हैं जोकि कुल उपभोक्ताओं का 55 प्रतिशत बनते हैं। जो सैकिंड स्लैब 126 यूनिट से 200 यूनिट तक है

जारी श्रीमती के0एस0

17.09.2020/1510/केएस/एएस/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी---

उसमें हिमाचल प्रदेश में साढ़े बाइस प्रतिशत उपभोक्ता आते हैं। जिनकी संख्या साढ़े चार लाख है। इसमें 155 रुपये से दाम बढ़कर 1.85 रुपये हुए हैं, 30 पैसे की बढ़ौतरी हुई है और औसतन प्रति उपभोक्ता पर 40 रुपये से 113 रुपये प्रति माह का वजन पड़ेगा। 126 से जो 300 युनिट तक बिजली की खपत करेंगे, उसके दाम 2.95 रुपये से 3.95 रुपये हुए हैं, एक रुपया प्रति युनिट बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में 3 लाख उपभोक्ता हैं। 113 रुपये से 213 रुपये की प्रति माह बढ़ौतरी होगी। जो उपभोक्ता 300 से ऊपर बिजली की खपत करेंगे तो

उसका स्लैब क्योंकि शुरू से बदल जाता है, 0 से 125 युनिट तक उसको 30 पैसे प्रति युनिट बिजली के दाम बढ़ेंगे। 126 से 300 तक 1 रुपया प्रति युनिट बढ़ेंगे। 300 से ऊपर 60 पैसे प्रति युनिट बढ़ेंगे। उन पर 213 रुपये से 357 रुपये प्रतिमाह वजन पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश में 15 प्रतिशत हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजली के बिल तीन-तीन, चार-चार महीने के बाद आते हैं, उन पर अगला स्लैब लग जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर किसी उपभोक्ता ने 169 युनिट फूंके हैं, उसका 3 महीने का बिल नहीं आया तो 60X3=180, उसको पहले स्लैब में ही बिल आएगा। सॉफ्टवेयर कैल्कुलेट करके पहले ही स्लैब का बिल 3 महीने का कैल्कुलेट करके उसको देगा। अगर मान लो उसका बिल 300 रुपये युनिट आ जाता है तो वह 125 युनिट के स्लैब में आ जाएगा। जो उसका पहला स्लैब है, उसी हिसाब से उसका बिजली का बिल आएगा और यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा, हिमाचल प्रदेश बिजली का प्रदेश है और जो पुराने हाइडल प्रोजैक्ट्स लगे हैं, जो जनरेशन दे रहे हैं, वे फ्री हो चुके हैं इसलिए हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इनमें जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे अन्य प्रदेशों जैसे पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा या दिल्ली की तुलना में बहुत ज्यादा हैं और प्रति युनिट जो हाईडल प्रोजैक्ट में बिजली पैदा होती है, हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह का, पैंशन का जो खर्चा आता है, हिमाचल प्रदेश में वह 2.9 रुपये प्रति युनिट आता है इसलिए 2 रुपये प्रति युनिट उनका खर्चा

17.09.2020/1510/केएस/एएस/2

निकालकर आज बिजली किस रेट में बिकती है? उसके बाद मशीनरी की रिपेयर है। आपने जनरेटर लगाया है उसकी जब पांच या 10 साल में रिपेयर होगी, उसका अलग खर्च होता है। ट्रांसमिशन का खर्च होता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट तो जरूर है, हाईडल प्रोजैक्ट्स में ये खर्चे भी होते हैं। और यहां पर माननीय हषवर्धन जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने बाहर के जे.ई. भर्ती करके, कर्मचारी भर्ती करके हिमाचल प्रदेश

के हित बेच दिए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो आर.एण्ड पी. रूल पिछली सरकार ने हमें रैफर किए, वर्तमान समय में हमने उन्हीं रूल्ज़ के अंतर्गत भर्ती की है। हमने 222 जे.ईज़. के पद भरने थे, डिप्लोमा होल्डर्ज़ कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि डिग्री होल्डर्ज़ को इसमें शामिल न किया जाए। केस कोर्ट में चला गया। बाद में कोर्ट ने क्लीयरैंस दी। 222 में से हमने 214 पद भरने हैं, उसमें से 44 जे.ई. दूसरे स्टेट्स के हैं। परन्तु आपने जो हमें विरासत में चीज़ दी है, उन्हीं आर.एण्ड पी. रूल्ज़ के अनुसार हमने किया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.9.2020/1515/av/dc/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री--------- जारी

उसी आर0 एण्ड पी0 रूल्ज के अनुसार हमने नये आर0एण्ड पी0 रूल्ज हिमाचल प्रदेश में नहीं बनायें। हमने इस चीज को ध्यान में रखा और मैं इसके लिए आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने माह जुलाई, 2019 आर0 एण्ड पी0 रूल्ज में परिवर्तन किया है। भविष्य में जो भर्ती होगी उसमें बाहर का जो बच्चा मैट्रिक और प्लस टू की परीक्षा हिमाचल से पास करेगा वह उसके लिए क्वालिफाई होगा और हिमाचली क्वालिफाई होगा। आपने हमें जो डिफॉल्टर रूल दिए हमने उसमें परिवर्तन कर दिया है और उसके तहत भविष्य में हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया है। यहां पर माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने काफी बातें रखीं। इन्होंने रेगुलेटरी कमीशन के साथ-साथ अपने विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के बिल अधिक बनने की बात कही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप उनके नाम प्रेषित कीजिए, आप देंगे तो हम उस बारे में सारी जांच करवायेंगे। ...(व्यवधान) हां, संडरी चार्जिज की बात की है। मैं विधान सभा में कहना चाहूंगा कि अगर गलत संडरी चार्जिज लगे हैं तो हम उसको वापिस लेंगे। हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी यह सरकार किसान हितैषी सरकार है। आपकी सरकार के समय में किसानों को कृषि के क्षेत्र

में एक रुपया प्रति युनिट बिजली दी जाती थी और हमारी सरकार ने रिवेट देकर उसको एक रुपये से 50 पैसे प्रति युनिट किया है। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद किसानों को 50 पैसे प्रति युनिट रिवेट दिया है। इसके अतिरिक्त आप किसान को 2.70 रुपये प्रति युनिट उपदान देते थे जबकि वर्तमान सरकार प्रति किसान को 3.20 रुपये प्रति युनिट रिवेट देती है। इसमें 3.20 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं और 50 पैसे किसान अपनी ओर से जमा करवाता है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का किसानों के प्रति समर्पण है ताकि किसान आगे बढ़े। इसमें 18 करोड़ रुपये से लेकर 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रति वर्ष किसान को सिंचाई के लिए ट्यूब वैल लगाने के लिए दिए जा रहे हैं। हमने इसमें भी रिवेट दी है। ...(व्यवधान) हमने यह रिवेट दी है, वापिस नहीं

17.9.2020/1515/av/dc/2

ली। रेट तो आपने बढ़ाये थे, आपने 50 पैसे से एक रुपया किया था जब प्रदेश में आपकी सरकार थी। हमने एक रुपये से 50 पैसे कर दी। इसके अतिरिक्त हम हिमाचल प्रदेश में किसानों को 18 से 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। ...(व्यवधान) मोहन लाल ब्राक्टा जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र की यहां पर काफी बातें रखी हैं। इन्होंने कहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की लाइनें सेब के पेड़ों के ऊपर से जा रही है। वहां पर बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 1482 बिजली के पोल बदले हैं। अभी तक वर्ष 2020-21 में 302 बदल दिए हैं तथा 354 और बदलने हैं। इसमें दो राय नहीं है कि उस विधान सभा क्षेत्र में समस्याएं हैं। हमने कांसाकोटी में जिसका इन्होंने ज़िक्र किया है वहां 20के0वी0 कंट्रोल प्वाईंट जिसमें 1.38 करोड़ रुपये की राशि लगेगी, उसके बाद 20 के0वी0 कंट्रोल प्वाईंट चिड़गांव पर 1,27,33,000/- रुपये की राशि का खर्च आयेगा तथा पुजराली में 2.11 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सारे कार्यों को पूरा करके आपकी इन समस्याओं का हम मार्च, 2021 तक समाधान कर देंगे।

श्री टी सी द्वारा जारी

17.09.2020/1520/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री... जारी

आपके विधान सभा चुनाव क्षेत्र रोहडू के चिड़गांव में 220/66 के0वी0 का सब-स्टेशन 80 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। इससे नोगली की लाइन में जो बार-बार ट्रिपिंग होती है, जब यह सब-स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा और निचले वाले कंट्रोल प्वाइंट्स की व्यवस्था हो जाएगी तो रोहडू विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 80 प्रतिशत बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। जहां-जहां बिजली की समस्या ज्यादा है, आप मुझे उनके बारे में लिखित में दें। मैं विभाग को यहां से आदेश दे रहा हूं, आप जो प्रपोजल मुझे देंगे, उस समस्या का समाधान करने का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन जी ने भी इस विषय पर काफी चर्चा की क्योंकि आपको बिजली भी सिंगल लाइन से मिलती है। हमें हमीरपुर-जालन्धर-गिरी नगर-पांवटा फिर आपको बिजली जाती है। इस कारण से वोल्टेज डाउन हो जाती है क्योंकि यह इंडस्ट्रियल एरिया है। दूसरी जो 220 के0वी0 की सप्लाई है, वह गिरी नगर तक आती है। उसके एक फिडर से हम कालाअंब को सप्लाई देते हैं या 220 के0वी0 के माध्यम से गोंदपुर को दे देते हैं। जब ट्रिपिंग होती है और लो वोल्टेज की समस्या आती है तो जितने प्रभावित आप होते हैं, उतना ही प्रभावित मेरा क्षेत्र भी होता है। इसलिए हम उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपका 33 के0वी0 का सब-स्टेशन कफोटा में स्वीकृत है, उसको शीघ्र तैयार करेंगे। पावंटा में चार 33 के0वी0 के सब-स्टेशन अभी स्वीकृत हुए हैं। मैंने विभाग से चर्चा की है, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश का अंतिम छोर का जिला है जो कि उत्तराखंड के साथ लगता है। इसलिए बिजली की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं सर्वेक्षण करवा रहा हूं क्योंकि 220के0वी0 का सब-स्टेशन गोंदपुर में बनना चाहिए। हमारी 132के0वी0 लाइन कोलाल से जाती है। मैंने विभाग को आदेश दिए है कि इसका सर्वेक्षण करें कि जब गिरी

नगर की सप्लाई फेल हो जाती है तो क्या हम इससे गोंदपुर को डबल सर्किट लाइन दे सकते हैं? इंडियन टैक्नोमैक्स का 132 के0वी0 का एक सब-स्टेशन है, बिजली बोर्ड ने उनसे

17.09.2020/1520/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

बिजली के पैसे लेने हैं। यह मामला उच्च न्यायालय में है। मैं विभाग को कहना चाहता हूं कि आप उसमें इंटरविन करिए, उनसे नेगोशिएशन करें। वह 132 के0वी0 के सब-स्टेशन बिल्कुल तैयार है। हम हरिपुरधार में बिजली की समस्या का भी समाधान करेंगे। माननीय सदस्य, श्री हर्षवर्धन जी मैं आपको अपने इस टन्योर में जिला सिरमौर में बिजली की समस्या का समाधान करके दूंगा। जहां तक बिजली के दाम बढ़ाने की बात है, आप आज उधर बैठें हैं, इसलिए बैठें हैं क्योंकि आप लोग हिमाचल प्रदेश के लोगों हितैषी नहीं रहे। आपके समय भी हिमाचल प्रदेश में सरप्लस पॉवर थी। आपने अपने समय में बिजली के रेट कितने बढ़ायें हैं, यह मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको पूरी डिटेल दी है। आपने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2013 से 2017 तक 0-125 यूनिट पर 40 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाए और वर्तमान जय राम ठाकुर की सरकार ने 05 पैसे प्रति यूनिट दाम इस सलैब में बढ़ाए हैं। आपने 126-300 यूनिट तक 70 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाए और हमारी सरकार के समय में 1.50 रुपये प्रति यूनिट दाम बढ़ाये हैं। 300 से ज्यादा यूनिट पर आपने 1.10 रुपये दाम बढ़ाये और हमने 65 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाये हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ....

16.09.2020/1525/RKS/hK-1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री... जारी

आप इस सदन से लोगों को इस तरह का मैसेज देना चाहते हैं कि आपने अपने समय में बिजली का काई दाम नहीं बढ़ाया और जो भी दाम बढ़ाए हैं वे वर्तमान सरकार ने ही बढ़ाए हैं। आप यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोविड-19 के समय बिजली के दाम बढ़ाकर लोगों पर भार डाल दिया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह दाम सिर्फ एक साल के लिए बढ़ाए गए हैं और एक साल बाद हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। माननीय जगत सिंह नेगी जी ने माननीय अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के कार्योलयों और कोरोना पर ही अपना वक्तव्य पूरा कर दिया। इन्होंने बिजली की बढ़ोतरी के ऊपर कुछ भी नहीं कहा। ये यही कहते रहे कि अमित शाह जी ने इतने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण है और समय-समय पर जो हमें पार्टी की तरफ से आदेश होते हैं उनके अनुसार हम पैसे जमा करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी हम अपने खर्चे से यह सब कार्य करते हैं। हम केंद्र को भी इसका अंश भेजते हैं और वह अंश इन कार्योलयों में भी आता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए यह उन्हीं की सोच है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी इसका आइना दिखाया है। आज आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी और माननीय अमित शाह की सोच के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में बहुमत से चल रही है। (व्यवधान...) माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में हम आगामी चुनाव पूरी तरह से फतह करेंगे। इसलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए आप वहीं पर बैठेंगे जहां अभी बैठे हैं। माननीय सदस्य, इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने कहा कि 132 के.वी. सब-स्टेशन बिजड़ी का कार्य बहुत धीमी गति से चला हुआ है। मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि इस सब-

16.09.2020/1525/RKS/hK-2

स्टेशन का कार्य सितम्बर, 2020 तक पूर्ण करके यह सब-स्टेशन वहां की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मैं माननीय सुन्दर सिंह ठाकुर जी को भी बताना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड ने होटल मालिकों के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। इस तरह आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने होटल मालिकों के लिए यह बहुत बड़ी राहत दी है और इसके लिए आपको माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। (व्यवधान...) आज अन्य प्रदेशों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में बिजली के दाम काफी सस्ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 युनिट तक 1.55 रुपये, पंजाब में 4.49 रुपये, हरियाणा में 2.00 रुपये, उत्तराखंड में 2.08 रुपये और दिल्ली में 3.00 रुपये प्रति युनिट बिजली की दर है। 126 से 200 युनिट तक हिमाचल प्रदेश में 3.95 रुपये, पंजाब में 6.34 रुपये, हरियाणा में 2.50 रुपये, उत्तराखंड में 3.75 रुपये और दिल्ली में 3.00 रुपये प्रति युनिट हैं। 201 से 300 युनिट तक हिमाचल प्रदेश में 3.95 रुपये, पंजाब में 6.34 रुपये, हरियाणा में 6.00 रुपये, उत्तराखंड में 5.25 रुपये और दिल्ली में 4.50 रुपये प्रति युनिट हैं। 301 युनिट से ऊपर हिमाचल प्रदेश में 5.00 रुपये, पंजाब में 7.36 रुपये, हरियाणा में 6.90 रुपये, उत्तराखंड में 5.80 रुपये और दिल्ली में 6.50 रुपये प्रति युनिट हैं। यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में सोलर ऊर्जा के कंसैप्ट की भी शुरूआत की गई है। इस क्षेत्र में अभी तक 33 मेगावाट बिजली पैदा हुई है। भविष्य में इस क्षेत्र में बिजली के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हाइडल प्रोजैक्ट में पिछले 10-15 सालो में जितना बिजली का उत्पादन होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। हिम ऊर्जा के अंतर्गत जो प्राजैक्ट बनाए जाते हैं उनमें क्लीयरैंस की बहुत दिक्कत आती है। हम इस क्षेत्र को भी दुरुस्त करेंगे लेकिन इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रेदश पावर स्टेट बने और जो हमारे हाइडल प्रोजैक्ट्स हैं उनमें बिजली का अधिक-से-अधिक दोहन हो

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

17.09.2020/1530/बी0एस0/एच0के0/-1

बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं ऊर्जा मंत्री जारी...

हिमाचल प्रदेश मे हाइडल प्रोजैक्ट में बिजली का जो उत्पादन होना चाहिए था वह नहीं हुआ है क्योंकि जो हिमुडा में प्रोजैक्ट्स हैं उनमें कलियरेंस की बड़ी दिक्कत आती है। उनमें बहुत सी कमियां है कभी समय होगा फिर उस पर चर्चा करेंगे। उसको भी दुरुस्त करेंगे। हिमाचल पॉवर स्टेट बने, हिमाचल प्रदेश में जो हाइडल प्रोजैक्ट्स से बिजली का दोहन है वह अधिक-से-अधिक हो इस तरह की पॉलिसी हमारे आरणीय मुख्य मंत्री जी उसमें संशोधित करके काफी रिवेट आने वाले समय में देंगे ताकि एक जैसी टैरिफ उनके ऊपर लगे। प्रोजैक्ट्स की कलियरेंस जल्दी हो ताकि हिमाचल प्रदेश में बिजली का दोहन अधिक-से-अधिक हो सके हिमाचल प्रदेश के लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ मिले। इसलिए जो आपने इस सदन में नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाया है मैंने बहुत विस्तार से उसका उत्तर दे दिया है और मुझे आशा है कि आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। भविष्य में हिमाचल प्रदेश में बिजली का सुधारीकरण कैसे हो सकता है इस पर भी कार्य करेंगे। आज निजीकरण में ऐसे भी बहुत सारे प्रोजैक्ट्स हैं जिसमें आपकी गलती है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता परंतु जो निजीकरण में प्रोजैक्ट्स तैयार हो गए उनको ट्रांसमिशन की वजह से आज भी चला नहीं पा रहे हैं। उनके पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं को सुधार करके बिजली का सुधारीकरण करेंगे और हिमाचल प्रदेश को भारत का नम्बर एक पॉवर स्टेट आरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनाएंगे। इस तरह का आश्वासन देते हुए मैं आनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

17.09.2020/1530/बी0एस0/एच0के0/-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी कुछ कहेंगे?

श्री राम लाला ठाकुर : महोदय, मैं संडरी चार्जिज के बारे में माननीय मंत्री जी को लिख कर दे सकता हूं। मैं ऑन रिकार्ड इस बात को लाना चाहा रहा हूं कि नम्होल सब-डीविजन में जुखला का एरिया पड़ता है, छकोह का एरिया पड़ता है, रानी-कोटले का एरिया पड़ता है और नम्होल का एरिया पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अधिकारी यहीं पर बैठे हैं

आप अपने डीविजन बिलासपुर से सूचना मंगवा लीजिए कि नम्होल सब-डीविजन से कितने लोगों को संडरी चार्जिज का पैसा देना पड़ा है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरी भी गांव में जमीन है, मैंने भी पानी का मीटर लगा रखा है मैं 1,117/- रुपए का संडरी चार्जिज बिल 15 दिन पहले जमा करवा कर आया हूं। आप अपने अधिकारियों को आदेश करके पूरे सब-डीविजन का रिकार्ड मंगवा लीजिए। ये जो पैसा है इकट्ठा किया जा रहा है इसमें एक भी उपभोक्ता को नहीं छोड़ा गया है। दूसरा आप से मैं यह कहना चाहूंगा कि एक पत्र और सब-डीविजन को दिया गया है कि आप एडवांस कंजमशन चार्जिज जमा करवाओ। मेरे पास यह लैटर पड़ा है परंतु आप खुद इस बारे में पता करवा लीजिए कि ऐसा कोई पत्र जारी हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि 330/- रुपए से ले करके 1000/- रुपए तक उन्होंने कहा है कि यह पैसा आप 15-20 दिनों के अंदर एक्सियन बिलासपुर से कार्यालय में जमा करवा दीजिए। यह सब में रिकार्ड में ला रहा हूं इसलिए लिखित में देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि माननीय वीरभद्र सिंह के समय जो 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी हर वर्ष प्रदान की जाती थी क्या वह सब्सिडी बंद हो गई है?

17.09.2020/1530/बी0एस0/एच0के0/-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हर्ष वर्धन चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री हष वर्धन चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया है और बहुत अच्छा जवाब दिया है। यह बात भी इन्होंने मानी है कि बिजली के दाम इन्होंने पिछले समय में बढ़ाए हैं। आपने यहां जिक्र किया कि एक यूनिट से 125 यूनिट तक कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। यह आपका उत्तर गलत है। रेगुलेटरी कमीशन की साइट पर यह है कि दाम एक यूनिट से 60 यूनिट तक दाम नहीं बढ़े हैं परंतु 60 यूनिट से 125 यूनिट तक आपने 30 पैसे पर यूनिट बिजली के दाम बढ़ाए हैं। दूसरा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर आ गए हैं इनसे भी निवेदन है कि सबसे बड़ा वर्ग 125 यूनिट से 300 यूनिट वाला है। इसमें आपने जो दाम बढ़ाए हैं और मंत्री जी ने भी माना है कि उसमें आपने एक रुपया पर यूनिट दाम बढ़ाए हैं मैं चाहूंगा कि इस वर्ग को और आज हर घर में 125 यूनिट से

ज्यादा बिजली खर्च होती है आप इसमें अगर कर सकें तो आप एक रुपए से कम करके इसे 50 पैसे पर यूनिट कर दें ताकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठाकुर साहब ने जिक्र किया कि जो सब्सिडी बिजली बोर्ड में इकॉनोमिकली वाइबल हो उसके लिए समय-समय पर पिछली सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जाती थी।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

17-09-2020/1535/वाई.के.-एन.जी./1

श्री हर्षवर्धन चौहान जारी.....

और उस सबसिडी का कम्पोनेंट लगभग 400 करोड़ रुपये तक पहूंच गया है। उसमें से आपने 110 करोड़ रुपये विड्रो कर लिए हैं और जिस कारण दाम बढ़े हैं। हम माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि यदि आपने दाम बढ़ाने हैं तो उस विड्रो को 40-50 करोड़ रुपये कर दिया जाए और लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दे दिया है। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न किए हैं उन पर कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो माननीय मंत्री जी आप कह सकते हैं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस माननीय सदन में पहले ही कह दिया है लेकिन दोबारा कहना चाहूंगा कि **माननीय सदस्य श्री राम लाल जी के प्रश्न पर विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी छानबीन की जाएगी। इसका पूरा रिकॉर्ड मंगवा कर संड्री चार्जिस के बारे में एग्ज़ामिन करेंगे और पूरी छानबीन से माननीय सदस्य को अवगत करवा दिया जाएगा।** माननीय सदस्य ने कहा है कि 300 से 1000 रुपये एडवांस जमा करवाना है तो **उसके बारे में भी अधिकारियों को निदेश दे दिए गए हैं कि उसकी भी पूरी छानबीन की जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई है तो उसे सुधार किया जाएगा।** माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा है कि 0 से 60 और 61 से 125 यूनिट्स के दामों में चेंज किए गए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उसमें कोई भी चेंच नहीं किए गए हैं। 0 से 60 यूनिट खर्च करने पर एक रुपया और 61 से 125 यूनिट खर्च करने पर 1.55 रुपये लिए जा रहे हैं। यह पहले वाले ही दाम हैं इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी ने श्री प्रवीण

के बिल के बारे में बात कही है उसके लिए **मैंने विभाग के अधिकारियों को बोल दिया है कि इस मामले को एग्ज़ामिन किया जाए और यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसे सुधार कर दिया जाएगा।**

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात रखिए।

17-09-2020/1535/वाई.के.-एन.जी./2

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़सर सिविल अस्पताल है जहां पर लाइट की बहुत किल्लत है। काफी समय से विभाग के अधिकारियों से बात हो रही है लेकिन वहां पर बार-बार लाइट चली जाती है। सिविल अस्पताल में 24 घण्टे लाइट चाहिए होती है और वहां पर बार-बार ब्रेकडाउन होता रहता है जिस कारण मरीजों को बहुत परेशानी होती है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह अधिकारियों को निर्देश दें कि वहां पर बिजली की व्यवस्था को ठीक किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़सर सिविल अस्पताल की बात यहां पर की है और इस बारे में नियम-130 के तहत कोई चर्चा नहीं हुई है। **फिर भी मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि बड़सर सिविल अस्पताल में बिजली में किसी प्रकार का व्यवधान पड़ता है तो उसे शीघ्र सुधारा जाए।**

अध्यक्ष : इससे पहले की नियम-61 के अंतर्गत इस माननीय सदन में आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ हो, मैं इस माननीय सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। जैसा कि आज प्रातः माननीय मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि आज देश के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं भी अपनी ओर से तथा इस माननीय सदन की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को उनके 70वें जन्मदिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि वे लम्बे समय तक आने वाले वर्षों में देश के प्रधान मंत्री के रूप में इस महान राष्ट्र की सेवा करते रहें और हम सबको अपना नेतृत्व प्रदान करते रहें।(व्यवधान)... यह तो विपक्ष की इच्छा है, मैंने तो पूरे सदन की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई दी है। वह अपना मजबूत नेतृत्व पूरे देश और विश्व को दें, ऐसी शुभकामनाएं मैंने यहां से

प्रेषित की हैं। उसमें हमारे विपक्ष के साथी भी अपने आप को सम्मलित समझते होंगे तो वे सभी शामिल हो जाएंगे।

समाप्त/-

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

17/09/2020/1540/MS/YK/1

<u>नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा</u>

अध्यक्ष : अब नियम-61 के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी। श्री राकेश सिंघा जी दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 3050 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 3050 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूं। मैं इस सदन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। This question relates to a kind of deal by a mafia in a Forest Land. ऐसा नहीं है कि इसकी छानबीन करने का सिर्फ़ मैंने प्रयत्न किया है।। am grateful to the Former Chief Minister of Himachal Pradesh. He also made serious attempts but unfortunately even his Government was unsuccessful to find the truth of this case. इस विषय को समझने के लिए मैंने माननीय सरकार से जो प्रश्न पूछे थे, उनकी थोड़ी सी व्याख्या इसलिए करना चाहता हूं ताकि इस सदन में क्लैरिटी आए कि यह मसला किस विषय के बारे में है। मैंने तीन प्रश्न पूछे थे और उन तीनों प्रश्नों को यहां रख रहा हूं ताकि बात साफ और स्पष्ट हो जाये। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि (a) what are the provisions of Law which permit the Settlement Officer for changing the kisam of land from dense forest to Ghasni; when was the kisam of land of Kiyari Jungle under DFO Theog changed; all relevant papers be laid on the

Table of the House. (b) how many bighas of land is owned by Mahasu Trading Company, Premghat and who are the Directors of the Company and what is the share of each Director in the land sold by Madhan Princely State to Mahasu Trading Company, Premghat in the year 1964. और आख़िरी "सी" भाग है, when was the permission granted to Mahasu Trading Company, Premghat to Change the land use of Kiyari Jungle? तीन प्रश्न मैंने पूछे थे। क्योंकि मुझे जवाब संतोषजनक नहीं मिला इसलिए मैं चर्चा के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं। मैं प्रश्न के "ए"

17/09/2020/1540/MS/YK/2

भाग के जवाब में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये टैक्निकल बातें हैं लेकिन प्रश्न के "बी" और "सी" भाग का जवाब मैं यहां पर रखना चाहता हूं जिससे विषय की गंभीरता का पता चले। प्रश्न के "बी" भाग में कहा गया है, क्योंकि इसमें भूमि पूछी थी कि कितनी भूमि थी तो जवाब आया कि 'The total 387.09 bighas land was sold to Mahasu Trading Company by Thakur Devender Chand, S/o Thakur Randhir Chand through mutation No. 811 dated 05-12-1964. Record showing the details of Directors of Company and their share is not available with the Revenue Department.' सही बात है, रेवेन्यु डिपार्टमैंट के पास नहीं होगा। जो "सी" भाग में पूछा था कि किस्म किस तरीके से चेंज हुई तो कहा गया 'Revenue Department does not grant any permission to change land use except of land under "tea gardens". However, the classification has been changed by the Settlement Collector, Shimla, vide aforesaid order in a quasi judicial capacity.' अब असल में रियलिटी क्या है?

जारी जे0के0 द्वारा----

17.09.2020/1545/JK/AG/1

श्री राकेश सिंघाः------जारी-------

रियलिटी का तब पता लगता है कि यह जो भूमि थी, इसका नेचर क्या था? यह सब पता है कि जब लैंड सीलिंग एक्ट आया है, उसमें जो बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स थी, या जो उस समय के बड़े जागीरदार थे, वह सारी-की-सारी भूमि 1953 के एक्ट के तहत it vested with the State. और हमने शायद 1972 में यह लैंड रिफॉर्म एक्ट हिमाचल प्रदेश में इनैक्ट किया। बहुत से माननीय विधायक जिनकी इसमें ज़मीने गई होंगी, श्रीमती आशा कुमारी जी हैं, श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं और दूसरे भी होंगे जिनकी ज़मीनें स्टेट को vest कर गई लेकिन unfortunately this land even today continues to be with the company. कम्पनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कब डिज़ॉल्व किया, किसी को पता नहीं है लेकिन यह 375 बीघे पर कब्जा चन्द लोगों का है और वह कैसे हुआ है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। Therefore, it is a very serious matter. मैं इस बात को समझाने के लिए कि नेचर ऑफ लैंड शुरू से लेकर क्या था, इसलिए मैं रैफर करता हूं कि sale deed of 23rd day of November, 1964. मैं सिर्फ रैलीवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूं। जिससे कोई संदेह इस हाउस में न रहे कि nature of this land उस समय क्या था? यह कहता है whereas the vendor as ruler of the erstwhile State of Madhan, as recognized by the President of the Union of India became absolute and sole owner of the land measuring 390.5 bighas comprised in Khewat Number, Khatauni Number consisting of 5 kitas, Khasra Numbers 60, 392/61, 124, 126 and 131 described as *Charand* and being forestlands, not assessed to land revenue, situated at Village Kiari, Pargna Shilla, Tehsil Theog, District Mahasu. अब यह जमीन, अध्यक्ष महोदय मैं आपके ज़रिए पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह क्लीयर था, यह फोरैस्ट लैंड थी। इसमें जंगल थे। मेरे पास अभी वे दस्तावेज़ नहीं आए हैं और जितने मेरे पास मौजूद हैं। will lay it on the Table of the House today. जो आएंगे, मैं आपके ज़रिए उन्हें पेश करना चाहूंगा। मैंने बड़ा प्रयत्न किया कि जो अलग-अलग समय में पेड़ कटे, वे पूरे दस्तावेज़ मिल जाए। मैं पिछले तीन महीने से कोशिश कर रहा हूं। एक विधायक होने के नाते भी। was unable to do it. हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी उनको यदि निकाल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें कुछ इस प्रकार के माफिया हैं कि जो ज़मीन पर काम करते हैं, जंगलों में करते हैं, वह चाहे उस तरफ की सरकार हो या इस तरफ की सरकार हो, उसको आसानी से जो

17.09.2020/1545/JK/AG/2

हकीकत है, निकालना आसान नहीं होता है, यह रियलिटी है, जिस रियलिटी को हमें रिकोग्नाइज़ करना है। यह चमत्कार कैसे हो गया? यह चमत्कार हुआ है और उसको मुझे यहां पर इसलिए रखना है कि it is not settled. अगर कोर्ट में यह मसला चल रहा होता तब शायद मैं उसको नहीं रखता। मैं सिर्फ उसमें भी जो ऑर्डर का रैलीवेंट पोर्शन है, वह पढ़ना चाहता हूं। खासतौर से जो यहां पर कानून लैजिस्लेट करते हैं, वह क्लीयर हो जाए कि यहां पर क्या हो रहा है? मैं रैलीवेंट पोर्शन उस ऑर्डर का पढ़ रहा हूं जिसके तहत इसकी किस्म बदली गई। Shockingly यह किस्म बदली गई और दुरूस्तीकरण के थ्रू सैटल हुई और दुरूस्तीकरण की आप देखें कि क्या स्पीड है that

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

17.09.2020/1550/SS-AG/1

श्री राकेश सिंघा क्रमागत :

The case is filed on 10.06.2004 और इसका फैसला 8.7.2004 को दे दिया जाता है। इसमें मात्र 28 दिन के अंदर फैसला दे दिया जाता है और इस 28 दिन के अंदर भी आप समझें कि जो ऑर्डर में लिखा जाता है वह यह लिखा जाता है कि इस दुरूस्तीकरण की एप्लीकेशन को जो मान्य अधिकारी है वह कहता है कि the application was sent to the field agency for inquiry and report and the field agency has reported that the classification of the land in the Khasra Numbers so and so, उसका पूरा ज़िक्र करता है और फ़र्दर बोलता है, मैं रैलेवेंट पोरशन को कोट करूंगा - "further it has also been observed that the previous entries of the land in question is entered as *Charand* whereas there is no classification of *Charand* prescribed in the compendium of instructions for settlement with respect to the private land. अब जब हम पूरे तथ्य में जाते हैं कि ऐसी कोई क्वासिफिकेशन है तो उसका हिमाचल प्रदेश गवर्नमैंट का ऑर्डर है जिसमें क्लीयरली इस जमीन का भी ज़िक्र किया है। ये जमीन की 36 किस्में दी हैं जिसमें बाकायदा चरांद का भी ज़िक्र किया गया है। लेकिन वह चरांद "चरागाह दरख्तान" या "चरागाह बिलाह दरख्तान" के रूप में एग्जिस्ट करता है।

अध्यक्ष : माननीय सिंघा जी, यह आधे घंटे की चर्चा है और मंत्री जी ने उत्तर भी देना है।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहली दफा अटैम्प्ट कर रहा हूं। मैंने पहले भी ज़िक्र किया लेकिन we did not succeed. यह क्या लिखता है that in the absence of clear instructions it will therefore be appropriate to classify this land as *Ghasni* which appears to be more closer to the classification recorded in respect of the land in question and as per the existing corresponding of the entry in the settlement. मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने क्या किया कि जो जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आनी चाहिए थी, वह जो वैल्यू हिमाचल प्रदेश सरकार की थी, वह दी नहीं और उस पर मैसिव फैलिंग की गई। एक, दो या तीन दफा वृक्ष नहीं काटे गए बल्कि चार दफा वृक्ष काटे गए। दो दफा के जो फैक्ट्स व डिटेल हैं वे मैं इस माननीय सदन में पेश करूंगा। जब आपने सारे पेड़ काट दिये और फिर आपने किस्म बदल दी तथा किस्म किस तरीके से बदली गई यह भी मैंने आपके सामने साफ रख दिया।

17.09.2020/1550/SS-AG/2

अब जो शुरू का डाक्युमैंट कहता है कि इस पर लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाता, यह जंगल है, अब आप उस जमीन की किस्म को तबदील करना चाहते हैं जिसकी अनुमति नहीं हो सकती है। इसलिए जो जवाब सरकार की तरफ से आया है यह संतोषजनक नहीं है और ऐसे गफ़ले के अंदर जो साफ नज़र आ रहा है मैं समझता हूं कि दूध-का-दूध और पानी-का-पानी करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। This calls for an inquiry of the CBI. मैं कहता हूं कि सी0बी0आई0 की इंक्वायरी से नीचे तथ्य सामने नहीं आ पायेंगे। वह पिछली सरकार ने भी अटैम्प्ट किया और मैंने कहा कि वह दुर्भाग्यवश इस रूप में नहीं आ पाया and certain people are enjoying the fruits and loss is coming to Himachal Pradesh Government. इतनी बात कहकर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस विषय पर जैसे मैंने कहा है कि सी0बी0आई0 इंक्वायरी हो। अगर सरकार महसूस करती है कि इससे निचले स्तर की इंक्वायरी से भी बात बन सकती है तो वह करे। लेकिन दूध-का-दूध और पानी-का-पानी करने के लिए the truth must come out.

अध्यक्ष महोदय, इतना कहकर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे इस प्रश्न पर बोलने का मौका दिया।

जारी श्रीमती के0एस0

17.09.2020/1555/केएस/एएस/1

अध्यक्षः अब माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शहरी विकास मंत्री उत्तर देंगे।

Urban Development Minister (Authorized): Hon'ble Speaker, Sir, I appreciate the spirit of the Hon'ble Member लगता है इन्होंने बहुत रिसर्च की है। माननीय सदस्य ने 11.09.2020 को एक प्रश्न किया था , जिसका सब्जैक्ट था "Change of Kisum". "ए" और "बी" मैं अभी स्किप कर देता हूं। प्वाइंट "सी" में, जो इन्होंने प्रश्न पूछा था, when was the permission granted to Mahasu Trading Company, Premghat to Change the land use of Kiyari Jungle? इन्फोर्मेशन दे दी गई थी और उसमें जो हमारा प्वांइट -सी का जवाब थाः Revenue Department does not grant any permission to change land use except of land under "tea gardens". However, the classification has been changed by the Settlement Collector, Shimla, vide aforesaid order in a quasi judicial capacity. Now he has raised Half-an-Hour discussion under Rule-161 and in the notice he has stated: (i) answer to (c) जो मैंने पहले पढ़ा, is incorrect- the Settlement Collector, Shimla has only changed the kisam of land from charand to ghasni. (II) To change the land use, it was only the Himachal Pradesh Government that could have changed it. (III) It amounts to fraud and loss to the State of Himachal Pradesh which needs to be rectified. जो इन्होंने अब दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो प्वाइंट-सी है, उसमें जो प्रश्न पूछा था when was the permission granted to Mahasu Trading Company, Premghat to Change the land use of Kiyari Jungle? यह स्टार्ड क्वैश्चन था, हमने उसके जवाब में लिखा है किः it has rightly been submitted that the Revenue Department does not grant any permission to change land use except of land under "tea gardens". हम लैंड यूज़ चेंज नहीं करते। वह हमें अथॉरिटी ही नहीं है कि लैंड यूज़ चेंज कर दी जाए सिर्फ टी गार्डन को छोड़कर। सैटलमैंट कलैक्टर, शिमला ने vide his order dated 8th July, 2000, in case title as Shri Ashok Sood versus State of H.P.,

Case No. 141/2004, Shrimati Usha Sood versus State of H.P., Case No. 141/2004 and Shrimati Divya Sood versus State of H.P., Case No. 143/2004, उन्होंने सिर्फ चेंज क्लासिफिकेशन की है और वह क्वासी ज्यूडिशियल केपेसिटी में

17.09.2020/1555/केएस/एएस/2

सैटलमैंट ऑफिसर को पावर है और उसके अगेंस्ट डिविज़नल कमिशनर को, उसके बाद फाइनैंशियल कमिशर को, उनको रिविज़न हो सकता है । उन्हीं के पास रिव्यू भी कर सकते थे। अपील हो सकती है। फिर सिविल सूट होता है। सिविल सूट में अगर कोई इस प्रकार का ऑर्डर सैटलमैंट ऑफिसर ने, कलैक्टर ने, असिस्टैंट कलैक्टर ने, किसी ने भी पास किया हो तो उसके ख़िलाफ आप सिविल सूट फाइल करते हैं। अगर सिविल सूट नहीं करना है तो सीधा-सीधा under Article-226 and Article 226(1) of the Constitution of India any party can go to the Hon'ble High Court or under Article-32 to the Hon'ble Supreme Court and he can file the writ petition. जिसमें इंटरफेयर करने की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर्ज़ होती हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी???

17.9.2020/1600/av/as/1

शहरी विकास मंत्री--------- जारी

लेकिन यह वर्ष 2014 का केस है, सैटलमैंट ऑफिसर ने एक मुकदमा किया है। वह गलत भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है; ऐसे बहुत सारे मुकदमें होते हैं। नीचे अगर किसी को फांसी हो जाती है तो वह हाई कोर्ट में जाकर छूट जाता है और यदि किसी को हाई कोर्ट में सज़ा हो जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में छूट जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि निचले जज के खिलाफ अब आप सी0बी0आई0 जांच करवा दो। उसने जो भी निर्णय लिया है, वह अंडर रूल्ज और अंडर एक्ट लिया है। सैटलमैंट ऑफिसर को पावर्ज हैं, under Section-37 & 38 of the H.P. Land Revenue Act and Rules made

thereunder, any Settlement Officer he has the power to correct the entries. उसने वह कंस्टिच्यूशनल कैपेसिटी में की है, अब अगर वह गलत की गई है तो उसके विरुद्ध अपील करे। उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है और अस्सेल कर सकते हैं तथा बड़ी कोर्ट उसको हटा सकती है। यहां पर जो समय बताया है तो इसको 14 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। आज तक न तो गवर्नमैंट की तरफ से, न प्राईवेट पार्टी की तरफ से और न किसी एग्रीव्ड पार्टी की ओर से अपील की गई है। सैटलमैंट ऑफिसर ने क्वासी ज्युडिशियल कैपेसिटी में किया है तो वह रूल्ज के तहत एम्पावर्ड है। रैवन्यू केसिज में फाइनैंशियल कमीशनर हाईएस्ट ऑथोरिटी होती है। उसके निर्देशों के आधार पर ही सारी डिमार्केशन्ज होती हैं यानी फाइनैंशियल कमीशनर की इंस्ट्रक्शन्ज ही लॉ है। इसी तरह से इसमें भी दिनांक 22 अप्रैल, 2000 को फाइनैंशियल कमीशनर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि भू-व्यवस्था के समय तैयार किए जाने वाले भू-अभिलेख में वन व जंगल से संबंधित इंद्राज़ को दर्ज़ करने बारे दिशा-निर्देश। उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में भूमि पर पेड़ होने की अवस्था में लोगों की निजी भूमि की किस्म को वन या जंगल के इंद्राज़ों से दर्शाया गया है। इसी प्रकार के इंद्राज़ वर्तमान भू-व्यवस्था के दौरान भी किए जा रहे हैं। इस प्रकार के इंद्राज़ से लोगों की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इस संबंध में गहन विचार करने

17.9.2020/1600/av/as/2

के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि भू-व्यवस्था के दौरान ऐसे इंद्राज़ों के बारे निम्न प्रकार के मार्ग-निर्देशों का अनुसरण किया जाए :-

1. पिछले भू-व्यवस्था के समय वन या दरख्तान का इंद्राज़ नहीं है उसमें वन या दरख्तान का इंद्राज़ न किया जाए।

2. भू-व्यवस्था के दौरान यदि इंद्राज़ में परिवर्तन लाया गया है तो उसे पहले किए हुए भू-व्यवस्था के इंद्राज़ों के अनुसार ही रखा जाए।

3. चरागाह को चरागाह बिना दरख्तान या चरागाह दरख्तान न लिखकर 'चरागाह' ही लिखा जाए।

ऐसी सारी इंस्ट्रक्शन्ज फाइनैंशियल कमीशनर ने की हैं। सैटलमैंट क्लैक्टर के लिए जो बाईंडिंग हैं उसी के मुताबिक उन्होंने इंद्राज़ में दुरुस्ती की है और उस दुरुस्ती के मुताबिक उन्होंने क्लासिफिकेशन चेंज की है। इसीलिए हमने जो प्रश्न का जवाब दिया है वह बिल्कुल सही जवाब है। नियम-61 के अंतर्गत जो चर्चा आती है कि हमने जो जवाब गलत दे दिया उसकी क्लेरीफिकेशन आनी चाहिए या ठीक जवाब के लिए रेज़ किया जाता है तो हमने उसके मुताबिक जवाब दिया है। In this case, I must say that the Settlement Collector has changed the classification of the land in quasi judicial capacity and as such the same cannot be termed as a fraud. Moreover, if any person is aggrieved by the said order of the Settlement Collector, the same can be assailed by the way of an appeal or revision before the court of competent jurisdiction. हो सकता है कि इनकी बात ठीक हो लेकिन किसी बड़ी जगह पर किसी कोर्ट में वह अस्सेल कर दे

श्री टी सी द्वारा जारी

17.09.2020/1605/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

शहरी विकास मंत्री... जारी

क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले को सुनने का अधिकार होता है। लेकिन जो ऑर्डर एक बार पास हो गया चाहे वह किसी भी कंपीटेंट ऑफिसर ने किया होगा if he has the jurisdiction to pass that order then we are bound by that order, until and unless that is assailed in higher court इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमने जो उत्तर दिया है, वह As per records and as per set Laws वह बिल्कुल करैक्ट है और माननीय सदस्य, यदि इससे एग्रीव्ड हैं तो कंपीटेंट कोर्ट में इसको

चैलेंज करें और इस ऑर्डर को ठीक करवाएं फिर हमारा सैटलमेंट डिपार्टमैंट उसको उसके अनुसार करैक्ट कर लेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, एग्रीव्ड पार्टी ये हैं, मुझे स्टेट को डिफैंड नहीं करना है। इनको डिफैंड करना है, इनको जाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं गये। मैं तो जा ही नहीं सकता हूं , मैं तो एग्रीव्ड नहीं हूं, एग्रीव्ड तो ये हैं। I have come in the defence of the State.

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि well spirited इन्होंने ये प्रश्न किया है। वर्ष 2006 से 2020 तक कई सरकारें आई और चली गईं। यदि सरकार को नुकसान हो रहा है तो सरकार कर सकती है। लेकिन यह प्राइवेट लैंड है। It is not a Government land or public land, it is private land purchased by the person before passing of the enactment of Himachal Pradesh Tendency and Land Reforms Act of 1972 इसलिए यदि प्राइवेट लैंड में कोई डिसप्यूट होता है तो उसके लिए एग्रीव्ड सरकार नहीं होती है। जो इसमें एग्रीव्ड हैं, वह किसी कोर्ट में असेल करेगा और जो ऑर्डर कंपीटेंट कोर्ट का होगा, हम उससे बाउंड होंगे। Government is bound by any order passed by any competent Court of Law.

17.09.2020/1605/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

अध्यक्षः अब नियम-61 के अंतर्गत श्री रमेश चंद ध्वाला जी, 14 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3073 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी): अध्यक्ष महोदय, मैं 14 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3073 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठाने जा रहा हूं। यह प्रश्न चर्चा हेतु नहीं लगा था और यह लोगों के हितों के साथ जुड़ा हुआ था। आपने मुझे नियम-61 के तहत इस पर चर्चा के लिए अलाउ किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय

अध्यक्ष जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में जड़ी-बूटियों की अपार संभावनाएं हैं। मैं अक्सर यह कहता रहता हूं कि बेरोजगार युवाओं को कुछ-न-कुछ काम मिले। बेरोजगारों को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह क्वैश्चन किया था।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी....

16.09.2020/1610/RKS/dc-1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, क्या आप देशी जड़ी-बूटियों के बारे में बात करना चाह रहे हैं?

श्री रमेश चंद ध्वालाः सर, मैं देशी जड़ी-बूटियों के बारे में ही बात कर रहा हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन जड़ी-बूटियों के लिए प्रोक्योरमैंट का मैकेनिज्म बनाया जाए। केंद्र सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी इन जड़ी-बूटियों के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं। हमारे जंगलों में 10-10 हजार रुपये किलो बिकने वाली जड़ी-बूटियों पाई जाती हैं। लेकिन हमारे लोगों को इन जड़ी-बूटियों को बेचने अमृतसर या दिल्ली जाना पड़ता है। कई लोगों को तो यह पता ही नहीं होता कि इन जड़ी-बूटियों को बेचने की मार्किट कहां है? जोगिन्द्रनगर में भी एक हर्बल गार्डन तैयार किया गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप विस्तार में बताएंगे कि ये हर्बल गार्डन कहां-कहां और कितनी-कितनी भूमि में तैयार किए जा रहे हैं और इन हर्बल गार्डन्स को तैयार करने के लिए कितनी-कितनी राशि दी गई है? मेरा वन मंत्री जी से भी आग्रह है कि वह भी एक योजना बनाएं जिसमें प्रदेश के बेरोजगार युवकों को जंगलों से जड़ी-बूटियां इकट्ठा करने के लिए लाइसैंस दिए जाएं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्तमान में किसानों-बागवानों को क्या इंसैंटिव दिया जा रहा है? मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि जहां-जहां सरकारी भूमि है वहां पर वन विभाग की अनुमति से हर्बल गार्डन या जड़ी-बूटियां लगाई जाएं ताकि हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इससे सरकार को भी काफी रॉयल्टी मिलेगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो लोग इन जड़ी-बूटियों का कारोबार करते हैं। इसी कारोबार से आज उनके पास कम-से-कम 2-2 करोड़ रुपये हैं। अगर हम अपने बच्चों को भी इस काम की ओर आकर्षित करेंगे तो इससे काफी बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। यह

जो हिमाचल प्रदेश की संपदा है इसमें चोरी और लोगों के साथ चीटिंग भी की जाती है। क्योंकि लोगों को इसकी मार्किटिंग का पता ही नहीं होता। जैसे मैं चंदन के बारे में कह रहा था कि चंदन की दवाइयां भी बनती हैं लेकिन चंदन के भाव का लोगों को पता ही नहीं है। आज चंदन की कीमत 8 हजार रुपये

16.09.2020/1610/RKS/dc-2

प्रति किलो है। मेरा कहना का अभिप्राय है कि लोगों को सही मूल्य की जानकारी ही नहीं होती। अगर हमारे सामने भी कोई अंग्रेजी दवाई रख दी जाए तो हमें पता ही नहीं होता कि यह किस चीज की दवाई है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि उत्तराखंड और केरल की तरह यहां पर भी इन जड़ी-बूटियों के ऊपर अध्ययन किया जाना चाहिए और लोगों को भी इस ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। आज भांग के आधार पर ही कई दवाइयां बनाई जा रही हैं। भांग से कैंसर की दवाई बनाई जा रही है। यदि दवाई न भी बने तो इस भांग को पानी के अंदर 10-15 दिन डाल दो और उसके बाद इसका कपड़ा और बोरियां तैयार की जाती है।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

17.09.2020/1615/बी0एस0/एच0के0/-1

श्री रमेश **चंद ध्वाला जारी**...

जहर को यदि जेब में डाले तो आदमी नहीं मरता है परंतु उसे मुंह में डाला जाए तभी वह मरता है। आज बहुत सारी जड़ी-बुटियों को लगाया जा रहा है। हमारे यहां शहद की दवाई बनाई जाती है। डाबर कंपनी वाले शहद हमारे कांगड़ा से ले करके जाते हैं करोड़ों रुपए में कांगड़ा का शहद बिकता है। इसके अलावा हमारी हल्दी की भी दवाई बनती है। हमारे वहां पर आदरणीय कुका जी के चुनाव क्षेत्र में एक कर्नन साहब हैं वह अपनी हल्दी का आचार बना कर 4-5 सौ रुपए किलो बेच रहे हैं। लाखों रुपया उसमें कमा रहे हैं। हमारे लोगों को इस ओर यदि आकर्षित किया जाए तो अवश्य इसका फायदा होगा। हमारे किचन में ही

सभी औषधियां हैं। सौंफ है, अदरक है, मैथी है और लहसुन है। आप इन चीजों का घर में ही सेवन करों तो हमें बहुत फायदा होता है। यदि किसी ने इस बारे में जानना है तो समय निकाल करके आइए मैं पूर्ण विधि आपको बता दूंगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने विषय रखा है आपको अभी सारी बातें बता देनी चाहिए। आपने यह प्रस्ताव रखा है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा और माननीय मंत्री भी इस पर विस्तार से उत्तर दे पाएंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला : यदि मैं यहां बताने लगा तो आप घंटी बजा देंगे। इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें हैं। अभी-अभी माननीय मंत्री बिक्रम सिंह जी कह रहे थे कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है मैंने कहा कि नींद तो इस लिए भी नहीं आती है कि आप सोचते होंगे कि वह काम भी करने को पड़ा है और किसी की बदली भी करवानी है इसलिए भी नींद नहीं आती है। मैंने इन्हें एक तरीका बताया है। मैंने इन्हें कहा कि रात को सोने से पहले मैथी, तिल, मिस्री, ये तीन-चार चीजें पका करके दूध में मिला करके आप लेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। दूसरी बात I am also suffering from diabetes, मैं योगा तो करता ही हूं लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि चमच का चौथा हिस्सा हल्दी, आठ काली मिर्च और निंबू इन चीजों को मिला करके कम-से-कम एक लीटर बनाता हूं। एक लीटर इसका पानी पी करके मैं सीधा दो मिलोमीटर चलता हूं। अब मेरी सुगर भी खत्म है और मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे 50 वर्षों से कभी बुखार ही नहीं आया। इसलिए घर का बैद किचन ही है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

17-09-2020/1620/एच.के.-एन.जी./1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी.....

ये देसी नुस्खे मैं तो जानता ही हूं और डॉ. साहब भी जानते हैं। मेरे बगल में बैठे डॉ. राजीव बिन्दल जी उठकर चले गए हैं वह भी बड़ी गहराई से देसी नुस्खों को जानते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि लोग आंवला, ब्रहमी आदि लगा रहे हैं। भूमि आंवला बहुत अच्छा होता है। यदि आपका लीवर खराब है तो भूमि आंवला सबसे बढ़िया चीज है। हमारे गांव में एक बूटी होती है जिसे क्यांग के नाम से जानते हैं लेकिन उसका नाम मकोय है। अगर शराब पीकर किसी

की किडनी 100 प्रतिशत खराब हो गई है तो उसका कोई इलाज नहीं है लेकिन यदि किसी की किडनी में थोड़ी बहुत खराबी है तो मकोय का अर्क निकाल कर मरीज को सुबह दे दीजिए। इसके साथ गाय का गूंतर और तुलसी के पत्ते मरीज को पिलाएंगे तो वह दो महीनों में ही ठीक हो जाएगा। मेरे बगल में मेरा एक पेशंट बैठा हुआ है और इन्हें मैंने दो चिटें दी हैं। He is also suffering from so many diseases...(Interruption)

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मुझे दो नहीं 10-15 पर्चियां दी हैं।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने आस-पड़ोस के रोगियों का इलाज नहीं किया तो फिर मैं कैसा वैद्य हुआ।(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो पर्चियां आपने दी हैं उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी को जिक्र कर दें।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, कईं अंदरूनी बीमारियां होती हैं और उनका इलाल गुप्त होता है तथा कुछ बीमारियों का इलाज ओपन में किया जाता है। (व्यवधान)... माननीय मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि डाबर कंपनी के विशेषज्ञ यहां पर बुलाए जाएं। हम अनभिज्ञ हैं इसलिए विशेषज्ञों को बुलाया जाए और वे जड़ी-बुटियों की पहचान करेंगे। हमारे यहां पर 40-40 किलोमीटर बाद मौसम बदल जाता है और वहां पर अलग-अलग तरह की जड़ी-बुटियां होती हैं। जैसे गलगल है, उसे पांच रुपये किलो भी कोई नहीं लेता और उसका अर्क निकाल कर एक दवाई बनती है जोकि 14,000 रुपये किलो बिकती है।

17-09-2020/1620/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : आपने काफी विस्तार से सारी जड़ी-बुटियों का जिक्र यहां पर कर दिया है।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत जड़ी-बुटियां होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कहां-कहां पर हर्बल गार्डन लगाए गए हैं, वहां पर कितना इनसेंटिव लोगों को दिया जा रहा है?(व्यवधान)... किसी को छोटी-मोटी बीमारी होगी तो मैं उसको दवाई दे सकता हूं।(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों को रोज़गार दिया जाए, इसके लिए विशेषज्ञ बुलाए जाएं और यदि हमारे माननीय वन मंत्री जी जंगलों में जाने की अनुमति दे

दें तो हमारे किसानों को जंगलों में ले जाकर जड़ी-बुटियों के बारे में ज्ञान दिया जाए। उसके बाद हमारे लोगों को उन जड़ी-बुटियों की मर्किटिंग व प्रोसेसिंग के बारे में और सरकार द्वारा उन्हें क्या इनसेंटिव दिया जा रहा है उसके बारे में बताया जाए। (व्यवधान)... मेरे साथ बैठे माननीय सदस्यों ने हंसा-हंसा कर मेरा काम तमाम कर दिया है।(व्यवधान)... इतने अच्छे-अच्छे सुझाव मैंने यहां पर दिए हैं(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी तजुर्बेकार व्यक्ति हैं

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

17/09/2020/1625/MS/AG/1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी------

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इन जड़ी-बूटियां के प्रति लोगों को विशेष आकर्षित करने के लिए इन्सैंटिव्ज भी आप बतायें और यहां पर क्या-क्या हो सकता है, उस बारे में भी बतायें। हमारे गांव में जो शंखीरियां होती हैं उनका रेट आज 9000/-रुपये किलोग्राम है। इसके अलावा भी कई तरह की जड़ी-बूटियां हमारे जंगलों में पाई जाती हैं लेकिन हमें उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है। मैं एक बार अपने भाई को लेकर बाबा रामदेव जी के वहां गया था। वहां उन्होंने हर्बल गार्डन लगाए हुए हैं। मैंने वहां हर प्रकार की जड़ी-बूटी के बारे में उनसे जानकारी ली और उसी तुजुर्बे के हिसाब से जो हम लोग टोपियों में फूल लगाते हैं, जिसको टाट-फ्लांगा बोलते हैं, वह फूल लिवर के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इन जड़ी-बूटियों के बारे में मंत्री महोदय जो डॉक्टर भी हैं, विस्तार से बताएंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी गुज़ारिश करता हूं कि केंद्र सरकार से जितनी भी स्कीमें आ रही हैं, उनको आप धरातल पर उतारें। विपक्ष वालों ने तो अपने समय में कुछ नहीं किया इसलिए हम ही कुछ करके दिखायें ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरी बताई हुई दवाई से 5/-रुपये में आराम मिल जाएगा और अगर आप बाजार में जायेंगे तो वह दवाई आपको 100/-रुपये में मिलेगी ...(व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री धड़ाधड़ फ़ैसले ले रहे हैं और इनके प्रधान मंत्री डॉक्टर तो थे लेकिन टीका किसी को नहीं लगाया। हमारे जो यहां डॉक्टर (स्वास्थ्य मंत्री)हैं वे भी अच्छे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका उत्तर सुनकर अब मुझे तसल्ली होगी। कुछ दवाई मैंने यहां बता दी है और अगर कोई अन्य भी मरीज़ हैं तो वे मेरे पास आ सकते हैं। घर के किचन में ही सारी

दवाइयां उपलब्ध हैं। मैं इतना ही कहते हुए अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद करता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि विस्तार से जड़ी-बूटियों पर हमारा ध्यान आकर्षित करें ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और यह जो जंगलों में अपार सम्पदा पड़ी हुई है, इसका भी हम प्रयोग कर सकें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय ने बहुत अच्छा विषय इस माननीय सदन के समक्ष रखा है। चुटकुले के रूप में जैसे ये हंसाते हैं, इन्होंने सबको हंसाया भी है। हमारी देसी जड़ी-बूटियों के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा था, उसका नियम-61 के अंतर्गत मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे। अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनके पास आयुर्वेद विभाग भी है, इस चर्चा का उत्तर देंगे।

17/09/2020/1625/MS/AG/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-61 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी द्वारा उठाया गया प्रस्ताव जो कि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्याः 3073 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर आधारित है, का उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा शंका व्यक्त की गई है कि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है परन्तु जो वक्तव्य माननीय सदस्य ने यहां रखा है, मुझे लगता है कि उसका भी इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जो कुछ बातें यहां पर रखी हैं,

जारी जे0के0 द्वारा----

17.09.2020/1630/JK/YK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः--------जारी-----

सुझाव के रूप में ज्यादा रखी हैं। उनके वक्तव्य के माध्यम से कुछ रहस्योद्घाटन भी हुए हैं कि किस प्रकार से यहां सदन के अन्दर धंधा तो नहीं कहूंगा लेकिन गोरख-धंधा चिकित्सा का चला हुआ है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, उपचार होता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, गोरख-धंधा ही होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता । यह जो नुस्खे इन्होंने सदस्यों को बांटे हैं, इन नुस्खों की हम जांच करवाएंगे कि ये नुस्खे ठीक भी है या नहीं । विशेषतौर से जो आपने उद्योग मंत्री जी को नुस्खे दिए हैं, उनकी तो जांच अवश्य करवाउंगा क्योंकि आप दोनों एक ही जिले से हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हास्य एक अलग विषय है और उनके वक्तव्य के माध्यम से काफी मनोरंजन भी यहां पर हुआ है, क्योंकि उनकी विषयों को रखने की एक विशिष्ट शैली है। उसमें कुछ तथ्य भी होते हैं और जिस शैली से ये अपनी बात रखते हैं, उस कारण ये लोकप्रिय भी बहुत हैं। लोग रमेश चन्द ध्वाला जी को सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। इनका कोई भाषण ऐसा नहीं होता जिसमें एक-दो चुटकुले ये न सुनाएं। मैं, माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व के ऊपर आपने यहां पर अपने विचार रखे। आप ही नहीं आयुर्वेद को आज पूरा विश्व मान रहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का महत्व कितना ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा कि आज परम्परागत कृषि के अतिरिक्त औषधीय पौधों की ओर भी किसान अपना रुख कर सकता है। केन्द्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी इस सम्बन्ध में बराबर आग्रह है कि परम्परागत कृषि से हट कर हम कुछ अन्य प्रयोग अपने खेतों में करने का प्रयास करें, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो।

17.09.2020/1630/JK/YK/2

प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते हैं। उसी का अनुसरण करते हुए हमारी प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिससे उनकी इन्कम में इज़ाफा हो। थोड़े से फैक्ट्स मैं यहां पर रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि विश्व के हर्बल व्यापार में भारत का अंश 17 प्रतिशत है। हाल ही में कोविड वैश्विक महामारी के दौर में अगर कहीं पर विश्वास था कि हमारी इम्युनिटी बैटर हो सकती है और कोरोना से हम बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं, हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं हो, कहीं अगर आशा की उम्मीद थी तो वह आयुर्वेदिक

चिकित्सा पद्धति की ओर थी। बहुत सी ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जिनका सेवन करने से मनुष्य की रोग-प्रति-रोधक क्षमता बढ़ती है। कोविड वैश्विक महामारी के दौर में आशातीत वृद्धि हुई है। जो हमारे हर्बल उत्पाद हैं, औषधीय पौधे हैं, उनकी मांग में राष्ट्रीय स्तर पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वृद्धि हुई है। आयुष पद्धतियों की ओर आम आदमी का रूझान बढ़ा है। अतः यह आवश्यक है कि विभिन्न स्कीमों के द्वारा औषधीय पौधों का कृषिकरण, औषधीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन सहायता के द्वारा औषधीय पौधों को न केवल देश की समृद्धि हेतु अपितु किसानों की समृद्धि का भी साधन बनाया गया है। जिन्होंने किया है, उनमें तीन उदाहरण मैं आपके समक्ष यहां पर रखना चाहता हूं। अभी जो हमारी ग्लोबल इन्वैस्टर मीट हुई थी उसमें मूल्य संवर्धन, उसमें औषधीय पौधे के कृषिकरण मूल्य संवर्धन पर value addition and processing आलू प्रति किलो यदि बेचेंगे तो उसकी कीमत बहुत कम होती है मगर चिप्स बना करके बेचेंगे तो उसकी कीमत में कई गुणा इज़ाफा हो जाता है। बनाने वाले को उससे कई गुणा लाभ होता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

17.09.2020/1635/SS-AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागत :

। इसीलिए इस सोच को केन्द्र बिन्दू मान कर यह जो ग्लोबल इंवैस्टर्ज मीट हुई थी उसमें कुछ किसानों को उत्साहित व प्रोत्साहित किया गया। तीन-चार ऐसे एग्रीमैंट्स हुए हैं जो मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा। इससे अन्य लोगों को भी औषधीय पौधों की कृषि और उसके वैल्यू एडिशन और प्रोसैसिंग के बाद बेच व अपना करके अपनी आय में जो वृद्धि करना चाहते हैं उनके लिए यह प्रेरणा हो सकती है। उसमें M/s Lobhi Ram Enterprises, ये तहसील चुराह चम्बा के किसान के द्वारा स्थापित प्रकल्प है और मुख्य कृषक श्री लोभी राम जी हैं। जिसके तहत अनुबंध हुआ है वह औषधीय पौधों का कृषिकरण, प्रसंस्करण और मूल्यसम्वर्धन योजना है। इनका प्रस्तावित निवेश 8 करोड़ रुपये है और ये अपने ही गांव में इसको अंजाम देंगे। 30 लोगों को इनके इस प्रकल्प के माध्यम से रोज़गार दिया गया है। 60 हैक्टेयर भूमि इस्तेमाल हो रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधों की

क्लस्टर स्कीम के अनुसार इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कूठ, कुटकी, अति सुगंधवाला और जट्टामानसी, इन पौधों की वे कृषि और प्रोसैसिंग करते हैं और निवेश को 2.5 हैक्टेयर भूमि पर कूठ की सफल खेती व प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने पर 2.57 लाख का अनुदान विभाग के द्वारा दिया गया है। अभी तक इनका टर्नऑवर 20 लाख रुपया प्रतिवर्ष है।

इसी प्रकार से मैसर्ज थारी ट्रेडिंग कम्पनी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर की कम्पनी है। यह मोहन सिंह जी द्वारा स्थापित है जोकि एक प्रगतिशील किसान हैं। निवेशक द्वारा लगभग 100 बीघा भूमि में गांव के सभी किसानों के सहयोग से औषधीय पौधों की खेती की जा रही है। अभी तक 25 टन शुष्क औषधीय पौधे बेचे जा चुके हैं तथा 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष इनका टर्नऑवर है।

इसी प्रकार से दो और उदाहरण हैं मैं उनका यहां ज़िक्र न करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर औषधीय पौधों की कृषि को किसान अपनाना चाहते हैं तो विभाग इसमें मदद कर सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे प्रांत भर में 280 किसानों ने लाभ उठाया है। इसमें शिमला जिला के 189, चम्बा जिला के 12, सिरमौर के 4 और कांगड़ा के 23 किसान हैं। इस प्रकार से ये 228 किसान हैं।

17.09.2020/1635/SS-AG/2

आपने बात की कि हमारे नौजवान कृषि को छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि परम्परागत कृषि से बहुत अच्छी इंकम खेतों से नहीं होती है इसलिए नौजवानों की रुचि कृषि में घट गई है। लेकिन यदि यह विकल्प हम अपने नौजवानों को देते हैं तो क्लस्टर, सहकारिता आधारित कृषि और व्यक्तिगत यदि किसी के पास लैंड होल्डिंग ज्यादा है, एक हैक्टेयर या उससे अधिक भूमि पास है तो वह इस ओर अपने कदम बढ़ा सकता है। मैं माननीय सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं कि विभाग इस ओर काम कर रहा है। उसमें आयुष मिशन है, उसमें स्टेट मैडिशनल प्लांट बोर्ड है। ये दो माध्यम हैं जिसके द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता विभाग की ओर से दी जा रही है। **क्या-क्या योजनाएं इन दो माध्यमों से किसानों तक जा रही हैं उसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा। आप ही को नहीं बल्कि इस सदन से संबंधित सभी सदस्यों को देंगे ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र में उसका प्रचार-प्रसार कर सकें।** हम कोशिश करेंगे कि विभाग के माध्यम से भी ज्यादा-से-ज्यादा

प्रसार-प्रसार हो। केन्द्र सरकार के माध्यम से जो हमारा आयुष मिशन और राष्ट्रीय मैडिशनल प्लांट बोर्ड है उसी के तहत प्रदेश में मैडिशनल प्लांट बोर्ड बने हैं। जिनके द्वारा मैडिशनल प्लांट की खेती को प्रोत्साहित करना अन्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है ताकि हम अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित कर सकें और उनके साथ बात कर सकें।

कुछ बातें आपने कही हैं जैसे आपने भांग की कृषि के बारे में कहा है। यह एक नीतिगत निर्णय है जोकि सरकार को लेना है। यह हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। भांग एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत आती है जो आबकारी एवं कराधान विभाग का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन इस पर विचार हो सकता है।

जारी श्रीमती के0एस0

17.09.2020/1640/केएस/एजी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

अन्य कुछ प्रांत इस पर काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी हो सकता है। भविष्य में इस पर विचार करेंगे। अगर कोई निर्णय इसमें करना होगा तो हम माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात ज़रूर लाएंगे। दूसरा, माननीय सदस्य ध्वाला जी ने कहा कि जड़ी-बूटियों के जो विक्रेता हैं, उनको ऐसा कोई माध्यम मिले जिससे उनके उत्पाद को अच्छा मूल्य मिल सके, मैं कहना चाहता हूं कि ई-चरक एक वैब पोर्टल है, यह ऑनलाइन वैब-पोर्टल है जिसमें जड़ी-बूटी बाजार भाव और विक्रेताओं की जानकारी होती है। वहां से उनको उचित जानकारी मिल सकती है कि किस जड़ी-बूटी का कितना मूल्य है और हम जड़ी-बूटी उगाने के बाद उसको कहां बेच सकते हैं, इस सम्बन्ध में इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक जड़ी-बूटी बाजार नामक त्रैमासिक पत्रिका है, इसके माध्यम से भी किसानों को जानकारियां मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि विभाग की ओर से भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। जंगल में जो जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं, वहां लोगों को लाइसैंस देने की और जड़ी-बूटियों को वहां से निकालकर बेचने की जो आपने बात की, यह भी हमारे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इसको

फोरैस्ट विभाग ही देखता है और वही इस बारे में कुछ कर सकता है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन जिस विषय की ओर आपने ध्यान दिलाया है, यह कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो दवाएं बनती हैं, वे गुणवत्तापूर्ण तब होंगी, जब उसमें जो औषधियां प्रयुक्त होंगी, अगर वे शुद्ध होंगी, अच्छी होंगी, ताज़ी होंगी। हिमाचल प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध है। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो बहुत ऊंचाई के क्षेत्र हैं, वहां पर जो जड़ी-बूटियां होती हैं और नालागढ़, ऊना और हमारा जो मैदानी क्षेत्र है, यानि डाइवर्सिटी बहुत है। अगर हम हिमाचल की बात करें, जहां तक यहां की भौगोलिक स्थिति का प्रश्न है, तकरीबन सभी प्रकार की जड़ी-बूटियां हिमाचल प्रदेश में पैदा होती हैं और अगर हम जड़ी-बूटी उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें तो जो हमारी फार्मेसीज़ हैं, हमारे दवाई निर्माता हैं, उनको शुद्ध, ताज़ी व गुणवत्तायुक्त जड़ी-

17.09.2020/1640/केएस/एजी/2

बूटियां यहीं हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, हमारे देश में जो अच्छी फार्मेसिज़ हैं, जो बड़े स्तर पर जड़ी-बूटियों का उत्पादन करती हैं, वे सीधे हिमाचल प्रदेश के किसानों से सम्पर्क करके, यहां से गुणवत्तायुक्त जड़ी-बूटी प्राप्त करके, जो औषधि तैयार करेंगी, वह भी गुणवत्तायुक्त होगी। ध्वाला जी ने काफी विषयों पर ध्यान आकर्षित किया है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी इस दिशा में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो आपके इन सुझावों को भी, अगर नीति बनाने की ,योजना बनाने की बात है तो उस योजना और नीति में आपके सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। ध्वाला जी, आपने यहां पर यह प्रश्न उठाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उत्तर देने के लिए समय दिया, आपका भी धन्यवाद।

अध्यक्षः ध्वाला जी, माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार में उत्तर दे दिया है। क्या आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं?

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है लेकिन मैं इनसे दो और चीजें पूछना चाहता हूं। एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारी फार्मेसिज़ एक सिरमौर में हैं और एक जोगिन्द्रनगर में है, यहां पर कितनी दवाइयों का उत्पादन होता है और कितना पैसा वहां पर यह जो सप्लाई देते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितना पैसा एक साल का वहां पर बनता है और दूसरा, मैं यह चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि फोरैस्ट और आयुर्वेदा डिपार्टमैंट कोई ऐसी नीति बनाएं कि जहां-जहां पर ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, वहां बेरोज़गार बच्चों को लाइसैंस वगैरह मिलने चाहिए। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी पॉलिसी बनाने का आश्वासन देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय पपरोला में बतौर आयुर्वेदिक छात्र जो माजरा फार्मेसी और जोगिन्द्रनगर स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी है, वहां पर लगातार हमारी विज़िट होती रहती थी और हमने वहां जा कर काफी कुछ सीखा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.9.2020/1645/av/as/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री--------- **जारी**

मैं बहुत दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी इन दोनों फार्मेसिज में उच्च गुणवत्तायुक्त दवाइयां बनती हैं। आपने यह भी पूछा कि वहां पर कौन-कौन सी दवाइयां बनती हैं तो अभी मेरे पास उस बारे में जानकारी नहीं है परंतु हम जानकारी मंगवा लेंगे। लेकिन जोगिन्द्रनगर फार्मेसी में निर्मित दवाइयों की संख्या 17 और माजरा फार्मेसी में 13 हैं। इनके अलावा हमारे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में भी एक फार्मेसी स्थित है और वहां पर 6 दवाइयां बनती हैं। आपने जो अभी जानकारी मांगी वह मैंने आपके समक्ष रखी है। इसके अलावा आपने यहां पर एक संयुक्त योजना के बारे में भी कहा है जिसमें आपने कृषि विभाग, वन विभाग और आयुर्वेद विभाग का नाम लिया है। लेकिन मैं इसमें एक और विभाग का नाम जोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर इसमें सहकारिता विभाग भी जोड़ लिया जाए और सहकारी समितियां बनाकर के क्योंकि मेरे पास सहकारिता विभाग भी रहा है। पूरे प्रदेश में अलग-अलग सेमिनार्ज के माध्यम से हमने सहकारी समितियों से

यह आग्रह किया था कि आपकी जो सोसाइटी परम्परागत काम कर रही है उसको डाइवर्सिफाई करें। जब डाइवर्सिफिकेशन की जाए तो औषधीय पौधों को भी कृषि में शामिल करें, इस तरह से इसमें सहकारिता का क्षेत्र भी शामिल हो सकता है। यह बहुत बढ़िया सुझाव है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस पर अवश्य विचार करेंगे कि ऐसी योजना बने जिसके अंतर्गत ये चारों विभाग संयुक्त रूप से काम करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक : 17 सितम्बर, 2020 **सचिव**